37वीं वार्षिक रिपोर्ट
2005-2006

अथक परिश्रम। सार्थक गाथा

प्रगति ही शक्ति

REC

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

विषय सूची

02 कंपनी के बारे में सूचना

03 निदेशक मंडल

05 अध्यक्ष का भाषण

09 मिशन एवं उद्देश्य

10 कार्य निष्पादन की मुख्य बातें

12 नोटिस

13 निदेशकों की रिपोर्ट

45 निगमित सुशासन पर रिपोर्ट

52 निगमित सुशासन पर प्रमाण पत्र

54 खातों का विवरण

85 लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

91 गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

93 निदेशकों की रिपोर्ट का अनुशेष

97 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी एवं इन पर आरईसी के प्रबंधन का उत्तर

99 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा खातों की समीक्षा

111 आरईसी में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

112 प्रबंधन दल

114 आरईसी कार्यालयों के पते

कंपनी के बारे में सूचना

कारपोरेट कार्यालय

श्री ए.के. लखीना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(1.8.2005–अपराह्न से)

श्री एच.डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

श्री बाल मुकंद
निदेशक (तकनीकी)

श्री अरुण कुमार
मुख्य सतर्कता अधिकारी

डॉ. डौली चक्रबर्ती
कार्यकारी निदेशक
(का.प्ला./का./आं.ले.प./आई.सी.डी)

श्री प्रदीप जैन
कार्यकारी निदेशक
(कारो.विका./प्रशा./आई.टी./विधि)

श्री के. विद्यासागर
कार्यकारी निदेशक
(आरजीजीवीवाई)

श्री रमा रमण
कार्यकारी निदेशक
(पारेषण एवं वितरण)

श्री ए. अनंथा
महाप्रबंधक
(जनरेशन)

श्री वी.के. अरोड़ा
महाप्रबंधक
(वित्त)

श्री बी.आर. रघुनंदन
महाप्रबंधक
(विधि) एवं कंपनी सचिव

श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव
महाप्रबंधक
(वित्त)

श्री गुलजीत कपूर
महाप्रबंधक
(पारेषण एवं वितरण)

श्री पी. जे. ठक्कर
महाप्रबंधक
(आरजीजीवीवाई)

श्री बी.पी. यादव
महाप्रबंधक
(कारो.विका./प्रशा./आई.टी.)

आंचलिक कार्यालय

मध्य अंचल, जबलपुर
श्री टी.एस.सी. बोस
आंचलिक प्रबंधक

पूर्व मध्य अंचल, लखनऊ
श्री वी.के. शर्मा
आंचलिक प्रबंधक

पूर्वी अंचल, कोलकाता
श्री घोष दस्तीदार
आंचलिक प्रबंधक

दक्षिणी अंचल, हैदराबाद
श्री जे. कल्याण चक्रवर्ती
आंचलिक प्रबंधक

पश्चिमी अंचल, मुंबई
श्री राकेश अरोड़ा
आंचलिक प्रबंधक

पंजीकृत कार्यालय

कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स,
7, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स जी.एस.माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

बैंकर्स

भारतीय रिजर्व बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
विजया बैंक
देना बैंक
कारपोरेशन बैंक
एचडीएफसी बैंक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
आईसीआईसीआई बैंक
आईडीबीआई बैंक
सिंडिकेट बैंक

निदेशक
मंडल

श्री ए.के. लखीना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एच.डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

श्री बाल मुकंद
निदेशक (तकनीकी)

श्री अरविंद जाधव
निदेशक

श्री एम. साहू
निदेशक

पूरन को स्कूल के तुरंत बाद अपना होमवर्क पूरा करने के लिए अपने घर जाना होता था। बिजली न होने से उसका गांव सूरज छिपने के बाद अंधेरे में डूब जाता था। उसके गांव में बिजली पहुँच जाने से पूरन अब अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल सकता है और देर रात तक पढ़ सकता है। गांव की गलियों में रोशनी होने से अब वह होमवर्क में किसी भी सहायता के लिए अपने अध्यापक के घर जा सकता है।

आरईसी : अब तक की यात्रा

अपनी स्थापना के पश्चात रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन ने 'सभी के लिए बिजली' के स्वप्न को साकार करने का काफी सफर तय कर लिया है। देश के विकास विशेषकर ग्राम विद्युतीकरण के क्षेत्र में इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया। राज्यों एवं राज्य बिजली बोर्डो के साथ इसके संबंध असाधारण एवं परस्पर लाभकारी हैं। देश एवं प्रत्येक राज्य को अधिक विद्युत उत्पादन, प्रभावी पारेषण एवं बेहतर वितरण के जरिए विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लंबी दूरी तय कर ली है।

अध्यक्ष का भाषण

वर्ष 2002-03 से आरईसी को हर प्रकार की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए विस्तारित अधिदेश प्राप्त हुआ। उस वर्ष में 661 करोड़ रूपए की मंजूरी और 92 करोड़ रूपए का संवितरण हुआ। वर्ष 2005-06 के दौरान कारोबार में 6006 करोड़ रूपए और 1553 करोड़ रूपए क्रमशः की वृद्धि हुई है।

प्रिय सदस्यगण,

वर्ष 1969 से लेकर अब तक, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन ने लगभग 4 दशकों में फैली हुई घटनापूर्ण यात्रा पूरी की है। एक छोटे स्तर पर शुरूआत करके आरईसी एक मजबूत उद्यम के रूप में विकसित हुआ है, जो कि गांवों को एक विश्वसनीय और वहनीय बिजली आपूर्ति के लिए वचनबद्ध है। इसने ग्रामीण समृद्धि और पूर्ववर्ती राज्य बिजली बोर्डों के लिए भारी योगदान दिया है।

दो–तिहाई गांवों और आधे पंपसेटों के विद्युतीकरण के वित्तपोषण से लेकर राज्य यूटिलिटियों के साथ उनकी अल्पावधि और दीर्घावधि वित्तपोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में विश्वसनीय भागीदारी करते हुए आपके निगम की उपलब्धियों का स्तर बहुत ही ऊंचा है। इस प्रकार के महान कार्यनिष्पादन ने आरईसी को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और उभरते हुए टाउनशिप में अधिक बड़े स्तर पर और अधिक चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार किया है।

जब मैं शीर्ष स्तर पर अपने पिछले एक वर्ष के कार्यकाल पर नजर डालता हूं तो मेरे अंदर अत्यंत गर्व और खुशी की भावनाएं उमड़ रही हैं। निस्संदेह, यह एक प्रेरक अनुभव रहा है। कुल मिलाकर, बाजार की जटिल और गतिशील स्थितियों का सामना करते हुए तथा कठिनाइयों से जूझते हुए निगम को लगातार विकास और लाभकारिता की दिशा में ले जाने के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक उपलब्धि है, जिससे मुझे गहरी संतुष्टि हो रही है।

आरईसी ने वर्ष 2005–06 के दौरान अधिकतर प्रचालन और वित्तीय मानदंडों के मामले में रिकार्ड कार्यनिष्पादन प्रदान किया है। इसने विद्युत मंत्रालय के साथ निष्पन्न समझौता ज्ञापन में निर्धारित सभी लक्ष्यों को पार कर लिया है। एक रणनीतिक दृष्टिकोण, मजबूत प्रबंधन पद्धतियों, निष्ठावान और समर्पित कर्मचारियों तथा निदेशकों के हार्दिक समर्थन की प्रेरणा से परिणाम उल्लेखनीय रहे हैं।

स्थूल आर्थिक ढांचा

हम भाग्यशाली हैं कि हम पुरानी दमघोंटू वित्तीय प्रणाली और उभरती हुई विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के किनारे पर हैं। स्पष्टतः, विकास के असंख्य अवसर हमारे सामने हैं।

विद्युत क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद के पीछे प्रमुख शक्तियों में से एक हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के वाहन को चलाते रहने के लिए विश्वसनीय विद्युत आवश्यक है। स्थूल आर्थिक प्रवृत्तियां विद्युत उत्पादन बढ़ाने, संवितरण में सुधार करने और पारेषण में विस्तार करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के लिए भारी प्रयासों की आवश्यकता के संबंध में बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसने संवितरण क्षेत्र को सुधारने के साथ–साथ पारेषण क्षेत्र का विकास करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। पुराने पारेषण और संवितरण ढांचे के कारण न केवल हानियां हो रही हैं, बल्कि यह बहुमूल्य विद्युत उपलब्धता को भी नष्ट कर रहा है। जैसा कि इस समय अनेक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 50% और 35% हानियां उठाई जा रही हैं, यह एक निश्चित ही कठिन कार्य है। आरईसी इन विभागों में सुधार लाने के लिए अग्रणी रहेगा। यूटिलिटियों को व्यवहार्य बनाने और अपने वित्तपोषण को सुरक्षित करने के लिए हम समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में 10% से 15% तक की कमी लाने के लिए कृतसंकल्प हैं।

हमारा अनुमान है कि पारेषण एवं वितरण के सुधार और नवीनीकरण कार्यक्रमों पर लगभग 1,50,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आरईसी अधिकाधिक योजनाएं तैयार करने और उनका वित्तपोषण करने के लिए स्वयं को समर्पित करेगा और विभिन्न राज्यों की राजधानियों में फैले हुए 17 कार्यालयों में लगभग 200 व्यावसायिकों की अपनी मानवशक्ति के साथ उनके क्रियान्वयन में सहायता करेगा। ब्योरे–वार, जिला–वार परियोजनाएं तैयार की जाएंगी और ग्रामीण पारेषण एवं संवितरण ढांचे के मजबूतीकरण के लिए एक सुधार से लेकर परिणाम तक कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा, ताकि आगामी 5 वर्षों में कम से कम 50,000 करोड़ रुपए का संवितरण सुविधाजनक बनाया जा सके।

कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य बातें

हम पाते हैं कि आरईसी ने गत 6 से 7 वर्षों में अपनी स्वीकृतियों और संवितरणों में चार गुना वृद्धि की है।

i) सतत विकास

हमारे प्रचालन परिवेश की विशेषता उधार की निम्न लागत और आयकर अधिनियम की धारा 54 ईसी के अंतर्गत पूंजीगत लाभ कर छूट बांड योजना का सतत समर्थन है। स्वीकृतियां 15% की वृद्धि से 18,771 करोड़ रुपए, संवितरण 8,007 करोड़ रुपए और निधि एकत्रीकरण 13% बढ़कर 9,063 करोड़ रुपए हो गए हैं। वर्ष 2005–06 के दौरान आरईसी की प्रचालनात्मक आय 18% बढ़कर 1,935 करोड़ रुपए हो गई है। शेयरधारकों को 637.51 करोड़ रुपए के कर–पश्चात लाभ के 30% के रूप में 191.26 करोड़ रुपए के लाभांश के भुगतान की सिफारिश की गई है। निगम ने अब तक लगातार 12 वर्षों के लिए उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त की है और लोक उद्यम विभाग से पुनः यह दुर्लभ सम्मान प्राप्त करने के लिए पात्र बन गया है।

ii) रूचि विस्तार में वृद्धि

हमारे लाभ मार्जिन को निर्धारित करने वाले 3 मानदंड रूचि में विस्तार, व्यवसाय की मात्रा और वसूलियां हैं। किसी वर्ष विशेष में किए गए व्यापार के परिणाम अनुवर्ती वर्षों के दौरान सामने आते हैं। इस वर्ष के लिए हमारी उधार की लागत औसतन 6.78% है, जो कि अत्यन्त प्रशंसनीय है। वर्ष 2005–06 के दौरान हमारा रूचि विस्तार 1.86% रहा है और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 38% की वृद्धि हुई है।

iii) विद्युत उत्पादन

जब से आरईसी को 2002–03 में सभी प्रकार की विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए अपना विस्तारित अधिदेश प्राप्त हुआ है, तब से उस वर्ष में 661 करोड़ रुपए की स्वीकृति और 92 करोड़ रुपए के संवितरण से व्यवसाय वर्ष 2005–06 में बढ़कर क्रमशः 6,006 करोड़ रुपए और 1,553 करोड़ रुपए हो गया है। चार वर्ष से भी कम समय में स्वीकृतियों में लगभग 10 गुना और संवितरणों में 17 गुना वृद्धि हुई है। निजी क्षेत्र में हिस्सेदारी भी निरंतर बढ़कर वर्ष 2005–06 में 36% हो गई है। हम ऐसी परियोजनाओं का वित्तपोषण करने में अत्यंत सफल रहे हैं और विद्युत उत्पादन कार्यकलापों में संवितरण को वर्ष 2006–07 में आगे दुगुना और 2008 में तिगुना करने के लिए अनेक भागीदारों से बातचीत कर रहे हैं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

आरईसी ने वर्ष 2005–06 में सर्वकालीन अधिकतम 10,000 गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण ढांचा स्थापित करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया है, जोकि गत वर्ष में गांवों के विद्युतीकरण के कार्यनिष्पादन का पन्द्रह गुना है। विद्युत मंत्रालय ने लगातार समीक्षा की है और इस उपलब्धि के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है। इससे उत्साहित होकर, आरईसी गत वर्ष के लक्ष्य को 4 गुना करने और वर्ष 2006–07 के दौरान अन्य 40,000 गांवों में आधारभूत ढांचा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित है। अनेक प्रतिष्ठित केंद्रीय सरकारी उपक्रम शामिल हो रहे हैं और 10,000 करोड़ रुपए मूल्य की योजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

अगले तीन वर्षों 2009 तक आरईसी भारत के ग्रामीण विद्युतीकरण ढांचे को इसके सभी गांवों में प्रदान कर दिए जाने की आशा रखता है। यह कार्यक्रम अपने आकार और प्रकार की दृष्टि से अभूतपूर्व है, जो कि स्वभावतः इस संगठन को अपवादात्मक कार्यनिष्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है।

मानव संसाधन

यह वर्ष मानव संसाधन के विकास की दृष्टि से एक विभाजक रेखा है। विभिन्न स्तरों पर 52 नए व्यावसायिक शामिल किए गए, 262 को पदोन्नत किया गया और 254 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2006–07 के दौरान प्रबंधकीय संवर्गों में अन्य एक सौ व्यावसायिकों को शामिल किया जा रहा है।

निदेशक मंडल ने आरईसी के कर्मचारियों को उनके विशिष्ट कार्यनिष्पादन के लिए उनके वार्षिक मूल वेतन के 90% के बराबर कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन जारी कर पुरस्कृत किया है। सभी कर्मचारियों के लिए यह अत्यंत हर्ष का अवसर था, क्योंकि उन्हें अपने वेतन के लगभग दुगुनी राशि प्राप्त हुई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मनोबल ऊंचा है और हरेक उत्साह से सराबोर है। वस्तुतः, निगम आगे ही आगे कदम बढ़ाता जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संबंध में निगम का प्रथम प्रयास अत्यंत सफल रहा है। द्विपक्षीय एजेंसियों यथा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को–ऑपरेशन (जेबीआईसी) और भारत–जर्मन द्विपक्षीय सहयोग (केएफडब्ल्यू) ने भारत के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में परिवर्तन लाने के लिए आरईसी के साथ हाथ मिला लिया है। निगम ने इन प्रतिष्ठित संगठनों से रियायती निधियों के रूप में 1240 करोड़ रुपए की रिकार्ड राशि प्राप्त की है।

भावी कार्य

आरईसी विकास में तेजी लाने के लिए वर्ष 2006–07 के दौरान रणनीतिक प्रयास करता रहा है। विद्युत क्षेत्र में ढांचागत विकास का परिदृश्य व्यापक रेंज वाला और उत्साहपूर्ण अवसरों से परिपूर्ण है। मांग और आपूर्ति के अंतर को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों प्रकार के भागीदारों की निधिगत आवश्यकताएं चमत्कारी रूप से बढ़ गई हैं।

आरईसी के लिए 4–सूत्री मंत्र को व्यापक वित्तपोषण; सुधारों के प्रति वचनबद्धता; परिणाम और आय; ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फ्रेंचाइज स्थापित करने और अंत में सशक्त परिवीक्षण, समीक्षा तथा समस्या समाधान के लिए निश्चित रूप दिया गया है।

आरईसी राष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन करते हुए, प्रेरणा के उच्च स्तर, बढ़ते हुए व्यवसाय अवसर, उन्नत ब्रांड छवि, उत्साही कर्मचारी और मांग करने वाले ग्राहकों के कारण विद्युत क्षेत्र में हुई प्रगति से लाभ उठाने की एक विशिष्ट स्थिति में है।

मुझे आरईसी के निदेशक मंडल से अटल समर्थन मिला है। मैं इस अवसर पर निदेशक मंडल, मंत्रालय में अपने सभी साथियों, दो लाख से अधिक निवेशकों और हमारे सभी शुभचिंतकों का उनकी सहमति और पूरी की गई चुनौतियों की प्रशंसा के साथ–साथ उनके स्थायी विश्वास के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा।

धन्यवाद।

अनिल कुमार लखीना

नई दिल्ली
22 सितंबर, 2006

अनिल कुमार लखीना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

राजू और उसके मित्रों को अब क्रिकेट मैच देखने के लिए, नजदीक के कस्बे में नहीं जाना पड़ता। उनके गाँव में विद्युतीकरण हो जाने से अब वह क्रिकेट मैच का मजा सामूहिक टी.वी. पर ही लेते हैं। वह खेती बाड़ी में आई नवीनतम प्रौद्योगिकियों को जानने के लिए कृषि कार्यक्रम भी देखते हैं।

असाधारण प्रगति की हमारी यात्रा

एक छोटे स्तर पर शुरूआत कर के आरईसी एक मजबूत उद्यम के रूप में विकसित हुआ है, जो कि गाँवों को एक विश्वसनीय और वहनीय बिजली आपूर्ति के लिए वचनबद्ध है।

मिशन एवं उद्देश्य

मिशन

- ग्रामीण एवं शहरी जनता के जीवन स्तर को उन्नत और बेहतर बनाने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए बिजली उपलब्ध कराने में सहायता करना।
- देश भर में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण एवं विद्युत वितरण नेटवर्क को वित्त पोषित एवं प्रोन्नत करने वाली परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धात्मक एवं ग्राहकों का ध्यान रखने वाली विकास परक संस्था के रूप में कार्य करना।

उद्देश्य

उपर्युक्त मिशन को आगे बढ़ाते हुए निगम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मुख्य उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:–

- समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेंद्रित एवं ऊर्जा के गैर–पारंपरिक स्रोतों को बढ़ावा देने, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरण एवं अनुरक्षण, पंपसेट ऊर्जायन पर बल देते हुए विद्युत वितरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना और वित्त पोषित करना एवं ग्रामीण विद्युत बुनियादि सुविधाओं और आवास विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम का कार्यान्वयन करना।
- दूर दराज, पहाड़ी, रेगिस्तानी, जन जातीय, तटवर्ती एवं अन्य कठिन/दूरस्थ क्षेत्रों सहित सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली की विश्वसनीय और बेहतर आपूर्ति के लिए विकेंद्रित विद्युत उत्पादन, नए एवं अक्षय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग, परामर्श सेवाएं, पारेषण, उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण एवं अनुरक्षण और आधुनिकीकरण आदि से संबंधित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की गतिविधियों का विस्तार करना और उनमें विविधता लाना।
- घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने और राज्य बिजली बोर्डों, विद्युत इकाईयों, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर–सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) और निजी विद्युत विकासकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करना।
- (i) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाएं लगाना (ii) बिजली की मांग का विकास (iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तेजी से सामाजिक–आर्थिक विकास, और (iv) टेक्नालॉजी प्रोन्नत करने के निगमित लक्ष्यों को पूरा करते हुए इसके प्रचालनों हेतु आर्थिक और वित्तीय प्रतिलाभ की ऊंची दर प्राप्त करना।
- प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं देते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास और आत्म सम्मान के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और हितों की रक्षा सुनिश्चित करना।
- आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत इकाईयों/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।

कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें

मंजूरी (लाख रुपए)

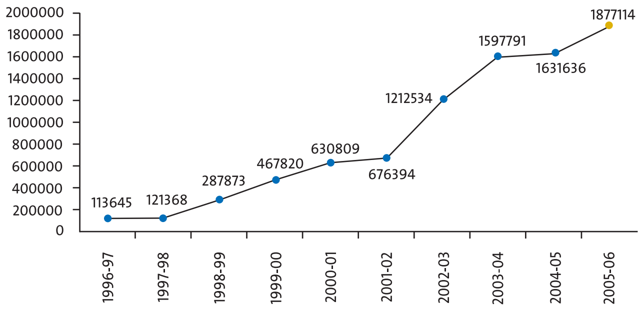

संवितरण (लाख रुपए)

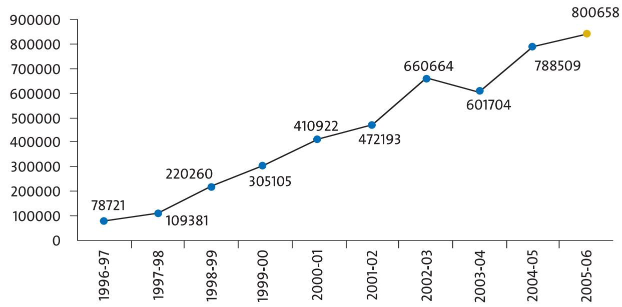

सकल आय (लाख रुपए)

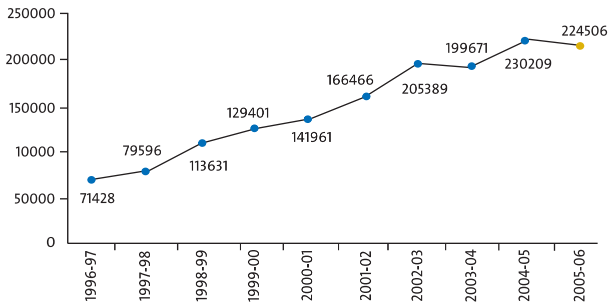

निवल लाभ (लाख रुपए)

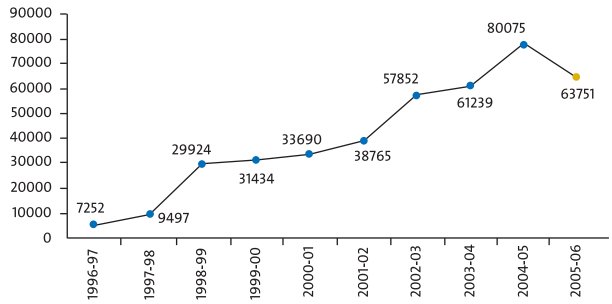

लाभांश (लाख रुपए)

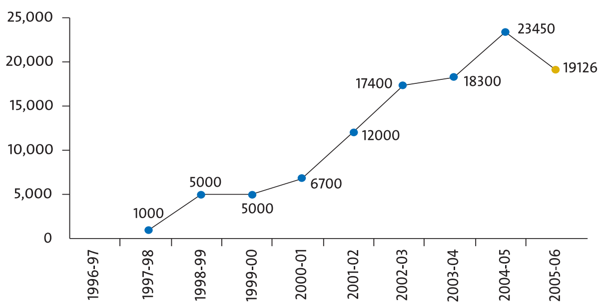

निवल मूल्य (लाख रुपए)

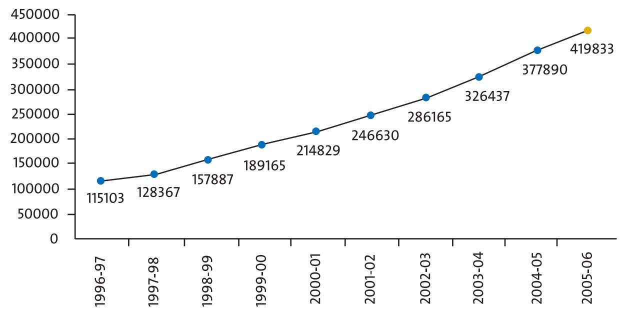

10 वर्षो में लगातार विकास

विवरण	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02	2000-01	1999-00	1998-99	1997-98	1996-97
संसाधन										
(वर्ष के अंत में)										
इक्विटी पूंजी (लाख रुपए)	**78060**	78060	78060	78060	78060	73060	68060	68060	63060	58260
उधार (लाख रुपए)										
भारत सरकार से	**11997**	14017	118336	220341	480947	566779	559894	501749	455591	422402
बांड जारी करके	**1675724**	1360591	1197511	1049404	671927	372068	277573	209102	197517	179901
जीवन बीमा निगम से	**350000**	350000	150000	-	-	-	-	-	-	-
अन्य बैंकों से	**366200**	213200	44000	20000	21000	-	-	-	-	-
आरक्षित एवं अधिशेष (निवल)	**341773**	299830	248377	208105	168570	141769	121105	89827	65307	56843
वित्तीय प्रचालन										
(वर्ष के दौरान) (लाख रुपए)										
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	**661**	1523	1322	1060	979	1301	1379	1468	1261	1290
स्वीकृत वित्तीय सहायता	**1877114**	1631636	1597791	1212534	676394	630809	467820	287873	121368	113645
संवितरण	**800658**	788509	601704	660664	472193	410922	305105	220260	109381	78721
कर्जदारों से ऋण वसूली	**350646**	468324	358732	471594	266998	216262	155259	111024	41483	26574
वर्ष के अंत में बकाया	**2456368**	2106218	1830470	1593565	1418534	1218919	1029368	884231	779923	715081
उपलब्धियां										
विद्युतीकृत गांव										
वर्ष के दौरान	**181**	765	122	-	207	581	1996	2502	3045	3274
वर्ष के अंत तक	**306010**	305829	305064	304942	304942	304735	304154	302158	299661	296616
ऊर्जायित पंपसेट										
वर्ष के दौरान	**182239**	175772	132914	134583	139917	206071	252877	279201	242173	300792
वर्ष के अंत तक	**8565493**	8383254	8207482	8074568	7939985	7800068	7593997	7341120	70611919	6819746
कार्यकारी परिणाम										
(वर्ष के लिए) (लाख रुपए)										
कुल आय	**224506**	230209	199671	205389	166466	141961	129401	113631	79596	71428
कार्मिक एवं प्रशासनिक व्यय	**5770**	4434	4659	5866	4972	3141	2544	2400	1792	1647
उधार पर ब्याज	**133913**	120475	114220	120274	109879	93216	79189	69372	63163	58509
मूल्यह्रास	**110**	115	103	104	151	621	623	607	601	585
कर से पूर्व लाभ	**82983**	103665	80154	76663	50120	44647	41936	38454	12073	8552
कर के लिए प्रावधान	**19232**	23590	18915	18811	11355	10958	10502	8530	2576	1300
कर के पश्चात लाभ	**63751**	80075	61239	57852	38765	33690	31434	29924	9497	7252
इक्विटी पर लाभांश	**19126**	23450	18300	17400	12000	6700	5000	5000	1000	-
निवल मूल्य	**419833**	377890	326437	286165	246630	214829	189165	157887	128367	115103

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की सैंतीसवीं वार्षिक महासभा निगम के पंजीकृत कार्यालय, कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली–110 003 में शुक्रवार 22 सितंबर, 2006 को अपराह्न 4.00 बजे आयोजित होगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जाएगी :

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2006 के अनुसार तुलन पत्र और इसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लेखा परीक्षित लाभ व हानि खाते और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं निदेशकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, उस पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।

2. वर्ष 2005–06 के लिए लाभांश घोषित करना ।

3. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना ।

निदेशक मंडल के आदेश से,
कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

बी.आर. रघुनंदन
महाप्रबंधक (विधि) एवं कंपनी सचिव

नई दिल्ली
दिनांक 31 अगस्त, 2006

सेवा में

1. निगम के सभी सदस्य ।

2. आरईसी के सांविधिक लेखा परीक्षक ।

टिप्पणी :

1. जिस सदस्य को बैठक में उपस्थित होने और मत देने का अधिकार है, उसे अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिपत्री (प्रॉक्सी) के रूप में बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए नियुक्त करने का अधिकार है तथा प्रतिपत्री (प्रॉक्सी) के लिए कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रतिपत्री को प्रभावी बनाने के लिए प्रतिपत्र बैठक आरंभ होने से 48 घंटे पहले निगम के पंजीकृत कार्यालय में अवश्य जमा किया जाना चाहिए।

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयर धारक

निदेशक मंडल को निगम की सैंतीसवीं वार्षिक रिपोर्ट तथा 31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा परीक्षित खाते प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है।

2. कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य बातें

2.1 गत नौ वर्षों के दौरान निगम ने कार्यनिष्पादन के लगभग सभी मानदंडों में सतत वृद्धि रिकार्ड की है।

2.2 वर्ष 2005–06 के दौरान स्वीकृत कुल ऋण गत वर्ष के लिए स्वीकृत किए गए 16316 करोड़ रुपए से बढ़कर 18771 करोड़ रुपए हो गया। कुल संवितरित राशि गत वर्ष में संवितरित 7885 करोड़ रुपए की राशि की तुलना में अब तक की सर्वाधिक के रूप में 8007 करोड़ रुपए रही। वसूल की गई राशि 5434 करोड़ रुपए रही जबकि गत वर्ष यह 6817 करोड़ रुपए थी। वसूली में गिरावट वर्ष 2005–06 में 29.57 करोड़ रुपए की एकमुश्त प्राप्ति के कारण थी, जबकि वर्ष 2004–05 में यह 1585 करोड़ रुपए थी। निगम का कर–पूर्व लाभ गत वर्ष 2004-05 के 1037 करोड़ रुपए के मुकाबले 830 करोड़ रुपए रहा। लाभ में गिरावट वर्ष 2005–06 में 122 करोड़ रुपए की एकमुश्त आय में कमी के कारण थी, जबकि गत वर्ष 2004–05 में यह 547 करोड़ रुपए थी। तथापि, निगम की प्रचालन आय वर्ष 2004–05 में 1637 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 1935 करोड़ रुपए हो गई अर्थात इसमें 298 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई।

3. वित्तीय समीक्षा

3.1 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के वित्तीय परिणामों का सारांश निम्न प्रकार है :–

(करोड़ रुपए)

	2005–06	2004–05
मंजूर राशि	**18771.00**	16316.00
संवितरण	**8007.00**	7885.09
सकल आय	**2245.06**	2302.09
कर–पूर्व लाभ और मूल्यह्रास	**830.93**	1037.69
मूल्यह्रास	**1.10**	1.15
आयकर, आस्थगित कर और संपत्ति कर के लिए प्रावधान	**192.32**	255.18
निवल लाभ	**637.51***	781.36
विशेष आरक्षित कोष में स्थानांतरण	**265.00**	380.00
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित कोष में स्थानांतरण	**27.50**	35.00
सामान्य आरक्षित कोष में स्थानांतरण	**211.00**	95.00
प्रस्तावित लाभांश/अंतरिम लाभांश	**191.26**	234.50
लाभांश कर	**26.82**	32.33
अग्रेनीत शेष	**4.43**	4.53

*गत वर्षों के लिए कर और पूर्वावधिक समायोजनों के बाद

3.2 वर्ष 2005–06 के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में कोई अतिरिक्त अंशदान नहीं हुआ तथा 31 मार्च, 2006 को 1200 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के मुकाबले प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 780.60 करोड़ रुपए रही।

3.3 वर्ष 2005–06 के दौरान बाजार से 9062.66 करोड़ रुपए की कुल राशि जुटाई गई, जिसमें 1885 करोड़ रुपए वाणिज्यिक बैंकों से समूह ऋण के रूप में, 3396.46 करोड़ रुपए की राशि पूंजी लाभ पर कर की छूट वाले बांडों के रूप में और 500 करोड़ रुपए दीर्घावधिक निधि के रूप में जापानी येन–भारतीय रुपया कूपन अदला–बदली (स्वैप) विकल्प के साथ आयोजित सौदे के माध्यम से 3281.20 करोड़ रुपए सहित प्राथमिकता और गैर–प्राथमिकता क्षेत्र बांडों के रूप में शामिल थी। इसके अलावा, दैनिक प्रचालनों के लिए विभिन्न बैंकों से 1022 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा सुनिश्चित की गई। आरईसी के ऋण दस्तावेजों को 'एएए' रेटिंग मिलनी जारी रही, जो क्राइसिल द्वारा प्रदान की गई उच्चतम रेटिंग है।

3.4 वर्ष के दौरान निगम ने सरकार को 20.19 करोड़ रुपए की राशि लौटाई और गैर–प्राथमिकता/प्राथमिकता क्षेत्र बांड धारकों को 854.829 करोड़ रुपए की कुल राशि का भुगतान किया गया। इसके अलावा, 3182.95 करोड़ रुपए के पूंजी लाभ कर छूट वाले तथा इंफ्रास्ट्रक्चर बांड भी विमोचित किए गए।

3.5 31.03.2006 को समाप्त वर्ष के लिए मूल्यह्रास एवं कर–पूर्व लाभ 830.93 करोड़ रुपए था। मूल्यह्रास, कर, पूर्व–अवधि समायोजन, पहले वर्षों के लिए आय/ब्याज कर का समायोजन तथा 292.50 करोड़ रुपए की राशि के सांविधिक आरक्षित कोष के लिए आवश्यक विनियोजन की व्यवस्था करने के पश्चात, आपके निदेशकों को वर्ष के दौरान पहले भुगतान किए जा चुके 90 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश सहित वर्ष 2005–06 के लिए 191.26 करोड़ रुपए के लाभांश के भुगतान की सिफारिश करते हुए हर्ष हो रहा है। 211 करोड़ रुपए की बाकी अधिशेष राशि को सामान्य आरक्षित कोष में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

3.6 वित्तीय वर्ष 2005–06 की समाप्ति पर निगम के कुल संसाधन 28237.54 करोड़ रुपए थे, जिसमें 780.60 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर पूंजी, 3417.73 करोड़ रुपए की आरक्षित एवं अधिशेष राशि, 119.97 करोड़ रुपए के सरकारी ऋण, 7162 करोड़ रुपए के भारतीय जीवन बीमा निगम तथा वाणिज्यिक बैंको से दीर्घावधि ऋण/कैश क्रेडिट/लघु अवधि ऋण, 16757.23 करोड़ रुपए के बाजार उधार शामिल हैं। इन निधियों को 25325.60 करोड़ रुपए के दीर्घ/लघु अवधि ऋण एवं 64.39 करोड़ रुपए की अचल परिसंपत्तियों, 1325 करोड़ रुपए के निवेश तथा 1507.13 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी और आस्थगित कर के रूप में 15.42 करोड़ रुपए नियोजित किया गया था।

3.7 निगम ने उधार की लागत को संतुलित स्तर पर बनाए रखने के अपने प्रयासों को जारी रखा है। वित्त अधिनियम, 2006 के अनुसार केवल एनएचएआई और आरईसी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईसी के अंतर्गत बांड जारी करने के माध्यम से धन जुटाने के लिए पात्र हैं और भारत सरकार ने आरईसी को वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान धारा 54ईसी के अंतर्गत 4500 करोड़ रुपए की राशि जुटाने का अधिदेश दिया है।

4. निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के अनुसरण में आपके निदेशक प्रमाणित करते हैं कि :–

(i) वार्षिक खाते तैयार करने में लागू लेखा मानकों का अनुसरण किया गया तथा महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण दे दिए गए हैं;

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया तथा उन्हें सुसंगत ढंग से लागू किया और ऐसे फैसले एवं आकलन किए, जो उपयुक्त और विवेकपूर्ण हों, ताकि कंपनी की उक्त अवधि के लाभ एवं हानि खाते तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कामकाज के बारे में सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए एवं धोखेबाजी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने तथा उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप यथेष्ट लेखा रिकार्ड के अनुरक्षण के लिए यथोचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया है;

(iv) निदेशकों ने कंपनी के वार्षिक खाते प्रचालनरत संस्था के आधार पर तैयार किए हैं।

5. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

5.1 भारत सरकार ने पांच वर्षों में सभी आवासों को बिजली प्रदान करने और ग्रामीण बिजली आधारिक संरचना में सुधार करने के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अप्रैल, 2005 में ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना – ग्रामीण बिजली आधारिक संरचना और आवास विद्युतीकरण की योजना'' नामक एक नई योजना आरंभ की थी। आरजीजीवीवाई मूलतः एकल नोडल अभिकरण अर्थात आरईसी के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में 'एक लाख गांवों और एक करोड़ आवासों का त्वरित विद्युतीकरण' और ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु 'न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी)' को मिला दिया गया है। आरजीजीवीवाई योजना की मुख्य विशेषताओं का ब्योरा इस रिपोर्ट के **अनुबंध–1** में दिया गया है।

5.2 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत राज्यों को उनकी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता करने के वास्ते केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक प्रतिष्ठानों की सेवाओं की पेशकश की गई है। इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से आरईसी ने एनटीपीसी, पावरग्रिड, एनएचपीसी और डीवीसी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पन्न किए हैं ताकि उन राज्यों को जो सार्वजनिक क्षेत्रक के प्रतिष्ठानों की सेवाओं का लाभ उठाने के इच्छुक हों, सीपीएसयूज की परियोजना प्रबंधन विशेषताएं और क्षमताएं उपलब्ध कराई जा सकें।

5.3 आरजीजीवीवाई योजना के कारगर और शीघ्र क्रियान्वयन हेतु सभी राज्यों, राज्य विद्युत युटिलिटीज और संबंधित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के साथ परामर्श से एक व्यापक आधारभूत ढांचा तैयार किया गया है। सभी सहभागी राज्यों ने अपेक्षित त्रिपक्षीय/चतुर्पक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

5.4 वित्तीय वर्ष 2005–06 के अंत तक :

(क) 27 भागीदार राज्यों में से लगभग 16,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय सहित सभी 27 राज्यों से, जिनमें देश के 475 जिले आते हैं, विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) प्राप्त हो चुकी है।

(ख) लगभग 1,25,000 गांवों (51284 अविद्युतीकृत गांवों सहित) में लगभग 73 लाख ग्रामीण आवासों के विद्युतीकरण को शामिल करते हुए 6271 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ देश के 22 राज्यों में 195 जिलों (191 परियोजनाएं) के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) स्वीकृत की गई हैं।

(ग) 172 जिलों (168 परियोजनाएं) के लिए निविदा आमंत्रण सूचनाएं (एनआईटी) जारी की जा चुकी हैं, जिनमें से 125 जिलों (122 परियोजनाएं) के लिए ठेके प्रदान किए जा चुके हैं।

राज्यवार ब्योरे **सारणी–1** में संलग्न हैं।

5.5 इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2005–06 के दौरान बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तरांचल और कर्नाटक राज्यों में लगभग 10,169 गांवों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है। राज्यवार ब्योरे **सारणी–2** में संलग्न हैं। वर्ष 2006–07 के दौरान 40,000 गांवों के विद्युतीकरण के लिए कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

5.6 विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी संबंधित कार्यालय ज्ञापन में परिकल्पित के अनुसार राज्यों द्वारा ग्रामीण संवितरण के प्रबंधन के लिए फ्रैंचाइजीज के फैलाव को सुविधाजनक बनाने के वास्ते आरईसी ने दिशा–निर्देश तैयार किए हैं, जो सभी राज्यों और संबंधित सीपीएसयूज को भेजे जा चुके हैं। राज्यों ने फ्रैंचाइजीज के विकास के लिए पहले से कार्रवाई कर ली है और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के संवितरण हेतु फ्रैंचाइजीज की तैनाती के लिए रूचि की अभिव्यक्ति/निविदा आमंत्रण सूचनाएं जारी कर दी है। वर्ष 2006–07 के लिए लगभग 10,000 गांवों के लिए फ्रैंचाइजीज की स्थापना का लक्ष्य रखा है।

5.7 कार्यक्रम के कारगर मॉनीटरिंग और संगामी मूल्यांकन के लिए एनआईसी के साथ परामर्श से एक ऑन–लाइन मॉनीटरिंग प्रणाली तैयार की जा रही है।

5.8 वर्ष 2006–07 के दौरान 30 जून, 2006 तक 4085 अतिरिक्त गांवों के विद्युतीकरण के निर्माण कार्य के बारे में सूचित किया जा चुका है।

5.9 निधियों का उपयोग

वर्ष के दौरान, विद्युत मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत आरईसी को पूंजीगत आर्थिक सहायता के रूप में 1100 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसमें से 1023.49 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है। वर्ष 2005–06 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत आरईसी द्वारा 562.16 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया, जिसमें 514.53 करोड़ रुपए की पूंजीगत आर्थिक सहायता और आरईसी द्वारा 47.63 करोड़ रुपए की ऋण सहायता शामिल है, जिसका विवरण **सारणी–3** में दिया गया है। 508.96 करोड़ रुपए की शेष आर्थिक सहायता 2004–05 में पहले ही संवितरित की जा चुकी थी, लेकिन (i) 'आर्थिक सहायता : ऋण' को 40:60 से 90:10 में बदलने के कारण 2005–06 में 482.01 करोड़ रूपए (ii) 2004-05 में ज्यादा संवितरण के कारण रूपए 26.95 करोड़ की राशि को जारी आर्थिक सहायता के विरूद्ध समायोजित किया गया है।

6. पारेषण एवं संवितरण नेटवर्क

6.1 गत वर्षों की भांति, आरईसी ने विद्युत उत्पादकों और अंतिम उपभोक्ताओं के बीच व्यापक संपर्क के महत्व को समझते हुए देश में पारेषण एवं संवितरण के नेटवर्क को सुधारने में सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा। वर्ष 2012 तक सबको बिजली प्रदान करने के देश के उद्देश्य के अनुसार क्षेत्रीय पारेषण नेटवर्क का विस्तार और अधिक महत्वपूर्ण रूप से एक पूर्णतया कुशल एवं आधुनिक संवितरण प्रणाली समय की मांग है, जिसके लिए आरईसी अपनी भूमिका निभाने हेतु पूर्णतया तैयार है।

6.2 **तंत्र सुधार** – विशेषकर पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी और वोल्टता परिदृश्य के संबंध में बिजली नेटवर्क की कुशलता सुधारने हेतु आरईसी तंत्र सुधार कार्यक्रम के क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करता रहा है, जिसके लिए आरईसी अपने तंत्र सुधार पोर्टफोलियो के अंतर्गत विद्युत यूटिलिटियों को ऋण सहायता प्रदान करता है। पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता को सुधारने के लिए विद्युत पारेषण और संवितरण नेटवर्क के सुधार हेतु ऐसी योजनाओं के वित्तपोषण पर बल देना जारी रहा।

6.3 **उच्च वोल्टता संवितरण प्रणाली (एचवीडीएस) –** वित्तपोषण के अलावा, आरईसी विद्युत यूटिलिटियों को प्रणाली में दोषों और कमियों की पहचान करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता रहा है और प्रणाली में सुधार लाने हेतु अनेक विकल्पों का सुझाव देता रहा है, जिनमें से सर्वाधिक कारगर एवं तकनीकी व्यवहार्य हल को अपनाया जाता है। ऐसी ही एक परियोजना उच्च वोल्टता संवितरण प्रणाली (एचवीडीएस) है, जिसे आरईसी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वृहत्त पैमाने पर स्वीकृत किया गया है। परियोजना में सभी एलटी फीडर पोषित कृषि भारों के लिए परंपरागत निम्न वोल्टता संवितरण प्रणाली (एलवीडीएस) के स्थान पर उच्च वोल्टता संवितरण प्रणाली (एचवीडीएस) के क्रियान्वयन द्वारा तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करने की परिकल्पना की गई है। एलटी लाइन हानियों में कमी लाने के अलावा वोल्टता परिदृश्य में भी सुधार हुआ है, संवितरण ट्रांसफार्मरों की खराबी में कमी आई है, जिससे उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार हुआ है। वर्ष 2005–06 के दौरान आरईसी द्वारा आंध्रप्रदेश और राजस्थान राज्यों के लिए एचवीडीएस योजनाओं का वित्तपोषण किया गया था और 2006–07 के दौरान अन्य राज्यों की स्कीमों का वित्तपोषण किए जाने की संभावना है।

6.4 **उपस्कर वित्तपोषण –** तंत्र सुधार परियोजनाओं के अलावा आरईसी, प्रणाली के लिए अपेक्षित विभिन्न उपस्करों की खरीद और स्थापना/प्रतिस्थापन का वित्तपोषण भी कर रहा है। उदाहरणार्थ अधिकतर विद्युत युटिलिटी प्रणाली में ऊर्जा प्रवाह का सही मापन करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 100% मीटर–पठन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मीटरों का बढ़े स्तर पर अधिष्ठापन/प्रतिस्थापन कर रहे है, जिसके लिए आरईसी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तपोषण प्रदान करता है। इसी प्रकार, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, ब्रेकर इत्यादि के अधिष्ठापन और प्रतिस्थापन के लिए वित्तीय सहायता की हमेशा बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए निगम इन मदों की बढ़ी मात्रा में खरीद के लिए योजनाओं के वित्तपोषण को जारी रखे हुए है।

6.5 **पंपसेट ऊर्जायन** – आरईसी के ऋण पोर्टफोलियो में कृषि पंपसेटों के ऊर्जायन के लिए ऋण सहायता देना भी शामिल है। 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार देश में ऊर्जायित किए गए सूचित कुल लगभग 147.23 लाख पंपसेटों में से 58% से अधिक पंपसेटों को आरईसी द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के अंतर्गत ऊर्जायित किया गया है।

6.6 **गांव/दलित बस्ती और गहन विद्युतीकरण** : यद्यपि गांव और दलित बस्ती विद्युतीकरण का कार्यक्रम आरजीजीवीवाई के अंतर्गत शामिल है, फिर भी आरईसी ने पहले से स्वीकृत चालू योजनाओं के अंतर्गत अपने नियमित पोर्टफोलियो के अधीन ऐसे कार्यों के लिए भी वर्ष के दौरान वित्तपोषण प्रदान करना जारी रखा। इसी प्रकार आरईसी ने पहले ही विद्युतीकृत क्षेत्रों में ग्रामीण पभोक्ताओं को कनेक्शन प्रदान करने के लिए सघन भार विकास हेतु परियोजनाओं का वित्तपोषण करना जारी रखा है।

7. विद्युत उत्पादन परियोजनाएं

7.1 आरईसी को वर्ष 2002 तक छोटी, लघु/सूक्ष्म विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए अधिदेश प्राप्त था। इस अधिदेश को परियोजनाओं के आकार संबंधी बिना किसी सीमा के सभी किस्म की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को शामिल करने के लिए जुलाई, 2002 में व्यापक बना दिया गया था। तब से, आरईसी ने राज्य क्षेत्र के साथ–साथ निजी क्षेत्र बाजार, दोनों पर कब्जा जमाया है।

7.2 वर्ष 2005–06 के दौरान विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए मंजूरी 6000 करोड़ रुपए को पार कर गई है और आरईसी के साथ संपर्क करने वाले आईपीपी का बढ़ता हुआ हिस्सा एक उल्लेखनीय बात थी। निजी क्षेत्र परियोजनाओं की मंजूरी 2004–05 में 583.53 करोड़ रुपए से बढ़कर 2005–06 में 2150 करोड़ रुपए हो गई। चालू वर्ष 2006–07 के दौरान आरईसी अनेक उपलब्ध परियोजनाओं के साथ–साथ अभी तक 3710 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत कर चुका है। आरईसी के विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्वीकृतियों के मामले में सभी पिछले रिकार्डों को पार किए जाने की संभावना है।

7.3 विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का वास्तविक संवितरण 2002–03 में 92 करोड़ रुपए की तुलना में 2005–06 में 1553 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और चालू वर्ष 2006–07 के दौरान संवितरण पिछले वर्ष के 1553 करोड़ रुपए के आंकड़े को पहले ही पार कर चुका है।

7.4 विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का वित्तपोषण, आरईसी के प्रचालनों में एक प्रमुख व्यवसायिक कार्यकलाप बनता जा रहा है। आरईसी में विद्युत उत्पादन व्यवसाय देश के सभी क्षेत्रों में फैल रहा है और अधिकाधिक राज्य अपने प्रमुख विद्युत उत्पादन कार्यक्रमों के वित्तपोषण के लिए आरईसी से संपर्क कर रहे हैं। आगामी वर्षों में आरईसी सभी प्रमुख प्रस्तावों के गुणवत्ता मूल्यांकन और शीघ्र स्वीकृति के लिए उचित कदम उठा कर विद्युत उत्पादन क्षेत्र के वित्तपोषण का अधिक से अधिक बाजार हिस्सा प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

7.5 विकेंद्रीकृत संवितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी)

ग्रिड और ग्रिड–भिन्न आधारित विद्युत आपूर्ति प्रणाली की सहायता करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत संवितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी) प्रदान करने की आवश्यकता बहुत अनुभव की जा रही है। आरईसी और विद्युत मंत्रालय योजना की अवधारणा और तैयारी कर रहे है तथा 11वीं योजना अवधि के दौरान इसे प्राथमिकता आधार पर जोर दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप में शामिल कर रहे हैं।

8. मंजूर ऋण, संवितरण और वसूली

8.1 गत वर्ष के 16316 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष के दौरान परियोजनाओं के लिए 18771 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए गए। वर्ष के दौरान मंजूर ऋण राशि का राज्य–वार और श्रेणी–वार विवरण क्रमशः **सारणी–4 और 5** में दिया गया है। वर्ष 2005–06 के अंत तक मंजूरी की राज्यवार स्थिति का संचयी विवरण **सारणी–6** में दिया गया है।

8.2 वर्ष के दौरान कुल 8006.56 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई। वर्ष 2005–06 के दौरान उधारकर्त्ताओं द्वारा राज्यवार संवितरणों और वापसी अदायगियों तथा 31.3.2006 के अनुसार संचयी आंकड़ों और बकाया सहित विवरण **सारणी–7** में दिया गया है।

8.3 गत वर्ष के दौरान 5316.88 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष के दौरान 5474.97 करोड़ रुपए, चूककर्त्ता राज्य बिजली बोर्डों को मिलाकर, वसूली के लिए देय थे। निगम ने कुल 5433.81 करोड़ रुपए की राशि वसूल की। 1.4.2005 को चूककर्त्ता उधारकर्ताओं की अतिदेय राशि, वर्ष के दौरान दी हुई राशि, वर्ष में की गई वसूलियां और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अतिदेय राशि के विवरण **सारणी–8** में दिए गए हैं। निगम इन राशियों की वसूली/निपटान के हर संभव प्रयास करता रहा है।

9. वास्तविक कार्यनिष्पादन

9.1 गांवों और दलित बस्तियों का विद्युतीकरण

वर्ष के दौरान 181 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। मार्च, 2006 के अंत तक आरईसी द्वारा वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत विद्युतीकृत किए गए गांवों की राज्यवार संचयी स्थिति **सारणी–9** में दी गई है। वर्ष के दौरान 4644 दलित बस्तियों के विद्युतीकरण की सूचना मिली है। इसके साथ ही 31.3.2006 को निगम की वित्तीय सहायता से विद्युतीकृत ऐसी दलित बस्तियों की कुल सुंख्या 181959 हो गई है। राज्यवार ब्योरे **सारणी–10** में दिए गए हैं।

9.2 पंपसेट ऊर्जायन

वर्ष के दौरान आरईसी द्वारा वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत 182239 विद्युत सिंचाई पंपसेटों के ऊर्जायन की सूचना मिली है। राज्यवार ब्योरे एवं 31.3.2006 तक की संचयी स्थिति **सारणी–11** में दी गई है।

9.3 तंत्र सुधार

वर्ष 2005–06 के दौरान 5484.03 करोड़ रुपए की ऋण परिव्यय वाली कुल 367 तंत्र सुधार स्कीमें मंजूर की गई। इसमें (i) विद्युत मंत्रालय के त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अधीन 263.70 करोड़ रुपए की ऋण परिव्यय वाली 29 स्कीमें, (ii) ट्रांसफार्मर और मीटरों जैसे आवश्यक उपस्करों के अधिष्ठापन के जरिए संवितरण प्रणाली में निवेश वित्तपोषण के लिए 825.78 करोड़ रुपए की ऋण सहायता वाली 25 स्कीमें, (iii) निम्न वोल्टता संवितरण (एलवीडी) के उच्च वोल्टता संवितरण प्रणाली (एचवीडीएस) में परिवर्तन के लिए 1569.35 करोड़ रुपए की ऋण सहायता वाली 62 स्कीमें, और (iv) पारेषण नेटवर्क के सुधार के लिए 1234.89 करोड़ रुपए की 45 स्कीमें शामिल हैं।

9.4 विद्युत उत्पादन परियोजना

वर्ष के दौरान निगम ने 14 नई विद्युत परियोजनाएं (आर एण्ड एम परियोजनाओं सहित) और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ कंसोर्टियम वित्त पोषण सहित 6006.04 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 3 अतिरिक्त ऋणों के लिए मंजूरी प्रदान की है। वर्ष 2002–03 से लेकर 31 मार्च, 2006 तक कुल मिलाकर आरईसी ने आर एण्ड एम, तापीय और जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए 18220.56 करोड़ रुपए की प्रभावी वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। वर्ष 2005–06 के दौरान आरईसी ने चल रही विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए 1553.45 करोड़ रुपए का संवितरण किया है।

10. पूर्वोत्तर राज्यों में गतिविधियां

10.1 वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए आरईसी ने 46.04 करोड़ रुपए की राशि से उत्तर–पूर्वी राज्यों में दो बड़ी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण स्वीकृत किया है। इस अवधि के दौरान उत्तर–पूर्वी राज्यों में चालू विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए 46.04 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है।

10.2 इस वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों ने पारेषण एवं वितरण कार्यक्रमों के अंतर्गत नई और चालू योजनाओं के अधीन 13.09 करोड़ रुपए की राशि आहरित की, जबकि वर्ष 2004–05 के दौरान 23.13 करोड़ रुपए की राशि आहरित की गई थी। तंत्र सुधार और सघन विद्युतीकरण श्रेणी के अंतर्गत अरूणाचल प्रदेश और नगालैंड के लिए 4.181 करोड़ रुपए के ऋण परिव्यय वाली 3 योजनाएं स्वीकृत की गई थी।

11. समझौता ज्ञापन (एमओयू)

11.1 भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के साथ वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार निगम के कार्यनिष्पादन को 'उत्कृष्ट' की श्रेणी प्रदान की गई है। निगम को वर्ष 1993–94 से, जब सरकार के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, लगातार 12वें वर्ष 'उत्कृष्ट' की श्रेणी प्रदान की गई है।

11.2 वर्ष 2005–06 के लिए भी निगम 'उत्कृष्ट' की श्रेणी प्राप्त करने की स्थिति में है। निगम ने सभी कार्यनिष्पादन सूचकों के संबंध में 'उत्कृष्ट' श्रेणी के लिए लक्ष्यों को प्राप्त/पार कर लिया है। निगम ने नई स्वीकृतियों और संवितरण में नए लक्ष्य प्राप्त किए हैं।

12 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास

12.1 ग्रामीण बिजली वितरण सहायता परियोजना हेतु जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को–ऑपरेशन (जेबीआईसी) सहायता

12.1.1 आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में उप केन्द्रों की संख्या में 510 की वृद्धि तथा 749 नए 33/11 केवी उपकेन्द्रों के उत्थापन वाली आरईसी की ग्रामीण बिजली वितरण सहायता (आरईडीबी) परियोजना हेतु ओडीए ऋण पैकेज के अंतर्गत 21 बिलियन येन (822 करोड़ रुपए) की ऋण सहायता हेतु जेबीआईसी के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह ऋण सहायता 2006–07 से आगे के लिए उपलब्ध होगी।

12.1.2 इस परियोजना के उद्देश्य विद्यमान अधिक भार वाली प्रणाली में राहत देकर उप–पारेषण प्रणाली में सुधार लाना तथा पारेषण एवं संवितरण हानियों को कम करना है। इसके अतिरिक्त उपकेन्द्रों का निर्माण करके तथा उनकी संबद्ध लाइनों की संख्या बढ़ाकर अविद्युतीकृत आवासों तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए अन्य ग्रामीण भार स्थलों के लिए बिजली की उपलब्धता का विस्तारण करना ताकि स्थानीय निवासियों के जीवन–स्तर में सुधार हो और संबंध क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिले।

12.2 एपीएसपीडीसीएल की एचवीडीएस परियोजना हेतु भारत–जर्मनी द्विपक्षीय सहयोग

चितूर और कड़प्पा जिलों के लिए आंध्रप्रदेश सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीएसपीडीसीएल) की एचवीडीएस प्रणाली के आरईसी के परियोजना प्रस्ताव का इंडो–जर्मन द्विपक्षीय सहयोग के अंतर्गत 70 मिलियन यूरो (416 करोड़ रुपए) की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केएफडब्ल्यू जर्मनी द्वारा अनुमोदन कराया गया है। केएफडब्ल्यू इसे अन्य राज्यों की एचवीडीएस परियोजनाओं के वित्तपोषण के कार्यक्रम के रूप में मानते हुए इस परियोजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के लिए सहमत हो गया है। कार्यक्रम की सफलता पर निर्भर करते हुए, केएफडब्ल्यू अनुवर्ती वर्षों में एचवीडीएस कार्यक्रम के लिए काफी अधिक आबंटन पर विचार कर सकता है।

12.3 स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम)

विद्युत मंत्रालय ने विद्युत संवितरण के क्षेत्र (अर्थात एलटी से एचटी परिवर्तन – एचवीडीएस और कृषि फीडरों का आवासी फीडरों से पृथक्करण) में ऊर्जा कुशलता परियोजनाओं के संबंध में सीडीएम संवर्धन के लिए आरईसी को उत्तरदायी नोडल अभिकरण के रूप में पदनामित किया है। आरईसी सीडीएम हेतु ऐसी परियोजना तैयार करने के लिए विशेषज्ञों के माध्यम से राज्य विद्युत यूटिलिटियों/डिस्कॉम को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रस्तावित करने और परियोजना प्रर्वत्तकों के साथ उचित लागत/राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्थाएं निश्चित करने के लिए योजनाएं बना रहा है।

12.4 आरईसी – आरयूएस सहयोग

12.4.1 आरईसी–आरयूएस सहयोग प्रयासों के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण यूटिलिटियों के वित्तपोषण हेतु एक वैकल्पिक वित्तपोषण मॉडल विकसित किया जा रहा है, ताकि सामुदायिक स्वामित्व के विकास के माध्यम से उन्हें दीर्घावधि में व्यवहार्य और मजबूत बनाया जा सके। इस वित्तपोषण मॉडल को आरयूएस से तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन के साथ भविष्य में प्रतिकृति के लिए आरईसी द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली कुछेक पायलट परियोजनाओं के माध्यम से परीक्षण और अंतिम रूप दिया जाना है।

12.4.2 इस प्रयास के भाग के रूप में परियोजना क्रियान्वयनकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधन संबंधी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं से साक्षात्कार करवाकर क्षमता निर्माण उपाय आरंभ किए जाएंगे।

13. सूचना प्रौद्योगिकी

13.1 सूचना प्रौद्योगिकी आधारित व्यवसाय प्रक्रिया आरंभ करने के लिए पहल

उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) संगठन को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है और इससे उसकी व्यापार पद्धतियों में सुधार आता है। यह प्रक्रियाओं को इष्टतम करके तथा सभी कार्यों में अनुशासन लागू करके प्रणालियों और प्रक्रियाओं की व्यवस्थित जांच करता है। ईआरपी के माध्यम से व्यवसाय संबंधी कार्य एकीकृत किए जाते हैं और ऑन–लाइन सहयोग माध्यमों के प्रयोग द्वारा उद्यम–वार सूचना भागीदारी संभव हो जाती है।

निगम के प्रमुख कार्य संबंधी क्षेत्रों का कंप्यूटरीकरण करने के लिए ईआरपी का क्रियान्वयन आरंभ करने और प्रबंधन एवं सूचना हेतु निर्णयगत सहायता प्रदान करने के लिए एकीकृत प्रणाली से आंकड़ों के अनवरत प्रवाह के साथ इन कार्यात्मक क्षेत्रों हेतु एक मजबूत एमआईएस प्रणाली भी विकसित करने के लिए निर्णय किया गया है।

13.2 सूचना प्रौद्योगिकी आधारित संरचना को मजबूत बनाना

सूचना प्रौद्योगिकी आधारित संरचना को मजबूत बनाने के लिए वर्ष के दौरान निगम मुख्यालय में 95 नवीनतम कंप्यूटर और परियोजना कार्यालयों में 43 पीसी खरीदे गए, ताकि सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कार्यों को सुविधाजनक बनाया जा सके और एलएएन (लेन) ढांचे तथा वेब पहुंच के माध्यम से आंतरिक तौर पर विकसित अनुप्रयोग पैकेजों का अधिकतम उपयोग किया जा सके।

14. केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान, हैदराबाद की गतिविधियां

14.1 वर्ष 2005–06 के दौरान, आरईसी के हैदराबाद स्थित केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान ने कुल 26 कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें 9 ओपन कार्यक्रम, वितरण सुधार विकास एवं प्रबंधन के (डीआरयूएम) अधीन 12 प्रायोजित कार्यक्रम, 3 आंतरिक कार्यक्रम लोक उद्यम संस्थान के साथ एक संयुक्त कार्यक्रम और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। ओपन कार्यक्रमों में बिजली की चोरी, तकनीकी और विधिक उपाय, मीटर और बिल प्रवृत्तियां और विकास, विद्युत आपूर्ति वार्षिक लेखाकरण नियम (एस्सार) और सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांत (जीएपीपी) के संदर्भ में विद्युत क्षेत्रक लेखाकरण, बिजली अधिनियम, 2003 – पारेषण एवं वितरण तक खुली पहुंच – मुद्दे और चुनौतियां, विद्युत क्षेत्र में कानूनी पहलू, इष्टतम कार्यनिष्पादन हेतु विद्युत एवं संवितरण ट्रांसफार्मर, विद्युत क्रय करार, संवितरण स्वतःकरण, भार प्रबंधन और एससीएडीए (स्काडा), विद्युत विपणन एवं प्रशुल्क क, ख, ग परिदृश्य शामिल हैं।

14.2 प्रायोजित कार्यक्रमों (डीआरयूएम) के अंतर्गत, सीआईआरई ने संवितरण हानि में कमी संबंधी सर्वोत्तम पद्धतियों पर 4 कार्यक्रम, कृषि पंपसेटों एवं ग्रामीण डीएसएम में सर्वोत्तम पद्धतियों पर 3 कार्यक्रम और संवितरण प्रणाली, प्रचालन एवं अनुरक्षण, संवितरण व्यवसाय का वित्तीय प्रबंध, संवितरण व्यवसाय एवं डीएसएम, ग्राहक संतुष्टि, संचार एवं पहुंच और ग्रामीण विद्युत आपूर्ति तथा सहभागी मॉडलों में सर्वोत्तम पद्धतियों पर, प्रत्येक में एक–एक कार्यक्रम आयोजित किया। संवितरण हानियों में कमी संबंधी सर्वोत्तम पद्धतियों पर कार्यक्रम परिसर से बाहर रांची, गुवाहाटी और अगरतल्ला में आयोजित किया गया।

14.3 सीआईआरई ने प्रबंध संबंधी कार्यक्रम संयुक्त रूप से आयोजित करने के लिए लोक उद्यम संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन निष्पन्न किया गया है और वित्तीय प्रबंध के लिए उद्यम संसाधन आयोजना पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है।

14.4 आरईसी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आंतरिक कार्यक्रमों में ऊर्जा संरक्षण जागरूकता, विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का मूल्यांकन और आरईसी के कर्मचारियों के लिए हिंदी अनुवाद कार्यक्रम शामिल है।

आईटीईसी/एससीएएपी के अधीन सीआईआरई को पैनल में रखना

14.5 प्रथम बार संस्थान को विदेशी नागरिकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु विदेश मंत्रालय के अधीन इंडियन टेक्निकल एंड इक्नॉमिक को–ऑपरेशन (आईटीईसी)/विशेष राष्ट्रमंडल अफ्रीका सहायता योजना (एससीएएपी) के अंतर्गत पैनल में शामिल किया गया है। फरवरी/मार्च, 2006 के दौरान विद्युत संवितरण परियोजना वित्तपोषण और लेखा प्रणाली पर 8 सप्ताह की अवधि का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिम्बाब्वे, तुर्की, घाना, सीरिया और भूटान से 15 सहभागियों ने भाग लिया।

केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान के भवन का सौंदर्यकरण

14.6 निगम ने आधारभूत सुविधाएं सुधारने के लिए के.लो.नि.वि. के माध्यम से लगभग 2.64 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय पर परिसर भवन को सुन्दर बनाने का कार्य आरंभ किया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है और पूरा होने के अंतिम चरण में है। इसमें प्रशासनिक एवं शिक्षण खंडों में कार्य, जॉगिंग पथ तैयार करने, परिसर में भू–दृश्य निर्माण के अलावा 36 कमरों और भोजन कक्ष का नवीकरण एवं वातानुकूलन शामिल हैं।

15. मानव संसाधन विकास

15.1 वर्ष 2005–06 के दौरान आरईसी के कार्यपालकों का व्यावसायीकरण करने और नए लोगों को शामिल करने के लिए खुले विज्ञापन के माध्यम से आरईसी में 52 कार्यपालक नियुक्त किए गए। वित्तीय वर्ष 2005–06 की समाप्ति अर्थात 31.3.2006 को कुल जनशक्ति 707 थी, जिसमें 304 कार्यपालक और 403 गैर–कार्यपालक शामिल थे।

15.2 वर्ष 2005–06 के दौरान, देश के विभिन्न भागों और विदेशों में प्रतिष्ठित संस्थाओं/निकायों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए निगम ने 199 कर्मचारियों को प्रायोजित किया। इसके अलावा, जनवरी, 2006 में नव नियुक्त अधिकारियों के लिए एक 10 दिवसीय अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। मार्च, 2006 के दौरान निगम के तीन अधिकारियों को एओटीएस गुणवत्ता प्रबंध कार्यक्रम के अंतर्गत जापान (ओसाका) में दो सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था।

16. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की विभिन्न पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति के लिए सरकार द्वारा जारी आरक्षण संबंधी नियमों का अनुपालन किया गया। 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या में से अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के समूहवार विवरण **सारणी–12** में दिए गए हैं।

17. औद्योगिक संबंध

निगम में सभी स्तरों पर औद्योगिक संबंध स्वस्थ, सद्भावना और मैत्रीपूर्ण बने रहे। कर्मचारियों में टीम भावना पैदा करने और उन्हें अपनी क्षमता के पूर्ण विकास के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास किए गए।

18. कर्मचारी कल्याण

वर्ष के दौरान कर्मचारियों के कल्याण का पूरा ध्यान रखा गया तथा कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए गए, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

– कार्यपालक और गैर–कार्यपालक सभी कर्मचारियों को वर्दियां प्रदान की गई।

– वर्ष 2005–06 के दौरान निगम मुख्यालय और परियोजना कार्यालयों में सीधे भुगतान की योजना के अधीन नियमित एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों के इंडोर इलाज के लिए पैनलबद्ध मौजूद 37 अस्पतालों के अलावा तीन और अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है, जो कि निम्नलिखित हैं :–

1. पुष्पावती सिंघानिया रिसर्च इंस्टीट्यूट,
   प्रेस एन्क्लेव मार्ग,
   शेख सराय, फेज–II,
   नई दिल्ली–110 017
   09.03.2006 से

2. सेंट ईसाबेल हास्पीटल,
   49 ऑलिवर रोड,
   मायलापुर, चेन्नै–600 004
   10.02.2006 से

3. केरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस (केआईएमएस), त्रिवेन्द्रम
   10.02.2006 से

19. कार्मिक

निगम ने पूरे वर्ष में और या उसके अंश के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति नियुक्त नहीं किया, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अधीन 24 लाख रुपए प्रतिवर्ष या 2 लाख रुपए प्रतिमाह से अधिक पारिश्रमिक ले रहा हो।

20. जन शिकायत निवारण तंत्र

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निगम ने अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा करने हेतु एक शिकायत निवारण समिति गठित की है। समिति का कार्यक्षेत्र लोक शिकायतों के लिए भी बढ़ा दिया गया है। निगम मुख्यालय और परियोजना कार्यालयों के प्रभागाध्यक्षों द्वारा शिकायतें सुनने के लिए सप्ताह में एक दिन "बैठक दिन" के रूप में निश्चित किया गया है।

21. महिला एकक

महिला कर्मचारियों से संबंधित मामलों की देख–रेख के लिए एक महिला एकक प्रचालनरत है।

22. सतर्कता कार्यकलाप

22.1 आरईसी का सतर्कता प्रभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी (कार्यकारी निदेशक के रैंक में) के प्रभार में संगठन में सत्यनिष्ठा स्थापित करने, प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों से संबंधित मामलों में न्यायपूर्ण तरीके से शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुशासन लागू करने के लिए लगातार प्रयास रत रहा है।

22.2 आरईसी का सतर्कता संगठन आरईसी के निगम मुख्यालय में स्थित है और इसमें मुख्य सतर्कता अधिकारी के अलावा दो सतर्कता अधिकारी कार्यरत हैं।

22.3 परहेज इलाज से बेहतर होता है, इसलिए निगम निवारात्मक सतर्कता, प्रणाली और पद्धतियों को व्यवस्थित और मजबूत बनाने पर बल देना जारी रखे हुए है। निगम के मुख्यालय और निगम के परियोजना कार्यालयों में दिनांक 7.11.2005 से 11.11.2005 तक आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान इस संदेश पर विशेष रूप से जोर दिया गया।

22.4 इस वर्ष के दौरान, सतर्कता मामलों से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए निगम के दो मध्यम स्तरीय कार्यपालकों को सीबीआई अकादमी, गाजियाबाद में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

22.5 निर्धारित आवधिक सांख्यिकी विवरणियां मुख्य सतर्कता आयुक्त, सीबीआई और विद्युत मंत्रालय को समय पर भेजी गई। केंद्रीय सतर्कता आयोग से समय–समय पर प्राप्त अनुदेशों का भी अनुपालन किया गया।

22.6 कार्यस्थल पर निगरानी के उपाय के रूप में सतर्कता प्रभाग के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय (फील्ड आफिस) में नियमित रूप से निरीक्षण किए गए और अचानक जांच भी की गई। कर्मचारियों की वार्षिक संपत्ति विवरणी की विधिवत जांच की गई और जहां आवश्यक हुआ स्पष्टीकरण मांगे गए तथा आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देश दिए गए। सतर्कता प्रभाग ने पद्धति संबंधी असफलताओं को देखने के बाद कार्यालय प्रणालियों को व्यवस्थित और मजबूत बनाने के लिए उपाय किए। रिकार्डों का सही रख–रखाव करने और फाइल प्रणाली के संबंध में अनुदेश जारी किए गए। समयनिष्ठा बनाए रखने और कार्यालय समय का पालन करने के लिए भी अनुदेश जारी किए गए। इसके परिणामस्वरूप कार्यालय में समयनिष्ठा का पालन किया जा रहा है और रिकार्ड भी सही प्रकार से रखे जा रहे हैं। इस प्रकार, सतर्कता प्रभाग ने संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाई है।

22.7 केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की स्थानीय शाखाओं के साथ गहन विचार–विमर्श के पश्चात दिल्ली स्थित अपने निगम मुख्यालय सहित आरईसी के सभी 18 परियोजना कार्यालयों/प्रशिक्षण संस्थानों के संबंध में सहमत सूचियों को अंतिम रूप दिया गया है। संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले कर्मचारियों की सूची बनाई गई।

22.8 मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार सतर्कता प्रभाग के कार्यनिष्पादन की समीक्षा – आर ई सी के प्रबंध निदेशक, मुख्य सतर्कता अधिकारी – विद्युत मंत्रालय तथा मुख्य सतर्कता आयुक्त के द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त आरईसी के निदेशक मंडल द्वारा अर्द्ध वार्षिक समीक्षा की गई और आरईसी के केंद्रीय सतर्कता अधिकारी द्वारा लगातार समीक्षाएं की गई।

23. हिंदी का प्रगामी प्रयोग

23.1 निगम भारत सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के लिए वचनबद्ध है ताकि इसके कार्यालय में दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

23.2 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से प्राप्त वर्ष 2005–06 के वार्षिक कार्यक्रम पर दिनांक 15.6.2005 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में विचार–विमर्श

किया गया ताकि भारत सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी के सरल और व्यवस्थित क्रियान्वयन और अधिकाधिक प्रयोग के लिए एक कार्य योजना भी बनाई गई और वार्षिक कार्यक्रम, 2005–06 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गहन प्रयास किए गए। इस संबंध में दिनांक 14.9.2005 से 28.9.2005 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया, जिसके दौरान 9 हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और विजेताओं को हिंदी साहित्य की पुस्तकें, नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। पहली बार ''हिंदी वाद–विवाद'' और ''हिंदी में काम के प्रति वरिष्ठ अधिकारियों का योगदान'' जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें कार्यकारी निदेशक स्तर तक के अधिकारियों ने भाग लिया।

23.3 नीति निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 6 परियोजना कार्यालयों और निगम मुख्यालय में 8 प्रभागों के निरीक्षण किए गए। इसके अलावा, राजभाषा संबंधी मसौदा और साक्ष्य उप–समिति ने जम्मू और गुवाहाटी स्थित आरईसी के परियोजना अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया। हिंदी के संवर्द्धनात्मक प्रयोग के लिए भारत सरकार की सभी प्रोत्साहन योजनाएं आरईसी में क्रियान्वित की जा रही हैं।

23.4 निगम ने दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रयास किए हैं। इस संदर्भ में, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की मुख्यालय में तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। छह हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें 88 कर्मचारियों और 79 अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो (सीटीबी) ने सीआईआरई, हैदराबाद में 21 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें निगम मुख्यालय और परियोजना कार्यालयों के 18 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। राजभाषा विभाग ने हिंदी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किया था, जोकि एनपीटीआई, फरीदाबाद में आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 20 अधिकारी नामित किए गए थे।

23.5 वर्ष के दौरान, तिरूवनंतपुरम स्थित निगम का परियोजना कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के उपनियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किया गया। निगम मुख्यालय सहित अब 11 कार्यालयों को इस नियम के अधीन अधिसूचित किया जा चुका है। तिरूवनंतपुरम स्थित परियोजना कार्यालय को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तिरूवनंतपुरम द्वारा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। पुस्तकालय के लिए आबंटित बजट का लगभग 76% वर्ष के दौरान हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया गया।

24. निगम सुशासन का अनुपालन

24.1 निगम द्वारा जारी कुछ ऋण प्रतिभूतियों और बांडों को निजी कंपनियों को कार्य सौंपे जाने के आधार पर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। निगम पहले निगमित सुशासन से संबंधित सामान्य सूचीकरण करार के लागू खंड 49 का अनुपालन कर रहा था। तथापि, ऋण प्रतिभूतियों के सूचीकरण के लिए आदर्श सूचीकरण करार लागू करने हेतु सेबी द्वारा दिनांक 1.11.2004 को जारी परिपत्र के बाद निगम को कंपनियों पर यथा लागू आदर्श सूचीकरण करार के खंडों 1 और 3 का अनुपालन करना अपेक्षित है, जिनके डिबेंचर/बांड केवल निजी तौर पर अनुबंध दिए जाने के आधार पर जारी किए जाते हैं। तदनुसार, निगम ने आदर्श सूचीकरण करार के लागू खंडों 1 और 3 का अनुपालन करने के लिए पर्याप्त उपाए किए हैं।

24.2 आदर्श सूचीकरण करार के खंड 3.5 के अनुसार आदर्श सूचीकरण करार के खंड 2.18 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं, सिफारिश किस्म की हैं और इन्हें जारीकर्ता कंपनी के विवेक के अनुसार क्रियान्वित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कंपनी इन्हें अपनाए जाने हेतु, यदि कोई है, अपनी वार्षिक रिपोर्ट अथवा ऐसे अन्य दस्तावेज में प्रकट करने के लिए सहमत है। निगम ने करार के खंड 2.18 को औपचारिक तौर पर न अपनाने का निर्णय किया है, लेकिन फिर भी कंपनी निगमित सुशासन की अपेक्षाओं का

पालन करना जारी रखे हुए है और इसके साथ–साथ खंड 2.18 में उल्लिखित अतिरिक्त अपेक्षाओं का एक चरणबद्ध तरीके से अनुपालन करने के प्रयास कर रही है। तद्नुसार, प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट **अनुबंध–2**, निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट **अनुबंध–3** और एक अनुभवी कंपनी सचिव द्वारा निगमित सुशासन पर जारी प्रमाणपत्र **अनुबंध–4** के रूप में संलग्न हैं।

25. निदेशक मंडल

श्री अजय शंकर, एक अंशकालिक सरकारी निदेशक और अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय दिनांक 6.9.2005 से आरईसी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नहीं रहे हैं। इस समय आरईसी के निदेशक मण्डल में पांच निदेशक हैं, अर्थात श्री ए.के. लखीना, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, श्री एच.डी. खुंटेटा, निदेशक (वित्त), श्री बाल मुकंद, निदेशक (तक.) पूर्णकालिक निदेशक के रूप में और श्री अरविन्द जाधव तथा श्री एम. साहू अंशकालिक सरकारी निदेशकों के रूप में शामिल हैं।

26. सांविधिक लेखा परीक्षक

26.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मैसर्स जी.एस. माथुर एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट को वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए निगम के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

26.2 सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के खातों की समीक्षा की। लेखा परीक्षकों की 1 जून, 2006 की रिपोर्ट के साथ उक्त वर्ष के लेखा परीक्षित खाते एवं नकदी प्रवाह विवरण, नॉन–बैंकिग फाइनेंशियल कंपनियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित **अनुबंध इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं**।

26.3 लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(3) के अंतर्गत अपेक्षित आरईसी के प्रबंधन वर्ग का पैरावार उत्तर **इस रिपोर्ट के अनुशेष के रूप में संलग्न है**।

27. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां और उन पर निगम का उत्तर तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निगम के उक्त खातों की समीक्षा **इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है**।

28. आभार

28.1 निगम, भारत सरकार विशेष रूप से विद्युत एवं वित्त मंत्रालय, योजना आयोग तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सहयोग और लगातार सहायता के लिए आभारी है।

28.2 निदेशकगण, राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य विद्युत संगठनों और भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा अन्य उधारकर्ताओं को निगम में उनके द्वारा लगातार रूचि दिखाने के लिए धन्यवाद देते हैं।

28.3 निदेशकगण, आरईसी के पूंजी जुटाने के कार्यक्रम में सम्मानित निवेशकों, बैंकों और भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिए गए अनवरत सहयोग और विश्वास प्रकट करने की सराहना करते हैं।

28.4 निदेशक गण, निगम, सांविधिक लेखा परीक्षक मैसर्स जी.एस. माथुर एण्ड कंपनी तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भी उनके महत्वपूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

28.5 निदेशकगण, निगम के कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनकी प्रशंसा और सराहना करते हैं, जिनके कारण पिछले वर्ष की तरह इस बार भी उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण कार्यनिष्पादन प्राप्त किया जा सका।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अनिल कुमार लखीना

(ए.के. लखीना)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांकः 30.8.2006
स्थानः नई दिल्ली

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

भारत सरकार ने सभी आवासों को बिजली देने तथा ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) को पूरा करने के लिए ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाएं एवं आवास विद्युतीकरण की योजना (आरजीजीवीवाई) अप्रैल, 2005 में शुरू की गई। आरजीजीवीवाई स्कीम प्रारंभ में एकल नोडल एजेंसी अर्थात आरईसी के जरिए कार्यान्वित की जा रही है। आरईसी द्वारा शुरू की गई यह योजना सबसे अधिक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। मोटे तौर पर यह ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए है परन्तु इससे ग्रामीण भारत का समग्र विकास होगा। वर्ष के दौरान आरईसी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तरांचल एवं कर्नाटक राज्यों में रिकार्ड 10169 गांवों में ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया।

स्कीम का जोर केवल गांवों का विद्युतीकरण करना ही नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के आवासों सहित सभी ग्रामीण आवासों को बिजली पहुँचाना तथा कृषि एवं सिंचाई पंपसेट, लघु मध्यम उद्योगों, खादी एवं ग्राम उद्योग, कोल्ड चेन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा एवं आईटी सहित अन्य गतिविधियों की अपेक्षाओं को पूरा करना भी है। इससे समग्र ग्रामीण विकास, नए रोजगार अवसरों का सृजन तथा परिणाम स्वरूप गरीबी उन्मूलन में सुविधा होगी।

आरईसी को आशा है कि वह अगले तीन वर्षों के अन्दर 2009 तक भारत के सभी गांवों में ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर देगा। इस कार्यक्रम का आकार एवं मात्रा अभूतपूर्व है। निस्संदेह निगम अपवादात्मक कार्य निष्पादित करने के लिए प्रेरित करेगा।

अनुबंध—I

आरजीजीवीवाई योजना की मुख्य विशेषताएं

1. इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की समग्र लागत की 90% पूंजी, सब्सिडि के रूप में दी जाएगी।

2. राज्यों को विद्युत आपूर्ति की पर्याप्त व्यवस्थाएं करनी होंगी तथा ग्रामीण एवं शहरी आवासों के बीच आपूर्ति के घंटों में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए।

3. योजना के अधीन परियोजनाओं को पूंजी सब्सिडि की पात्रता के लिए परियोजनाओं की स्वीकृति से पूर्व राज्यों से निम्न प्रतिबद्धताएं प्राप्त करनी होंगी:

   (क) इस योजना के अधीन वित्तपोषित परियोजनाओं में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिए फ्रैंचाइजियों की नियुक्ति, एवं

   (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन राज्य संगठनों को अपेक्षित राजस्व सब्सिडि का प्रावधान अपेक्षानुसार है।

4. इस योजना के अधीन परियोजनाओं को पूंजी सब्सिडि के साथ निम्न प्रावधान करने के लिए वित्तपोषित किया जा सकता है:—

   (क) ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी)

   - ब्लाकों में उपयुक्त क्षमता एवं लाईनों के साथ 33/11 केवी (या 66/11 केवी) उप—केंद्रों और लाईनों का प्रावधान, जहां ये विद्यमान नहीं है।

   (ख) ग्राम विद्युतीकरण बुनियादी सुविधाओं (वीईआई) का सृजन

   - अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण।
   - अविद्युतीकृत वास स्थलों का विद्युतीकरण।

   (ग) विद्युतीकृत गांवों / आवासों में उपयुक्त क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था

   (घ) विकेंद्रित वितरित उत्पादन (डीडीजी) एवं आपूर्ति

   - उन गांवों, जहां ग्रिड संयोजन व्यवहार्य नहीं है अथवा किफायती नहीं है, के लिए परंपरागत स्रोतों से विकेंद्रीकृत विद्युत उत्पादन एवं संवितरण, बशर्ते कि यह अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली प्रदान करने के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के 25000 गांवों के अपने सुदूर ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम में शामिल नहीं है।

5. आरईडीबी, वीईआई और डीडीजी कृषि एवं निम्नलिखित अन्य गतिविधियों की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा:—

   - सिंचाई पंपसेट
   - लघु एवं मध्यम उद्योग
   - खादी एवं ग्राम उद्योग
   - कोल्ड चेन
   - स्वास्थ्य देख—भाल
   - शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी

   यह समग्र ग्रामीण विकास, रोजगार के सृजन एवं गरीबी उन्मूलन में सहायक होगा।

6. सभी ग्रामीण बस्तियों में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के अविद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण करने के लिए कुटीर ज्योति कार्यक्रम के मानकों के अनुसार उन्हें 100% पूंजी सब्सिडि से वित्तपोषित किया जाएगा। गरीबी रेखा से ऊपर के आवासों के स्वामियों को अपने कनेक्शन लेने के लिए निर्धारित कनेक्शन प्रभार का भुगतान करना होगा तथा इस प्रयोजन के लिए कोई सब्सिडि उपलब्ध नहीं होगी।

7. फ्रैंचाइजी, जो गैर सरकारी संगठन (एनजीओ), उपभोक्ता संघ, सहकारी समितियां या व्यक्तिगत उद्यमी हो सकते हैं, के जरिए ग्रामीण वितरण के प्रबंधन में, पंचायत संस्थानों को संबद्ध किया जाएगा। फ्रैंचाइजी व्यवस्था उप–केंद्र से और उससे बाहर अथवा वितरण ट्रांसफार्मर और वहां से फीडरों की प्रणाली के लिए की जा सकती है।

8. उपभोक्ता–मिश्र और वर्तमान उपभोक्ता प्रशुल्क तथा संभावित भार के आधार पर फ्रैंचाइजी के लिए बल्क आपूर्ति प्रशुल्क (बीएसटी) का निर्धारण फ्रैंचाइज की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने पर किया जाएगा। जहां संभव हो, बीएसटी निर्धारण के लिए बोली प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। यह बल्क आपूर्ति प्रशुल्क राज्य यूटिलिटियों के अपनी राजस्व आवश्यकताओं और प्रशुल्क निधारण के लिए राज्य बिजली विनियामक आयोगों (एसईआरसी) को प्रस्तुत अनुरोधों में पूरी तरह शामिल किया जाएगा। बिजली अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य यूटिलिटियों को आवश्यक राजस्व आर्थिक सहायता प्रदान करना अपेक्षित है। यदि वह उपभोक्ताओं की किसी श्रेणी के लिए प्रशुल्क को एसईआरसी द्वारा निर्धारित प्रशुल्क से निम्नतर रखना चाहती है। इस स्कीम को लागू करने से पहले राज्य सरकार से निम्नलिखित के संबंध में पूर्व–वचनबद्धताएं ली जानी चाहिए :–

(क) फ्रैंचाइजियों के लिए थोक आपूर्ति शुल्क का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि उनकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो सके।

(ख) जैसा कि विद्युत अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है, राज्य संगठनों को राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित राजस्व सब्सिडि का प्रावधान।

9. इस योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं के लिए पूंजी सब्सिडि आरईसी के माध्यम से दी जाएगी। ये पात्र परियोजनाएं उपर्युक्त दर्शाई गई शर्तों को पूरा करने के बाद कार्यान्वित की जाएगी। उपर्युक्त शर्तों के अनुसार यदि परियोजनाएं संतोषजनक रूप से कार्यान्वित नहीं की जातीं तो पूंजी सब्सिडि को ब्याज वाले ऋण में परिवर्तित किया जा सकता है।

सारणी–1 आरजीजीवीवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना, जारी एनआईटी और दिए गए ठेके का विवरण

31.3.06 की स्थिति के अनुसार

राशि लाख रुपए में

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाएं: परियोजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	शामिल अविद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल आवासों की संख्या	कुल परियोजना लागत	जारी एनआईटी: परियोजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	शामिल अविद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल आवासों की संख्या	कुल परियोजना लागत	दिए गए ठेके: परियोजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	शामिल अविद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल विद्युतीकृत गांवों की संख्या	शामिल आवासों की संख्या	कुल स्वीकृत परियोजना लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	पं० बंगाल	13	13	4283	-	145918	38503.56	12	12	4280	-	145803	38473.75	12	12	4280	-	145855	38473.75
2	उत्तर प्रदेश	60	63	29276	-	1104105	215164.26	60	63	29276	-	1104105	215164.26	60	63	29276	-	1104105	215164.26
3	बिहार	23	24	14730	-	771655	128770.07	23	24	14730	-	771655	128770.07	12	12	9188	-	370943	81727.23
4	राजस्थान	8	8	472	-	12433	3109.76	8	8	470	-	12433	3109.76	6	6	434	-	11429	2837.84
उप–जोड़ (1-4)		**104**	**108**	**48761**	**-**	**2034111**	**385547.65**	**103**	**107**	**48756**	**-**	**2033996**	**385517.84**	**90**	**93**	**43178**	**-**	**1632332**	**338203.08**
5	केरल	7	7	-	373	227320	22175.75	7	7	-	373	227320	22175.75	-	-	-	-	-	-
6	उत्तरांचल	4	4	437	4026	88475	22059.38	4	4	437	4026	88475	22059.38	4	4	437	4026	88475	22059.38
7	हरियाणा	6	6	-	1820	205646	7699.57	6	6	-	1820	205646	7699.57	-	-	-	-	-	-
8	जम्मू और कश्मीर	2	2	46	932	35115	7246.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	मध्य प्रदेश	9	9	115	10152	601765	43062.71	4	4	72	3708	188523	17168.58	-	-	-	-	-	-
10	राजस्थान	17	17	1090	14308	934621	37566.89	17	17	1090	14308	934621	37566.89	10	10	710	8336	569550	23534.45
11	कर्नाटक	17	17	49	21152	1319939	37539.07	17	17	49	21152	1319939	37539.07	17	17	49	21152	1319939	37539.07
12	गुजरात	2	2	-	1857	199032	4692.34	1	1	-	656	75825	1823.59	1	1	-	656	75825	1823.59
13	आंध्र प्रदेश	4	4	-	5485	653430	16095.25	4	4	-	5485	653430	16095.25	-	-	-	-	-	-
14	असम	1	1	350	725	62132	5566.91	1	1	350	725	62132	5566.91	-	-	-	-	-	-
15	हिमाचल प्रदेश	1	1	-	1118	2531	2502.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	महाराष्ट्र	7	7	-	8451	550586	8469.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	पंजाब	1	1	-	962	69125	2297.11	1	1	-	962	69125	2297.11	-	-	-	-	-	-
18	अरुणाचल प्रदेश	1	1	103	232	3510	1948.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	छत्तीसगढ़	2	2	111	1734	163843	8456.31	1	1	-	889	106166	4748.77	-	-	-	-	-	-
20	नगालैंड	2	2	-	198	24056	1606.70	2	2	-	198	24056	1606.70	-	-	-	-	-	-
21	मणिपुर	1	1	133	191	15663	4671.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	मिजोरम	2	2	83	124	15177	3820.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	उड़ीसा	1	1	6	223	27316	4107.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–जोड़ (5-23)		**87**	**87**	**2523**	**74063**	**5199282**	**241583.77**	**65**	**65**	**1998**	**54302**	**3955258**	**176347.57**	**32**	**32**	**1196**	**34170**	**2053789**	**84956.49**
कुल–जोड़ (1-23)		**191**	**195**	**51284**	**74063**	**7233393**	**627131.42**	**168**	**172**	**50754**	**54302**	**5989254**	**561865.41**	**122**	**125**	**44374**	**34170**	**3686121**	**423159.57**

1. उपर्युक्त में बिहार (4 जिले) की 5 परियोजनाएं, उत्तर प्रदेश (2 जिले) की 2 परियोजनाएं शामिल नहीं हैं और आंध्र प्रदेश (13 जिले) की 13 परियोजनाओं को आस्थगित रखा गया।

सारणी–2 आरजीजीवीवाई के अंतर्गत वर्ष 2005–06 के दौरान गांवों का विद्युतीकरण

क्र.स.	राज्य	संचयी उपलब्धि
1	2	3
1	बिहार	1600
2	उत्तर प्रदेश	7503
3	उत्तरांचल	87
4	राजस्थान	230
5	पश्चिम बंगाल	352
7	कर्नाटक	397*
	कुल जोड़	**10169**

* इसमें 350 विद्युतीकृत गांवों में सघनीकरण का कार्य शामिल है ।

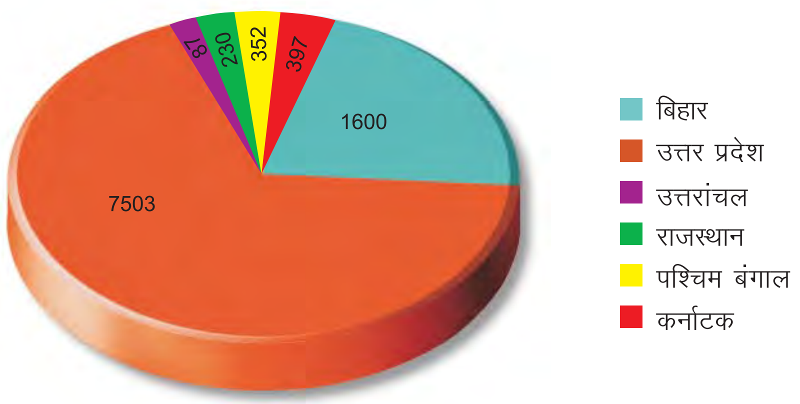

सारणी–3 वर्ष 2005–06 के दौरान ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना'' कार्यक्रम के अधीन आरईसी द्वारा संवितरण

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की अनुमानित लागत	विद्युतीकृत किए जाने वाले गावों की संख्या	विद्युतीकृत किए जाने वाले ग्रामीण आवासों की संख्या	कुल संवितरित राशि	ऋण राशि	कुल पूंजीगत आर्थिक सहायता
1	बिहार	5	38331.41	4387	175576	18173	1817	16356
2	छत्तीसगढ़*					650	-	650
3	झारखंड*					350	-	350
4	कर्नाटक	15	32366.05	17099	1147267	7259	971	6288
5	उड़ीसा*					350	-	350
6	राजस्थान	9	20506.01	7353	483530	4720	615	4105
7	उत्तर प्रदेश	44	176845.77	24390	865760	17265	727	16538
8	उत्तरांचल	4	22059.38	4463	88475	5944	624	5320
9	पश्चिम बंगाल	2	9801.36	1032	40521	93	9	84
	जोड़	82	322157.09	61392	2904881	54804	4763	50041
	गरीबी रेखा से नीचे वाले आवासों को कनेक्शन जारी करने के लिए अनुदान का संवितरण					1412	-	1412
	कुल जोड़					**56216**	**4763**	**51453**

* **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रदत्त अग्रिम।**

सारणी–4: आरईसी द्वारा वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत 2005–06 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं

क्र. सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि लाख रुपए	शामिल पंपसेट	दलित बस्तियां	गांव	आवास
पारेषण एवं वितरण परियोजनाएं							
1	आंध्र प्रदेश	94	133055.12	5748	-	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1	56.55	-	-	-	-
3	गुजरात	13	11663.99	980	-	-	-
4	हरियाणा	1	103.26	-	-	-	-
5	हिमाचल प्रदेश	1	8389.07	-	-	-	-
6	जम्मू एवं कश्मीर	2	786.04	1925	-	-	-
7	कर्नाटक	36	45404.58	-	-	-	-
8	केरल	-	-	-	-	-	-
9	मध्य प्रदेश	8	8352.20	-	-	-	-
10	महाराष्ट्र	120	125400.34	33685	-	-	-
11	नगालैंड	2	361.59	-	-	-	-
12	उड़ीसा	3	4460.00	-	-	-	-
13	पंजाब	2	9252.25	-	-	-	-
14	राजस्थान	180	151109.97	8415	-	-	-
15	तमिलनाडु	80	21532.84	7430	-	-	-
16	उत्तर प्रदेश	13	49557.91	-	-	-	-
17	उत्तरांचल	3	2839.40	-	-	-	-
18	पश्चिम बंगाल	1	4600.90	-	-	-	-
	उप–जोड़	**560**	**576926.01**	**58183**	**-**	**-**	**-**
उत्पादन परियोजनाएं		-	-	-	-	-	-
1	राज्य क्षेत्र	10	385604.60*	-	-	-	-
2	निजी क्षेत्र	4	215000.00	-	-	-	-
	उप–जोड़	**14**	**600604.60**	**-**	**-**	**-**	**-**
ऋण पुनर्वित्तपोषण		-	-	-	-	-	-
1	महाराष्ट्र	-	27000.00	-	-	-	-
	उप–जोड़	**-**	**27000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
लघु अवधि ऋण		-	-	-	-	-	-
1	बिहार	-	5000.00	-	-	-	-
2	गुजरात	-	75000.00	-	-	-	-
3	हरियाणा	-	15000.00	-	-	-	-
4	हिमाचल प्रदेश	-	6000.00	-	-	-	-
5	महाराष्ट्र	-	190000.00	-	-	-	-
6	मध्य प्रदेश	-	20000.00	-	-	-	-
7	राजस्थान	-	10000.00	-	-	-	-
8	उत्तर प्रदेश	-	110000.00	-	-	-	-
	उप–जोड़	**-**	**431000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
आरजीजीवीवाई परियोजनाएं* **		-	-	-	-	-	-
1	आंध्र प्रदेश	4	16095.25	-	-	5485	653430
2	अरुणाचल प्रदेश	1	1948.29	-	-	335	3510
3	असम	1	5566.91			1075	62132
4	छत्तीसगढ़	2	8456.31	-	-	1845	163843
5	गुजरात	2	4692.34	-	-	1857	199032
6	हरियाणा	6	7699.57	-	-	1820	205646
7	हिमाचल प्रदेश	1	2502.36	-	-	1118	2531
8	जम्मू एवं कश्मीर	2	7246.65	-	-	978	35115
9	कर्नाटक	17	37539.07	-	-	21201	1319939
10	केरल	7	22175.75	-	-	373	227320
11	मध्य प्रदेश	9	43062.71	-	-	10267	601765
12	महाराष्ट्र	7	8469.63	-	-	8451	550586
13	मणिपुर	1	4671.1	-	-	324	15663
14	मिजोरम	2	3820.55	-	-	207	15177
15	नगालैंड	2	1606.7	-	-	198	24056
16	उड़ीसा	1	4107.2	-	-	229	27316
17	पंजाब	1	2297.11	-	-	962	69125
18	राजस्थान	17	37566.89	-	-	15398	934621
19	उत्तरांचल	4	22059.38	-	-	4463	88475
	उप–जोड़	**87**	**241583.77**	**-**	**-**	****76586**	**5199282**
	कुल जोड़	661	1877114.34	58183	-	76586	5199282

*** आरजीजीवीवाई परियोजना के अधीन स्वीकृत परियोजना परिव्यय में पूंजीगत आर्थिक सहायता और ऋण शामिल हैं।

** अविद्युतीकृत और विद्युतीकृत, दोनों प्रकार के गांव शामिल हैं ।

* इसमें वर्ष के दौरान 10 नई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के अलावा तीन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत अतिरिक्त ऋण राशि शामिल है!

सारणी–5: आरईसी द्वारा वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत 2005–06 के दौरान श्रेणीवार स्वीकृत परियोजनाएं

क्र. सं.	श्रेणी	श्रेणी कोड	परियोजनाओं की संख्या	(लाख रुपए) ऋण राशि	पंपसेट	शामिल दलित बस्तियां	गांव	आवास
	पारेषण एवं वितरण परियोजनाएं							
1	परियोजना: गहन विद्युतीकरण	पी:आईई	22	5169.88				
2	विशेष परियोजना कृषि: पंपसेट ऊर्जायन	एसपीए:पीई	171	23352.97	58183			
3	परियोजना: तंत्र सुधार	पी:एसआई–वितरण	206	159032.50				
4	परियोजना: तंत्र सुधार	पी:एसआई–वितरण (एचवीडीएस)	62	156934.70				
5	एपीडीआरपी	एपीडीआरपी	29	26369.65				
6	तंत्र सुधार: मीटर (वितरण)	एसआई:मीटर	10	21093.50				
7	तंत्र सुधार: ट्रांफार्मर (वितरण)	एसआई:ट्रांसफार्मर	13	60752.45				
8	परियोजना: तंत्र सुधार	पीएसआई:पारेषण	45	123488.69				
9	तंत्र सुधार : पेनल/केपेसिटर (ट्रांसफार्मर)	एसआई:पेनल/केपेसिटर	2	731.68				
	उप–जोड़		**560**	**576926.01**	**58183**			
10	परियोजना: विद्युत उत्पादन	पीजीईएन	14	600604.60*				
11	ऋण पुनर्वित्तपोषण			27000.00				
12	लघु अवधि ऋण	एसटीएल		431000.00				
13	आरजीजीवीवाई***	पी:आरएचएचई	87	241583.77			76586**	5199282
	कुल जोड़		**661**	**1877114.38**	**58183**		**76586****	**5199282**

*ऋण राशि में 14 नई विद्युत परियोजनाएं और पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के लिए 3 अतिरिक्त ऋण शामिल हैं ।
**अविद्युतीकृत और विद्युतीकृत, दोनों प्रकार के गांव शामिल हैं ।
***आरजीजीवीवाई परियोजना के अधीन स्वीकृत परियोजना परिव्यय में पूंजीगत आर्थिक सहायता और ऋण शामिल हैं ।

सारणी–6: आरईसी परियोजनाओं के अधीन 31.3.2006 तक गत 36 वर्षों के दौरान कुल मिलाकर राज्यवार मंजूरी

(लाख रुपए)

क्र.स.	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	मंजूर ऋण राशि
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	5776	1476440
2	अरुणाचल प्रदेश	211	120185
3	असम	420	38911
4	बिहार	1732	229038
5	छत्तीसगढ़	20	281256
6	दिल्ली	8	48140
7	गोवा	16	2007
8	गुजरात	1896	683604
9	हरियाणा	1315	231845
10	हिमाचल प्रदेश	455	156846
11	जम्मू एवं कश्मीर	531	150717
12	झारखंड	13	240
13	कर्नाटक	2804	600533
14	केरल	1744	446741
15	मध्य प्रदेश	5198	419428
16	महाराष्ट्र	5333	1013710
17	मणिपुर	147	25367
18	मेघालय	106	44751
19	मिजोरम	62	17158
20	नगालैंड	96	12477
21	उड़ीसा	1642	161448
22	पंजाब	1467	642522
23	राजस्थान	3544	753100
24	सिक्किम	36	2910
25	तमिलनाडु	3474	421350
26	त्रिपुरा	177	50148
27	उत्तर प्रदेश	3119	730065
28	उत्तरांचल	71	246943
29	पश्चिम बंगाल	1451	448669
30	डीवीसी	1	48726
31	निजी उत्पादन	15	337543
32	सीसीआई–निजी पार्टी	-	1519
33	नीपको	-	10000
	कुल जोड़	**42880**	**9854337**

सारणी-7: वर्ष 2005-06 के दौरान राज्यवार एवं कार्यक्रमवार संवितरण एवं कर्जदारों द्वारा अदायगी और 31.3.2006 को बकाया राशि दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए)

क्र. स.	उधारकर्ताओं के नाम	कार्यक्रमवार संवितरण													उत्पादन						वर्ष के अंत तक संवितरित राशि	अदायगी		वर्ष के अन्त तक बकाया 31 मार्च, 06 (22-24)
		पी:आईई/ ओए	पी:वीई/ ओबी	पी: एचई	डीबी/ एचबी	एसपीए/ बीपी ओपी	सीईएन /एस आई	एसआई (ई एचवी)	एसआई (एम)	एसआई (टी)	एसआई (कंड/ (आरईए)	एसआई (केप)	एसआई (वीसीबी/ सीबी)	एसआई (लाइनें)	एसपीडीजीएस जीईएन	ब्रिज लोन	आरजी जीवीवाई	अग्रिम टीएनईबी	एसटीएल/ ऋण पुनर्वित.	कुल संवितरण (3 से 20)		वर्ष के दौरान	वर्ष के अन्त तक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	आंध्र प्रदेश	-	-	-	1527	4860	27160	-	1590	7599	700	-	1505	5815	21936	-	-	-	-	72692	791590	74720	394784	396806
2	अरुणाचल प्रदेश	545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778	-	-	-	-	1323	17175	925	6032	11143
3	असम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26477	-	4645	21832
4	बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1817	-	5000	6817	36889	2735	12765	24124
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20744	-	-	-	-	20744	96223	63	32880	63343
6	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1479	190	1335	144
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20000	20000	411716	33731	291843	119873
8	हरियाणा	97	-	-	-	100	7341	750	-	-	-	4	-	179	-	-	-	-	-	8471	151123	6630	93666	57457
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	2581	-	-	-	-	-	-	-	447	-	-	-	-	3028	105417	16034	49516	55901
10	जम्मू और कश्मीर	211	113	-	-	189	3478	-	-	-	-	-	-	-	8700	-	-	-	-	12691	70815	4874	28252	42563
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15334	-	15334	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	20415	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	971	-	3500	25886	304749	21285	213830	90919
13	केरल	2929	-	-	-	276	2709	-	-	-	-	-	-	-	3108	-	-	-	-	9022	326581	25704	239280	87301
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	-	-	1000	191642	3270	124232	67410
15	महाराष्ट्र	912	-	-	-	3548	39900	-	943	910	-	-	-	1187	-	-	-	-	157000	204400	679936	47023	353129	326807
16	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15241	-	2425	12816
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1289	-	-	-	-	1289	26128	44	12022	14106
18	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2539	-	-	-	-	2539	15841	100	2341	13500
19	नगालैंड	743	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	765	9629	516	4512	5117
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	902	-	-	-	-	-	-	-	176	-	-	-	-	1078	92681	9267	44996	47685
21	पंजाब	5028	-	-	-	3243	7442	-	126	10206	88	150	1809	993	51951	-	-	-	-	81036	429727	14042	248536	181191
22	राजस्थान	677	-	-	-	3655	39127	-	879	10677	-	-	-	-	-	-	615	-	20000	75630	503292	43954	320121	183171
23	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3442	175	2301	1141
24	तमिलनाडु	4924	-	-	-	2737	7976	-	-	-	-	-	-	2002	-	-	-	16675	-	34314	310867	23195	122518	188349
25	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11055	4661	9682	1373
26	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	1983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	726	-	110000	112709	328297	17424	55306	272991
27	उत्तरांचल	-	350	448	-	-	-	3231	-	-	-	-	-	-	25311	-	624	-	-	29964	65902	-	1582	64320
28	पश्चिम बंगाल	-	583	2532	1182	-	2842	-	-	-	-	-	-	-	16366	10	-	-	23515	113487	84	11357	102130	-
29	पवन ऊर्जा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3013	-	158	2855
	जोड़	16066	1046	2980	2709	18608	163878	3981	3538	29392	788	154	3314	10176	154345	1000	4763	16675	315500	748913	5155748	350646	2699380	2456368
	आरजीजीवीवाई सब्सिडी/कुटीर ज्योति अनुदान																			51745				
	कुल जोड़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**800658**	**5155748**	**350646**	**2699380**	**2456368**

टिप्पणी: वर्ष **2004-05** के दौरान आरजीजीवीवाई स्कीम के अंतर्गत संवितरित **48201** लाख रुपए की ऋण राशि को **23.11.2005** को आरजीजीवीवाई सब्सिडी में परिवर्तित कर इसे संबंधित राज्यों में विनियोजित किया गया।

सारणी–8: भुगतान में चूक करने वाले उधारकर्ताओं से 31.3.2006 को अतिदेय राशि का विवरण

(करोड़ रुपए)

	एएसईबी	बीएसईबी	मिजोरम	मणिपुर	अन्य*	जोड़
1.4.2005 को अतिदेय राशि	414.91	254.32	17.23	44.35	171.97	902.78
वर्ष के दौरान देय राशि (एनपीए पर ब्याज सहित लेखा बहियों में शामिल नहीं किया गया)	52.09	27.96	6.77	28.11	5360.04	5474.97
अन्य समायोजन:						
– एएसईबी एवं मिजोरम के लिए पुनः निर्धारित	-414.91		-17.23	-	-0.33	-432.47
– बीएसईबी के लिए 2003–04 में पुनः निर्धारित		-254.32		-	-	-254.32
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	52.09	27.96	6.75	-	5347.01	5433.81
31-3-2006 को अतिदेय राशि	-	-	0.02	72.46	184.67	257.15

* कुछ दिनों के विलम्ब के कारण भुगतान करने वाले राज्यों की वर्ष के अंत में अस्थायी अतिदेय राशि एवं सहकारी समितियों, निजी उधारकर्ताओं आदि की अतिदेय राशि दर्शाता है ।

सारणी–9: आरईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के अंतर्गत 2005–06 के दौरान विद्युतीकृत गांव एवं 31.3.2006 तक संचयी स्थिति

क्र. स.	राज्य	2005–06 के दौरान उपलब्धि	31.3.2006 तक संचयी उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	-	14907
2	अरुणाचल प्रदेश	-	1316
3	असम	-	16363
4	बिहार	-	32490
5	गुजरात	-	7712
6	हरियाणा	-	90
7	हिमाचल प्रदेश	-	11143
8	जम्मू एवं कश्मीर	-	4416
9	कर्नाटक	-	8907
10	केरल	-	151
11	मध्य प्रदेश	-	54411
12	महाराष्ट्र	-	13322
13	मणिपुर	-	1720
14	मेघालय	-	2321
15	मिजोरम	-	531
16	नगालैंड	-	793
17	उड़ीसा	-	26648
18	पंजाब	-	3908
19	राजस्थान	-	26477
20	सिक्किम	-	277
21	तमिलनाडु	-	807
22	त्रिपुरा	-	3223
23	उत्तर प्रदेश	-	49881
24	उत्तरांचल	11	469
25	पश्चिम बंगाल	170	23727
	जोड़	**181**	**306010**

सारणी–10: आरईसी द्वारा वित्तपोषित कार्यक्रम के अंतर्गत 2005–06 के दौरान दलित बस्तियों का विद्युतीकरण और 31.3.2006 तक संचयी स्थिति

क्र. स.	राज्य	2005-06 के दौरान उपलब्धि	31.3.2006 तक संचयी उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	4107	39445
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-
3	असम	-	-
4	बिहार	-	21554
5	गुजरात	-	2063
6	हरियाणा	-	5967
7	हिमाचल प्रदेश	-	81
8	जम्मू एवं कश्मीर	4	998
9	कर्नाटक	-	9110
10	केरल	-	3113
11	मध्य प्रदेश	-	19655
12	महाराष्ट्र	-	7503
13	मणिपुर	-	-
14	मेघालय	-	-
15	मिजोरम	-	-
16	नगालैंड	-	-
17	उड़ीसा	-	6219
18	पंजाब	-	467
19	राजस्थान	-	15393
20	सिक्किम	-	-
21	तमिलनाडु	-	457
22	त्रिपुरा	-	-
23	उत्तर प्रदेश	-	46576
24	उत्तरांचल	-	-
25	पश्चिम बंगाल	533	3358
	जोड़	**4644**	**181959**

सारणी–11: आरईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के अंतर्गत 2005–06 के दौरान ऊर्जायित पंपसेट और 31.3.2006 तक संचयी स्थिति

क्र. स.	राज्य	2005-06 के दौरान उपलब्धि	31.3.2006 तक संचयी उपलब्धि
1	आंध्र प्रदेश	66458	1512963
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-
3	असम	-	1922
4	बिहार	-	113354
5	गुजरात	1310	417099
6	हरियाणा	409	223666
7	हिमाचल प्रदेश	439	5913
8	जम्मू एवं कश्मीर	67	7872
9	कर्नाटक	-	862387
10	केरल	12839	329616
11	मध्य प्रदेश	-	1054106
12	महाराष्ट्र	51653	1607663
13	मणिपुर	-	29
14	मेघालय	-	58
15	मिजोरम	-	-
16	नगालैंड	-	164
17	उड़ीसा	-	63015
18	पंजाब	8718	477783
19	राजस्थान	9658	480448
20	सिक्किम	-	-
21	तमिलनाडु	30688	944159
22	त्रिपुरा	-	1530
23	उत्तर प्रदेश	-	379544
24	उत्तरांचल	-	-
25	पश्चिम बंगाल	-	82202
	जोड़	**182239**	**8565493**

सारणी–12: 31.3.2006 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का समूहवार विवरण

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
ए	218 (174)	19 (14)	4 (4)
बी	197 (199)	22 (22)	8 (8)
सी	178 (184)	32 (33)	1 (1)
डी	114 (112)	35 (35)	5 (5)
कुल जोड़	**707 (669)**	**108 (104)**	**18 (18)**

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े गत वर्ष की तद्नुरूपी स्थिति दर्शाते हैं)

एक साल पहले तक बनवारीलाल पटेल ने कभी सपने में भी न सोचा था कि एक 'माउस' एक जन्तु के अलावा भी कुछ होता है। परन्तु बनवारीलाल पटेल ने कभी यह भी नहीं सोचा था कि विद्युतीकरण उसके जीवन में सहजता से इतना बदलाव और सुअवसर लाएगा। आज वह और उसके दोस्त इंटरनेट के द्वारा व्यापार कर एक आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हाँ 'माउस' अब उनका सबसे खास नया दोस्त बन गया है।

प्रगति ही शक्ति है

आरईसी एक पुरानी दबी हुई वित्तीय प्रणाली और उभरती हुई विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था के किनारे पर है। स्पष्टतः विकास के असंख्य अवसर हमारे सामने हैं।

अनुबंधः II

प्रबंध परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट
(स्टॉक एक्सचेंज के साथ आदर्श सूचीकरण करार के खंड 2.18 के अनुसरण में)

(क) उद्योग ढांचा एवं घटनाएं

ग्राम विद्युतीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों में बिजली को निर्विष्ट के रूप में प्रदान करके रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा आर्थिक विकास में तेजी लाना है एवं ग्रामीण मकानों, दुकानों, सामुदायिक केन्द्रों तथा सभी गांवों के सार्वजनिक संस्थानों को बिजली प्रदान करके ग्रामीण लोगों के रहन–सहन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम संबंधित राज्य बिजली बोर्डों/राज्य विद्युत संगठनों द्वारा अपने संबंधित राज्य की योजनाओं में अनुमोदित तथा प्रदान की गई योजना निधियों से बनाए जाते हैं। विभिन्न ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए पारस्परिक प्राथमिकताओं और उनकी संपूर्ण मात्रा का निर्धारण करने का निर्णय भी राज्य सरकारों/राज्य विद्युत संगठनों द्वारा किया जाता है, जो राज्यों में राज्य सरकारों की नीतियों एवं निदेशों के अनुसार वितरण प्रणाली के स्वामी हैं तथा उनका प्रचालन करते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार (2001 की जनगणना के अनुसार) देश के 5.93 लाख आबादी वाले गांवों में से 4.41 लाख गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं। इसी प्रकार, 195.94 लाख गांव सिंचाई पंपसेटों के लिए कुल अनुमानित संभाव्यता में से मार्च, 2006 तक 147.23 लाख पंपसेट ऊर्जायित किए जा चुके हैं। ऐसे कार्यों के लिए निवेश का वित्तपोषण या तो संबंधित सगठनों के अपने संसाधनों से या उधार ली गई निधियों के जरिए किया जाता है।

विशेषकर बिहार एवं झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बड़ी संख्या में शेष बचे अविद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई योजना "राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" आरम्भ की है। इस योजना से राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) के पांच वर्ष में सभी आवासों को बिजली उपलब्ध कराने और ग्रामीण विद्युत आधारभूत ढ़ांचे में सुधार करने के उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

यह योजना माननीय प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2005 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में औपचारिक तौर पर आरम्भ की गई। आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान , उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा लक्षद्वीप ने वीडियो – कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया।

इस योजना में "एक लाख गांवों और एक करोड़ आवासों का त्वरित विद्युतीकरण" और ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) नामक विद्यमान योजनाएं मिला दी गई हैं और इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण आवासों को बिजली पहुंचाना है।

(ख) अवसर

विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रित, वितरण उत्पादन परियोजनाओं के वित्तपोषण के कार्यक्षेत्र को सहकारी समितियों, स्थानीय निकायों और निजी उद्यमियों के साथ–साथ सरकारी क्षेत्र तथा वाणिज्यिक बैंकों आदि को सम्मिलित करके बढ़ाए जाने की संभावना है। तदनुसार, निगम

व्यवहार्य प्रस्तावों के संबंध में ऐसे कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अपने को तैयार कर रहा है। ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (आरजीजीवीवाई)'' को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए आरईसी और एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, एनएचपीसी तथा डीवीसी के बीच समझौता ज्ञापनों पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुके हैं।

निगम ने अपने कार्यकलापों के विस्तारण के लिए परम्परागत क्षेत्रों के अलावा वित्त पोषण के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाने हेतु व्यवसाय विकास के लिए एक अलग से यूनिट की स्थापना की है। व्यवसाय विकास प्रभाग ने आरईसी के लिए व्यवसाय विकास अध्ययन किया है और एक पंचवर्षीय व्यवसाय विकास योजना तैयार की है। विश्व बैंक, जेबीआईसी, केएफडब्ल्यू और अन्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण जुटाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(ग) चुनौतियां, जोखिम एवं चिंताएं

राज्य बिजली बोर्डों की लगातार कमजोर वित्तीय हालत उनके सुधारों के बावजूद चिंता का विषय बनी हुई हैं, हालांकि राज्य बिजली बोर्ड लगातार विवेकपूर्ण उधार लेने में सक्षम बन रहे हैं और सभी देय भुगतान कर रहे हैं।

(घ) खंडवार या उत्पादवार कार्यनिष्पादन

निगम एक वित्तीय संस्थान के रूप में राज्य बिजली बोर्डों/राज्य विद्युत संगठनों/राज्य विद्युत विभागों को वित्तीय सहायता देने के लिए उनके द्वारा प्रायोजित ग्राम विद्युतीकरण के विभिन्न घटकों समेत कीमतों के लिए ब्याज पर ऋण प्रदान करके संसाधनों में योगदान करता है। आरईसी ने कई ऋण वर्ग पहले ही शुरू कर लिए हैं तथा ऋण लेने वाले विद्युत संगठनों की उभरती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल वह उनमें लगातार संशोधन, नवीकरण और विस्तार भी करता रहता है।

वर्ष के दौरान निगम ने 18771 करोड़ रुपए की ऋण सहायता स्वीकृत की एवं 8007 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है। आरईसी के प्रचालन क्षेत्रों का विस्तार करते हुए पिछले साल सरकार द्वारा किए गए जनादेश के अनुरूप विद्युत क्षेत्र की सभी परियोजनाओं का वित्तपोषण शामिल है। आरईसी की स्वीकृतियों का मुख्य घटक उत्पादन स्कीमों के लिए था, जिसमें 6006.04 करोड़ रुपए शामिल थे। इसके अलावा, आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 2415.83 करोड़ रुपए, पारेषण एवं संवितरण के अंतर्गत 5769.26 करोड़ रूपए और अल्पावधि ऋण के अंतर्गत 4310 करोड़ रुपए तथा ऋण पुर्नवित्तपोषण के अंतर्गत 270 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। संवितरण में विद्युत उत्पादन के लिए 1553.42 करोड़ रुपए, आरजीजीवीवाई के अधीन 565.08 करोड़ रुपए और (कुटीर ज्योति के अंतर्गत 2.91 करोड़ रुपए सहित) पारेषण एवं संवितरण स्कीमों के लिए 2733.06 करोड़ रूपए तथा अल्पावधि ऋण हेतु 2885 करोड़ रुपए के अलावा एवं ऋण पुनर्वित्तपोषण के अंतर्गत 270 करोड़ रुपए शामिल हैं।

ङ) आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी उपयुक्तता

निगम में एक अलग आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग है, जो कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रभाग, भुगतान और व्यय की जांच–पड़ताल करने, गलतियों का पता लगाने और उन्हें रोकने और निगम के वित्तीय तथा तकनीकी रिकार्डों की जांच करके लेन–देन और प्रचालनों की परिशुद्धता तथा दक्षता में सुधार लाने में सहायता करता है।

देश के विभिन्न भागों में स्थित विभिन्न परियोजना कार्यालयों और निगम मुख्यालय में निगम के विभिन्न प्रभागों की द्विवर्षीय, वार्षिक और अर्द्धवार्षिक आधार पर लेखा परीक्षा की जाती है, जिससे प्रचालनात्मक दक्षता प्राप्त करने और नियमों तथा विनियमों के अनुपालन में सहायता मिलती है।

आंतरिक लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण जांचों को निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति को सूचनार्थ और लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणियों के अनुपालन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाता है। लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर समीक्षाएं भी की जाती हैं।

च) प्रचालनात्मक कार्यनिष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्यनिष्पादन पर परिचर्चा

वर्ष 2005–06 के दौरान स्वीकृत ऋण वर्ष 2004–05 के दौरान 16316 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 18771 करोड़ रुपए हो गया है। वर्ष 2005–06 के दौरान संवितरण वर्ष 2004–05 के दौरान 7885 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 8007 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2005–06 के दौरान वसूली 5434 करोड़ रुपए रही।

वित्तीय वर्ष के दौरान निगम ने प्रचालन आय में 298 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की, जो कि वर्ष 2004–05 के दौरान 1636.87 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 1934.98 करोड़ रुपए हो गई। तथापि, ऋणों के पुनः अनुसूचीकरण के कारण एकमुश्त आय में कमी आई है, जो कि वर्ष 2004–05 में 546.69 करोड़ रुपए से घटकर वर्ष 2005–06 में 121.68 करोड़ रुपए रह गई। पूर्ववर्ती वर्षों के लिए 32.67 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कर देयता भी थी। इस प्रकार, कर पश्चात निवल लाभ 2004–05 में 781.36 करोड़ रुपए से घटकर 2005–06 में 637.51 करोड़ रुपए रह गया।

छ) नियोजित व्यक्तियों की संख्या सहित मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण घटनाएं

(1) आरईसी के कार्यपालकों में पेशेवर दृष्टिकोण लाने और नए व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए वित्त, तकनीकी और मानव संसाधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में खुले विज्ञापन के माध्यम से 52 कार्यपालकों की नियुक्ति की गई है।

(2) वित्तीय वर्ष 2005–06 की समाप्ति अर्थात 31.3.2006 के अनुसार निगम की कुल मानव शक्ति 707 थी, जिसमें 304 कार्यपालक और 403 गैर–कार्यपालक व्यक्ति शामिल हैं।

(3) देश के विभिन्न भागों और विदेशों में प्रतिष्ठित संस्थानों और निकायों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निगम के 199 कर्मचारियों को भेजा गया था। एओटीएस गुणवत्ता प्रबंध कार्यक्रम के अंतर्गत 2 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 3 अधिकारियों को जापान भेजा गया था।

(ज) दृष्टिकोण

सुधार लागू करने वाले संगठनों की निवेश आवश्यकताओं के सरलीकरण द्वारा सुधार प्रक्रिया में तेजी लाकर हाल ही में भारत सरकार ने आरईसी के प्रचालन क्षेत्रों को बढ़ाया है एवं संसद द्वारा बिजली विधेयक के अधिनियमन तथा भारत सरकार द्वारा ''राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना'' नामक जारी नए कार्यक्रम के अधीन 5 वर्ष में सभी आवासों का ग्रामीण विद्युतीकरण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किए जाने से विद्युत उत्पादन और यूटिलिटियों की पारेषण क्षमताओं की बढ़ी हुई योजनाओं के कारण आगामी वर्षों में राज्य बिजली बोर्डों/संगठनों/राज्य विद्युत विभागों को वित्तीय सहायता प्रदान करके निगम को अपना व्यवसाय बढ़ाने की काफी संभावनाएं बढ़ जाएंगी।

एक साल पहले तक झुमकी पानी लेने के लिए 6 मील पैदल चलती थी। अब उसके गाँव में पंपसेट लग जाने से उसको पानी के लिए कुछ ही कदम चलना पड़ता है। पंपसेट की सुविधा से उसको और कामों के लिए भी बहुत समय मिल जाता है। उसने इस समय का सही इस्तेमाल करते हुए सिलाई–कढ़ाई सीख ली और अब वह अपनी खुद की दर्जी की दुकान खोलने की सोच रही है। झुमकी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक पंपसेट उसकी जिंदगी में इतना सुहाना मोड़ लाएगा।

प्रगति ही कार्यनिष्पादन है

शक्तिबद्ध कार्य निष्पादन ने आरईसी को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और उभरते हुए टाउनशिप में अधिक बड़े स्तर पर और अधिक चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार किया है।

अनुबंध–III

निगमित सुशासन पर रिपोर्ट

आरईसी की पूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी भारत सरकार या भारत सरकार के प्रतिनिधि के पास होने के कारण यह एक सरकारी कंपनी है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इसके कुछ ऋण पत्रों की शृंखलाओं के सूचीबद्ध होने के कारण भी यह एक सूचीबद्ध कंपनी है। सेबी द्वारा 1.11.2004 को अधिसूचित और आरईसी पर लागू आदर्श सूचीकरण करार के अनुसार निगमित सुशासन से संबंधित करार का खंड 2.18 कोई अनिवार्य अपेक्षा नहीं है। तथापि, निदेशक मंडल ने निर्णय किया है कि आरईसी फिर भी निगमित सुशासन संबंधी अपेक्षाओं का पालन करना जारी रखेगी और अतिरिक्त अपेक्षाओं का चरणबद्ध तरीके से पालन करने का प्रयास करेगी। तदनुसार खंड 2.18 में किए गए प्रावधान के अनुसार निगमित सुशासन के संबंधित पहलुओं का नीचे उल्लेख किया गया है:–

1. सुशासन संहिता पर निगम की विचारधारा

आरईसी अपने सभी शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा करने, उनको प्रोन्नत करने एवं संरक्षण करने तथा उपयुक्त पारदर्शी प्रणाली द्वारा समर्थित अच्छे निगमित सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है।

आरईसी देशभर में बिजली उत्पादन, संरक्षण, पारेषण और वितरण संबंधी परियोजनाओं को प्रोन्नत करने तथा वित्तपोषित करने के लिए ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखने वाले प्रतिस्पर्धात्मक एवं विकासपरक संगठन के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आरईसी ग्रामीण और अर्धशहरी जनता के रहन–सहन को समृद्ध बनाने एवं उनके विकास में तेजी लाने के लिए बिजली पहुंचाने में मदद करने हेतु भी प्रतिबद्ध है।

2. निदेशक मंडल

(क) **बोर्ड की संरचना** : आरईसी की संस्था अंतर्नियमावली में न्यूनतम 3 एवं अधिकतम 15 निदेशकों का प्रावधान है।

वर्तमान में आरईसी के निदेशक मंडल में 5 निदेशक हैं, जिनमें से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित 3 कार्यकारी निदेशक हैं और 2 गैर–कार्यकारी निदेशक हैं, जो कि भारत सरकार के नामिति हैं।

वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान निम्नलिखित निदेशक आरईसी के निदेशक मंडल में हैं।

कार्यकारी निदेशक	
श्री एम.एन. प्रसाद	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, (01.08.2005 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं हैं)
श्री ए. के. लखीना	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.08.2005 से श्री एम.एन. प्रसाद के स्थान पर नियुक्त)
श्री एच. डी. खुंटेटा	निदेशक (वित्त)
श्री बाल मुकंद	निदेशक (तकनीकी)

गैर–कार्यकारी निदेशक	
श्री अजय शंकर	अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय (06.09.2005 से निदेशक नहीं हैं)
श्री अरविंद जाधव	संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय
श्री एम. साहू	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान इस समय आरईसी पर लागू नहीं होते, क्योंकि आरईसी की ऋण प्रतिभूतियां/बांड सार्वजनिक अथवा राइट्स इश्यू के माध्यम से जारी नहीं किए जाते और ये केवल प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर जारी किए जाते हैं।

तथापि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित अनुमोदन के अनुसार आरईसी को मिनी रत्न, श्रेणी – 1 का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इसलिए, आरईसी को कम से कम तीन गैर–सरकारी निदेशकों को शामिल करके अपने निदेशक मंडल का पुनर्गठन करना है, ताकि यह लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित के अनुसार मिनी रत्न सरकारी उद्यमों के लिए लागू प्राधिकार के बढ़े हुए प्रत्यायोजन का प्रयोग करने के लिए पात्र हो सके।

किसी भी सरकारी कंपनी पर प्रयोज्य छूट के साथ पठित आरईसी के संस्था – अंतर्नियमों की शर्तों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अतः विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षित संख्या में गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया है, जो कि निदेशक मंडल के निर्णयों में अपने संबंधित क्षेत्र में मूल्यवान योगदान कर सकें और इस अनुरोध पर उनके द्वारा सक्रियता से विचार किया जा रहा है ।

(ख) गैर–कार्यकारी निदेशकों को प्रतिपूर्ति और प्रकटीकरण

इस समय गैर–कार्यकारी निदेशकों को किसी प्रकार के बैठक शुल्क/प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाता, क्योंकि वे भारत सरकार के नामित अधिकारी हैं ।

(ग) बोर्ड और समितियों से संबंधित अन्य प्रावधान

(i) वित्तीय वर्ष 2005–06 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का ब्योरा

बैठक की तारीख	बोर्ड की सदस्य संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
29 अप्रैल, 2005	6	6
27 जुलाई, 2005	6	5
30 अगस्त, 2005	6	5
31 अक्तूबर, 2005	5	5
29 नवम्बर, 2005	5	5
7 फरवरी, 2006	5	5
23 फरवरी, 2006	5	5
28 फरवरी, 2006	5	5
9 मार्च, 2006	5	5
20 मार्च, 2006	5	4
28 मार्च, 2006	5	5

इस अवधि के दौरान आयोजित किन्हीं दो बैठकों के बीच का अधिकतम अंतराल 3 महीने से कम था ।

(ii) वर्ष 2005–06 के दौरान निदेशकों के पदनामों, उनकी श्रेणी, बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति की संख्या, पिछली एजीएम में उपस्थिति और उनके द्वारा अन्यत्र धारित निदेशक पद/समिति की सदस्यता (यथा लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक शिकायत समिति) का ब्योरा नीचे तालिका में दिया गया है :–

क्र० सं०	निदेशक (श्रेणी)	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बोर्ड की बैठकों की संख्या, जिसमें वे उपस्थित थे	पिछले वार्षिक महासभा में उपस्थिति (22.09.05 को आयोजित)	अन्य निदेशक पदों की संख्या (31.03.2006 के अनुसार)	अन्य कंपनियों में अन्य समितियों की सदस्यता की संख्या (31.03.2006 के अनुसार) अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1.	श्री एम.एन. प्रसाद (पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) (कृपया टिप्पणी–1 देखें)	2	2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
2.	श्री ए.के. लखीना (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) (कृपया टिप्पणी–2 देखें)	9	9	हां	शून्य	शून्य	शून्य
3.	श्री एच.डी. खुंटेटा (निदेशक–वित्त)	11	11	हां	शून्य	शून्य	शून्य
4.	श्री बाल मुकंद (निदेशक–तकनीकी)	11	11	हां	शून्य	शून्य	शून्य
5.	श्री अजय शंकर (सरकारी निदेशक) (कृपया टिप्पणी–3 देखें)	3	2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
6.	श्री अरविंद जाधव (सरकारी निदेशक) (कृपया टिप्पणी–4 देखें)	11	10	हां	2	शून्य	1
7.	श्री एम. साहू (सरकारी निदेशक) (कृपया टिप्पणी–5 देखें)	11	10	हां	12	1	2

टिप्पणी–1 श्री एम.एन. प्रसाद दिनांक 01.08.2005 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं हैं ।

टिप्पणी–2 श्री ए.के. लखीना को श्री एम.एन. प्रसाद के स्थान पर दिनांक 01.08.2005 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

टिप्पणी–3 श्री अजय शंकर दिनांक 06.09.2005 से निदेशक नहीं हैं।

टिप्पणी–4 श्री अरविंद जाधव द्वारा धारित निदेशक के पद/समितियों की सदस्यता का ब्योरा :

निदेशक का पद (i) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. (ii) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन लि.

समिति की सदस्यता (i) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. (लेखापरीक्षा समिति के सदस्य)

टिप्पणी–5 श्री एम. साहू द्वारा धारित निदेशक के पद/समितियों की सदस्यता का ब्योरा :

निदेशक का पद (i) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) (ii) टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन (टीएचडीसी) (iii) सतलुज जल विद्युत निगम लि. (iv) पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया (v) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएससीएफडीसी) (vi) राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम (एनएचएफडीसी) (vii) राष्ट्रीय अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम (एनएमएफडीसी) (viii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) (ix) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) (x) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) (xi) ट्राईबल को–ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीआरआईएफईडी) (xii) आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्यु. कारपो. ऑफ इंडिया लि.।

समिति की सदस्यता

(i) एनटीपीसी लिमिटेड – (क) लेखापरीक्षा समिति – सदस्य (ख) शेयरधारक समिति – अध्यक्ष

(ii) टीएचडीसी – लेखापरीक्षा समिति – सदस्य

3. लेखा परीक्षा समिति

(क) गठन और विचारार्थ विषय

निगम की लेखापरीक्षा समिति में 3 सदस्य हैं, जिनमें से 2 गैर–कार्यकारी निदेशक और 1 कार्यकारी निदेशक है।

समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 क में उल्लिखित और सेबी द्वारा अधिसूचित आदर्श सूचीकरण करार के अधीन लागू के अनुसार हैं।

वर्ष 2005–06 के दौरान समिति के अध्यक्ष श्री अजय शंकर ने 6 सितंबर, 2005 को निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में त्यागपत्र दे दिया था और उनके हट जाने के बाद श्री बालमुकंद को समिति के अन्य सदस्य के रूप में और श्री एम. साहू को अध्यक्ष नियुक्त करते हुए लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया। इस प्रकार, दिनांक 31 मार्च, 2006 के अनुसार पुनर्गठित लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:–

1. श्री एम. साहू – अध्यक्ष, (गैर–कार्यकारी निदेशक)
2. श्री अरविन्द जाधव – सदस्य, (गैर–कार्यकारी निदेशक)
3. श्री बाल मुकंद – सदस्य, (कार्यकारी निदेशक)

(ख) बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2005–06 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की 6 बैठकें दिनांक 29 अप्रैल, 2005, 27 जुलाई, 2005, 30 अगस्त, 2005, 31 अक्तूबर, 2005, 29 नवंबर, 2005 और 31 जनवरी, 2006 को आयोजित की गई थी।

नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री अजय शंकर (6.9.2005 से निदेशक नहीं हैं)	3	2
श्री एम. साहू	6	6
श्री अरविंद जाधव	6	5
श्री बाल मुकंद	3	3

निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रमुख और सांविधिक लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं।

4. पारिश्रमिक समिति

वर्तमान में आरईसी के संस्था–अंतर्नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि निदेशकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक और/या अन्य भत्ते भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अतः इस प्रयोजन के लिए कोई समिति गठित नहीं की गई है।

तथापि, निगम सुशासन कोड के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित अनिवार्य प्रकटीकरण निम्नलिखित है :–

कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों का ब्योरा :

(रुपए)

क्र० सं०	नाम	वेतन एवं भत्ते	अन्य लाभ	बोनस/कमीशन	कार्यनिष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन*	जोड़
1.	श्री एम.एन. प्रसाद (पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	4,22,020	83,450	शून्य	1,93,050	6,98,520
2.	श्री ए.के. लखीना (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	3,73,905	3,10,093	शून्य	शून्य	6,83,998
3.	श्री एच.डी. खुंटेटा निदेशक (वित्त)	6,86,356	4,56,796	शून्य	1,43,497	12,86,649
4.	श्री बाल मुकंद निदेशक (तकनीकी)	6,99,926	3,96,821	शून्य	1,33,436	12,30,183

*कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन का भुगतान आरईसी की कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन योजना के अनुसार किया जाता है।

5. निवेशक शिकायत समिति

बोर्ड द्वारा गठित निवेशक शिकायत समिति में 31.3.2006 के अनुसार निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :–

1. श्री अरविन्द जाधव – अध्यक्ष, (गैर–कार्यकारी निदेशक)
2. श्री एम. साहू – सदस्य, (गैर–कार्यकारी निदेशक)
3. श्री एच.डी. खुंटेटा – सदस्य, (कार्यकारी निदेशक)

निवेशकों की शिकायतों पर निगम द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) द्वारा नियमित आधार पर कार्रवाई की जाती है, जिसका समन्वय कार्य निगम के वित्त प्रभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 2005–06 के दौरान, शिकायत प्रक्रिया और निवेशकों की लंबित शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए निवेशक शिकायत समिति की एक बैठक 31.10.2005 को आयोजित की गई थी। रजिस्ट्रारों द्वारा उपर्युक्त बैठक में प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सूचीबद्ध बांडों के संबंध में उक्त तारीख को कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी और गैर–सूचीबद्ध बांडों के संबंध में शिकायतों पर उनके द्वारा नियमित आधार पर कार्रवाई की जाती है।

6. वार्षिक महासभा

संख्या	वर्ष	अवस्थिति	तारीख एवं समय	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया है
34वीं	2002–03	पंजीकृत कार्यालय, कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली–110 003	28 अगस्त, 2003 दोपहर 12.00 बजे	नहीं
35वीं	2003–04	पंजीकृत कार्यालय, कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली–110 003	16 सितंबर, 2004 अपराह्न 12.30 बजे	नहीं
36वीं	2004–05	पंजीकृत कार्यालय, कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली–110 003	22 सितंबर, 2005 अपराह्न 3.00 बजे	हां

7. प्रकट की गई बातें

- महत्वपूर्ण पार्टी संबद्ध लेन–देन का प्रकटीकरण, जिसका कुल मिलाकर कंपनी के हितों से भारी विवाद उत्पन्न हो सकता है। — शून्य
- विगत 3 वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अनुपालन न किए जाने, पूंजीगत बाजार से संबंधित किसी भी मामले में स्टॉक एक्सचेंजों अथवा सेबी एवं किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए जुर्मानों, भर्त्सना किए जाने का ब्योरा — शून्य

8. संप्रेषण के साधन

निगम के तिमाही एवं छमाही वित्तीय परिणाम एक राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं तथा स्टाक एक्सचेंज को सूचित किया जाता है। ये परिणाम निगम की वेबसाइट – www.reclindia.nic.in. पर भी उपलब्ध हैं।

प्रबंधन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

9. सामान्य शेयर धारकों को सूचना

निगम की पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति तथा उसके नामित व्यक्तियों के पास है । वार्षिक महासभा का विवरण उपर्युक्त (6) में दिया गया है। निदेशक मंडल ने दिनांक 01.06.2006 को आयोजित अपनी बैठक में वर्ष 2005–06 के लिए 191.26 करोड़ रुपए (पहले ही प्रदत्त 90 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश सहित) के लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। इक्विटी शेयर स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।

आजकल धर्मवीर एक प्रसन्न व्यक्ति है, उसको अपने खेतों की सिंचाई के लिए अब वर्षा का इंतजार नही करना पड़ता। अब फसल अच्छी न होने के कारण उसको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋणदाता के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पंपसेट ऊर्जायन के जरिए उसकी खेती खुशहाल हो गई है। उसने अब एक ट्रैक्टर भी खरीद लिया है, जिस पर वह त्यौहारों के दौरान अपने परिवार को पास के गाँव में मेला दिखाने भी ले जाता है।

प्रगति परिवर्तन है

आरईसी के लिए 4–सूत्री मंत्र को व्यापक वित्तपोषण; सुधारों के प्रति वचनबद्धता; परिणाम और आय; ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फ्रैंचाइजी स्थापित करने और अंत में सशक्त परिवीक्षण, समीक्षा तथा समस्या समाधान के लिए निश्चित रूप दिया गया है।

निगम सुशासन
पर
प्रमाण पत्र

कंपनी की पंजीकरण संख्या	:	5095
नामांकित पूंजी	:	1200 करोड़ रुपए

सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,

हमने 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन से संबंधित सभी संगत रिकार्डों की जांच कर ली है। आदर्श सूचीकरण करार की धारा 2 वर्तमान में निगम पर लागू नहीं है क्योंकि निगम ने सार्वजनिक अथवा राइट्स इश्यू के जरिए कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं। तथापि, निगम ने इसके बाद निगमित सुशासन से संबंधित आदर्श सूचीकरण करार के उप–खंड 2.18 का पालन करने और उक्त खंड में उल्लिखित अतिरिक्त अपेक्षाओं का एक चरणबद्ध तरीके से पालन करते रहने का निर्णय किया है।

निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है । हमारी जांच निगम द्वारा इसके बारे में अपनाई गई प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

हमारी राय में और हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि निगम ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पन्न उपर्युक्त आदर्श करार सूचीकरण करार में दी गई अनिवार्य अपेक्षाओं का कुल मिलाकर अनुपालन किया है।

यह देखा गया है कि आदर्श सूचीकरण करार के खंड 2.18 की शर्तों के अनुसार निदेशक मंडल में अपेक्षित स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं हैं। हमें सूचित किया गया था कि निदेशकों की नियुक्ति, जिनमें स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जानी है। निगम ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु अपने प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ यह मामला उठाया है। इसके अलावा, निगम द्वारा यथा गठित निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति में दो गैर–कार्यकारी निदेशक (सरकारी नामिति) और एक कार्यकारी निदेशक है तथा लेखापरीक्षा समिति में कोई भी स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं है।

कृते पी.पी. अग्रवाल एंड कंपनी
कंपनी सचिव

प्रमोद पी. अग्रवाल
प्रोपराइटर
सी.पी.सं. 4994

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 जुलाई, 2006

अपराह्न का समय है फिर से मीना का खेतों में जाने का समय हो गया है, उसका पति उसके हाथों से बने स्वादिष्ट भोजन का इंतजार कर रहा है। वह अपने मन में सोचती है कि खेत की मशीनों ने उसके पति के काम को बहुत ही आसान बना दिया है। इसी कारण उसका चिड़चिड़ापन भी खत्म हो गया है। यहाँ तक कि छोटी सरिता भी अब अपनी कक्षा में प्रथम आने लगी है। वह कहती है कि अब उसको एक कंप्यूटर भी चाहिए। जिन्दगी ने विद्युतीकरण के जरिए हमारे परिवार को एक नया अर्थ दे दिया है, अब मुझे भी रोज कुछ नया कार्य करने का समय मिल जाता है। लेकिन अब सबसे पहले—मीना अपनी सोच से बाहर आ कर खेतों के लिए रवाना हो जाती है जहां उसका पति उसका इंतजार कर रहा है।

प्रगति ही वृद्धि है

आरईसी राष्ट्रीय स्तर पर प्रचालन करते हुए, प्रेरणा के उच्च स्तर, बढ़ते हुए व्यवसाय अवसर, उन्नत ब्रांड छवि, उत्साही कर्मचारी और मांग करने वाले ग्राहकों के कारण विद्युत क्षेत्र में हुई प्रगति से लाभ उठाने की एक विशिष्ट स्थिति में है।

31 मार्च, 2006 को यथास्थिति तुलन–पत्र

(लाख रुपए)

	अनुसूची सं०	31.3.2006 को	31.3.2005 को
निधियों के स्रोत			
शेयरधारकों की निधियां :			
पूंजी	1	**78,060.00**	78,060.00
आरक्षित एवं अधिशेष	2	**341,773.00**	299,830.36
		419,833.00	377,890.36
ऋण निधियां :			
रक्षित ऋण	3	**2,174,958.82**	1,744,938.18
अरक्षित ऋण	4	**228,962.65**	192,901.28
		2,403,921.47	1,937,839.46
जोड़		**2,823,754.47**	2,315,729.82
निधियों का अनुप्रयोग			
अचल परिसंपत्तियां :	5		
सकल ब्लॉक		**3,480.85**	3,418.35
घटाएंः मूल्यह्रास		**1,105.56**	1,003.81
निवल ब्लॉक		**2,375.29**	2,414.54
पूंजी खर्च के लिए अग्रिम राशि		**4,063.82**	140.54
निवेश	6	**132,499.09**	141,722.37
ऋण	7	**2,532,560.93**	2,168,440.74
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम राशिः	8		
नकद और बैंक में शेष		**191,364.46**	48,545.43
अन्य चालू परिसंपत्तियां		**30,566.61**	29,499.25
ऋण एवं अग्रिम राशि		**99,737.36**	79,816.31
		321,668.43	157,860.99
घटाएंः			
चालू देयताएं एवं प्रावधानः	9		
देयताएं		**59,656.07**	53,075.00
प्रावधान		**111,299.22**	101,925.86
		170,955.29	155,000.86
निवल चालू परिसंपत्तियां		**150,713.14**	2,860.12
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल देयताएं)	10	**1,542.20**	151.51
जोड़		**2,823,754.47**	2,315,729.82
खातों पर टिप्पणियां	16		

अनुसूची 1 से 16 और महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियां लेखा का अभिन्न अंग हैं ।

उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अजय माथुर
भागीदार
सदस्य संख्या 82223

एच.डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

ए.के. लखीना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01 जून, 2006

बी.आर. रघुनंदन
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2006 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(लाख रुपए)

	अनुसूची सं०	31.3.2006 को समाप्त वर्ष	31.3.2005 को समाप्त वर्ष
आय			
प्रचालनों से आय	11	207,130.85	219,981.12
अन्य आय	12	17,375.40	10,227.75
जोड़		224,506.26	230,208.87
व्यय			
ब्याज एवं अन्य प्रभार	13	133,913.03	120,474.87
स्थापना संबंधी व्यय	14	4,250.44	3,289.66
प्रशासनिक व्यय	15	1,519.40	1,144.18
बांड/ऋण दस्तावेज जारी करने पर हुआ खर्च		1,663.99	1,520.34
निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान		51.00	-
मूल्यह्रास		109.92	114.85
जोड़		141,507.78	126,543.89
वर्ष के दौरान लाभ		82,998.48	103,664.98
पूर्वावधि समायोजन (निवल)		15.44	10.65
कर–पूर्व लाभ		82,983.04	103,654.33
कर के लिए प्रावधान :			
चालू वर्ष		17,280.64	23,511.86
पूर्ववर्ती वर्ष		3,266.74	1,928.41
आस्थगित कर		-1,390.69	77.76
अनुषंगी हित लाभ कर		75.28	-
कर–पश्चात लाभ		63,751.07	78,136.30
जोड़िये: बट्टे खाते डाला गया बांड पुनर्विमोच्य प्रारक्षित		8,850.00	-
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि		72,601.07	78,136.30
विनियोजन :			
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष प्रारक्षित निधि		26,500.00	38,000.00
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन प्रारक्षित निधि		2,750.00	3,500.00
प्रस्तावित अंतिम लाभांश		10,126.00	17,650.00
प्रदत्त अंतरिम लाभांश		9,000.00	5,800.00
निगमित लाभांश कर			
- प्रस्तावित लाभांश		1,420.17	2,475.41
- अंतरिम लाभांश		1,262.25	757.99
सामान्य प्रारक्षित निधि में स्थानांतरण		21,100.00	9,500.00
तुलन पत्र में लाया गया अधिशेष		442.65	452.90
जोड़		72,601.07	78,136.30
प्रति शेयर आय 10/–रुपए मूल एवं तदनुकूल		रूपए 8.17	रूपए 10.01
खातों पर टिप्पणियां	16		

अनुसूची 1 से 16 और महत्वपूर्ण लेखा संबंधी नीतियां लेखा का अभिन्न अंग हैं ।

उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अजय माथुर
भागीदार
सदस्य संख्या 82223

एच.डी. खुंटेटा
निदेशक(वित्त)

ए.के. लखीना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01 जून, 2006

बी.आर. रघुनंदन
कंपनी सचिव

अनुसूची "1" – शेयर पूंजी

(लाख रुपए)

	31.3.2006 को	31.3.2005 को
प्राधिकृत		
प्रति 10 रुपए के 1200,000,000 इक्विटी शेयर		
(गत वर्ष प्रति 10 रुपए के 1200,000,000 इक्विटी शेयर)	**120,000.00**	120,000.00
जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णतया प्रदत्त 780,600,000 इक्विटी शेयर		
(गत वर्ष प्रति 10 रुपए के 780,600,000 इक्विटी शेयर)	**78,060.00**	78,060.00
जोड़	**78,060.00**	78,060.00

अनुसूची "2" – आरक्षित एवं अधिशेष

(लाख रुपए)

		01.04.2005 को अथशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि/समायोजन	वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	31.03.2006 को इतिशेष
(क)	पूंजी प्रारक्षित निधि (यूएसएआईडी से अनुदान)	10,500.00	-	-	**10,500.00**
(ख)	वित्तीय वर्ष 1996–97 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत निर्मित विशेष प्रारक्षित निधि	5,173.77	-	-	**5,173.77**
(ग)	वित्तीय वर्ष 1997–98 से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत गठित विशेष प्रारक्षित निधि	158,106.00	26,500.00	-	**184,606.00**
(घ)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रारक्षित निधि	14,419.13	2,750.00	-	**17,169.13**
(ङ)	बांड विमोचन प्रारक्षित निधि	8,850.00	-	8,850.00	-
(च)	सामान्य प्रारक्षित निधि	101,131.04	21,100.00	-	**122,231.04**
(छ)	अधिशेष	1,650.41	442.65	-	**2,093.06**
	जोड़	299,830.35	50,792.65	8,850.00	**341,773.00**
	गत वर्ष	248,377.46	51,452.90	-	**299,830.36**

अनुसूची "3" – सुरक्षित ऋण

(लाख रुपए)

	31.3.2006 को	31.3.2005 को
सावधि ऋण		
(राज्य बिजली बोर्डों/राज्य विद्युत निगमों की वसूली योग्य राशि के लिए सुरक्षित)		
सिंडीकेट बैंक	**20,000.00**	20,000.00
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	**9,700.00**	9,700.00
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	**10,000.00**	10,000.00
स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर	**25,000.00**	10,000.00
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	**25,000.00**	22,500.00
केनरा बैंक	**20,000.00**	20,000.00
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	**42,500.00**	10,000.00
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	**20,000.00**	-
सेंट्रल बैंक	**20,000.00**	-
सावधि जमा के प्रति ओवर ड्राफ्ट		
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	**20,500.00**	-
(बैंक के पास जमा 233 करोड़ रुपए की एफडीआर के प्रति सुरक्षित)		
उपर्युक्त पर अर्जित और देय ब्याज	**-**	0.95
लाईफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी) से ऋण	**350,000.00**	350,000.00
(बिजली बोर्डों/राज्य विद्युत निगमों की वसूली योग्य राशि के लिए सुरक्षित)		
बांडों के माध्यम से ऋण		
(संचयी और गैर–संचयी) राज्य बिजली बोर्डों/राज्य विद्युत निगमों इत्यादि को दिए गए अग्रिम विनिर्दिष्ट ऋणों के विरूद्ध चार्ज द्वारा रक्षित और महाराष्ट्र में अचल संपत्तियों पर संबंधित न्यासियों की संतुष्टि और प्राइवेट प्लेसमेंट की शर्तो पर		
I. कर मुक्त सुरक्षित बांड		
क) लघु अवधि		
8.7% 25.09.2005 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(36वीं शृंखला–1)**	**-**	10,000.00
8.0% 26.11.2005 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(36वीं शृंखला–2)**	**-**	3,500.00
ख) दीर्घ अवधि		
8.25% 22.02.2010 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(41वीं शृंखला)**	**7,500.00**	7,500.00
7.10% 23.03.2011 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(53वीं शृंखला)**	**5,000.00**	5,000.00

II. कर योग्य सुरक्षित बांड

दीर्घ अवधि

आरईसी बांड

10.70% 15.06.2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(46वीं शृंखला)**	**-**	6,325.00
11.00% 31.07.2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(48वीं शृंखला)**	**-**	2,250.00
11.95% 31.10.2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(50वीं शृंखला–1)**	**-**	18,590.00
11.95% 31.10.2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(50वीं शृंखला–2)**	**-**	15,580.00
11.90% 30.11.2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(50वीं शृंखला–3)**	**-**	5,850.00
11.40% 15.12.2007 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(52वीं शृंखला)**	**26,300.00**	26,300.00
10.45% 30.09.2008 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(54वीं शृंखला)**	**-**	19,000.00
8.35% 07.03.2009 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(62वीं शृंखला)**	**16,270.00**	16,270.00
6.90% 27.09.2009 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(64वीं शृंखला)**	**24,000.00**	24,000.00
6.00% 31.01.2010 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(66वीं शृंखला)**	**27,400.00**	27,400.00
6.05% 31.03.2014 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(69वीं शृंखला)**	**66,920.00**	66,920.00
6.60% 31.03.2014 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(72वीं शृंखला)**	**58,550.00**	58,550.00
6.90% 08.10.2014 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(73वीं शृंखला)**	**23,390.00**	23,390.00
7.20% 17.03.2015 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(75वीं शृंखला)**	**50,000.00**	50,000.00
6.00% 15.03.2008 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(76वीं शृंखला)**	**102,000.00**	102,000.00
7.30% 30.06.2015 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(77वीं शृंखला)**	**98,550.00**	-
7.65% 31.01.2016 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(78वीं शृंखला)**	**179,570.00**	-
7.85% 14.03.2016 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(79वीं शृंखला)**	**50,000.00**	-
8.20% 20.03.2016 को सममूल्य पर प्रतिदेय **(80वीं शृंखला)**	**50,000.00**	-
पूंजी अभिलाभ बांड		
पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड सममूल्य पर प्रतिदेय–**शृंखला–I**	**62,089.48**	250,426.07
पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड सममूल्य पर प्रतिदेय–**शृंखला–II**	**34,625.35**	159,426.25
पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड सममूल्य पर प्रतिदेय–**शृंखला–III**	**136,236.80**	136,267.90
पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड सममूल्य पर प्रतिदेय–**शृंखला–IV**	**228,949.80**	199,274.30
पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड सममूल्य पर प्रतिदेय–**शृंखला–V**	**233,999.90**	-
इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड		
इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड सममूल्य पर प्रतिदेय – **शृंखला–I एवं II**	**3,524.75**	8,650.70
इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड सममूल्य पर प्रतिदेय – **शृंखला–III**	**1,617.15**	1,617.15
इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड सममूल्य पर प्रतिदेय – **शृंखला–IV**	**18,847.56**	-
बांड एप्लीकेशन मॅनी – कैपिटल गेन बांड/इन्फ्रा बांड	**106,918.03**	48,649.86
कुल सुरक्षित ऋण	**2,174,958.82**	1,744,938.18
अगले वर्ष के भीतर वापसी अदायगी/पुनर्विमोचन के लिए देय	**शून्य**	13,500.00

अनुसूची 3 के संबंध में टिप्पणी :–

क) 52वीं श्रृंखला 5–1/2 वर्ष के अंत में अर्थात 15.12.2007 को पुट/कॉल ऑप्शन पर प्रतिदेय है। बांडों की 62वीं, 64वीं, 66वीं और 72वीं श्रृंखलाएं 5 वर्ष के अंत में अर्थात क्रमशः 7.3.2009, 27.9.2009, 31.1.2010 और 31.3.2014 में पुट/कॉल ऑप्शन की सुविधा पर हैं।

ख) 69वीं और 73वीं श्रृंखलाएं क्रमशः छठे, सातवें, आठवें और दसवें वर्ष के अंत में 5 समान किश्तों में सममूल्य पर प्रतिदेय हैं।

ग) बांडों की 75वीं श्रृंखला एसटीआरपीपी के माध्यम से 5–1/2 वर्ष से 10 वर्ष तक अर्द्ध वार्षिक अंतराल पर 10 समान किश्तों में सममूल्य पर प्रतिदेय होगी। 76वीं श्रृंखला आबंटन की संभावित तारीख अर्थात 15.3.2008 से 18वें महीने के अंत में पुट/कॉल ऑप्शन की सुविधा पर है।

घ) बांडों की 77वीं श्रृंखला छठे से दसवें वर्ष के अंत में 5 समान किश्तों में सममूल्य पर प्रतिदेय होगी।

ङ) बांडों की 78वीं, 79वीं और 80वीं श्रृंखला 10 वर्षों के अंत में अर्थात क्रमशः 31.1.2016, 14.3.2016 और 20.3.2016 को सममूल्य पर प्रतिदेय है।

च) 78वीं, 79वीं और 80वीं श्रृंखला के न्यासी विलेख और आडमान विलेख अभी निष्पन्न किए जा रहे हैं।

छ) पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड 5.15% से 8.70% की दरों पर देय छमाही, वार्षिक और संचयी भुगतान पर 5/7 वर्षों की अवधि के लिए जारी किए गए हैं। इन बांडों को 3/5 वर्ष के अंत में पुट/कॉल ऑप्शन की सुविधा है। चालू वर्ष (2005–06) है।

ज) पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड 5.5% और 6.5% की दरों पर वार्षिक भुगतान पर 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी किए गए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड 6.00% से 9.00% के बीच विभिन्न ब्याज दरों पर 3/5 वर्ष की अवधि के लिए वार्षिक भुगतान के आधार पर जारी किए गए थे। इन बांडों को आबंटन की तारीख से 3/5 वर्ष के अंत में पुट ऑप्शन की सुविधा है।

झ) पूंजी अभिलाभ पर कर की छूट वाले बांड और इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड आरईसी की अचल परिसंपत्तियों तथा न्यासियों की अपेक्षा के अनुसार प्राप्य संपत्तियों को कानूनी बंधन द्वारा सुरक्षित रखा गया है। इन अचल परिसंपत्तियों और प्राप्तियों का अंकित मूल्य 38.50 लाख रुपए है। तथापि, उधार ली गई राशि की सीमा तक प्रभार न्यासियों के हक में कंपनी पंजीयक के साथ सृजित किया गया है।

ञ) 220 लाख रुपए के बांड आरईसी सीपी फंड ट्रस्ट द्वारा धारित रखे गए हैं।

अनुसूची "4" – असुरक्षित ऋण

(लाख रुपए)

			31.3.2006 को	31.3.2005 को
भारत सरकार से			**11,997.16**	14,016.56
(गत वर्ष के दौरान देय 2019.40 लाख रुपए अगले वर्ष के दौरान भुगतान के लिए देय 1948.72 लाख रुपए सहित)				
सावधि ऋण				
केनरा बैंक			**20,000.00**	20,000.00
बैंक ऑफ बड़ौदा			**25,000.00**	25,000.00
यूको बैंक			**20,000.00**	-
इंडियन बैंक			**20,000.00**	-
कारपोरेशन बैंक			**38,500.00**	-
उपर्युक्त पर अर्जित एवं देय ब्याज			**-**	7.92
नकद ऋण सीमा				
कारपोरेशन बैंक			**10,000.00**	28,500.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया			**-**	17,500.00
बैंक ऑफ इंडिया			**-**	20,000.00
केनरा बैंक			**20,000.00**	-
बांडों के माध्यम से ऋण				
ए. (गैर–संचयी, भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा)				
क) लघु अवधि				
13.85%	13.09.2006को सममूल्य पर प्रतिदेय	**(31वीं शृंखला)**	**3,500.00**	3,500.00
14%	01.03.2006 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**(29वीं शृंखला 1)**	**-**	1,291.00
14%	29.03.2006 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**(29वीं शृंखला 2)**	**-**	3,096.92
ख) दीर्घ अवधि				
11.5%	12.12.2008 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**(18वीं शृंखला)**	**6,858.00**	6,858.00
11.5%	29.12.2009 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**(21वीं शृंखला)**	**6,908.00**	6,908.00
11.5%	27.12.2010 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**(22वीं शृंखला)**	**4,900.00**	4,900.00
12%	05.12.2011 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**(23वीं शृंखला 1)**	**2,265.00**	2,265.00
12%	21.02.2012 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**(23वीं शृंखला 2)**	**3,035.00**	3,035.00
13%	17.02.2008 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**(24वीं शृंखला)**	**5,502.00**	5,502.00
12.3%	26.03.2008 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**(35वीं शृंखला)**	**5,497.50**	5,497.50
बी) अन्य बांड				
7.22%	31.12.2014 को सममूल्य पर प्रतिदेय	**(74वीं शृंखला)**	**25,000.00**	25,000.00
उपर्युक्त पर अर्जित एवं देय ब्याज			**-**	23.38
कुल असुरक्षित ऋण			**228,962.65**	192,901.28
अगले वर्ष के भीतर वापसी अदायगी/पुनर्विमोचन के लिए देय			**5,448.72**	6,407.32

टिप्पणी: 31.03.2006 की स्थिति के अनुसार आरईसी लिमिटेड, सीपी फंड ट्रस्ट एवं आरईसी लिमिटेड ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट द्वारा क्रमशः 18.77 लाख रुपए एवं 10.00 लाख रुपए की राशि के बांड रखे गए हैं ।

अनुसूची "5" – अचल परिसंपत्तियां

(लाख रुपए)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	1.4.2005 को	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	**31.03.2006 को**	31.3.2005 तक	**वर्ष के दौरान**	वर्ष के दौरान निपटाए/ बट्टे खाते	**31.03.2006 तक**	**31.03.2006 को**	31.03.2005 को
फ्री होल्ड भूमि	65.90	14.13	-	**80.03**	-	-	-	-	**80.03**	65.90
लीज होल्ड भूमि	145.50	-	-	**145.51**	8.39	1.47	-	**9.86**	**135.64**	137.11
बिल्डिंग	2,156.75	17.99	-	**2,174.74**	361.93	33.50	-	**395.43**	**1,779.31**	1,794.82
फर्नीचर एवं जुड़नार	350.70	10.54	1.22	**360.02**	191.16	20.04	1.20	**210.00**	**150.02**	159.54
ई.डी.पी. उपकरण	367.09	10.18	5.77	**371.50**	246.83	33.24	5.27	**274.80**	**96.70**	120.26
कार्यालय उपकरण	232.40	18.64	1.98	**249.08**	142.37	12.24	1.71	**152.93**	**96.15**	90.03
वाहन	98.18	-	0.02	**98.16**	52.59	9.09	0.02	**61.66**	**36.50**	45.59
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (कंप्यूटर साफ्टवेयर)	1.83	-	-	**1.83**	0.54	0.34	-	**0.89**	**0.95**	1.29
कुल जोड़	3,418.35	71.48	9.00	3,480.85	1,003.81	109.92	8.19	1,105.56	2,375.29	2,414.54
गत वर्ष	2,965.86	463.03	10.54	3,418.35	897.17	114.85	8.21	1,003.81	2,414.54	2,068.69
चालू पूंजीगत कार्य	140.54	3,923.29	-	**4,063.82**	-	-	-	-	**4,063.82**	140.54
गत वर्ष	284.64	214.17	358.27	140.54	-	-	-	-	140.54	284.64

1. केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान, हैदराबाद में एसी प्लांट पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 14 के अनुसार इसके अधिष्ठापन वर्ष 1988–89 से 4.75% की बजाय 5.15% की दर से लगाया जा रहा है।
2. अन्य अमूर्त (इनटेन्जॅबल) परिसंपत्तियों में बाहर से और एएस–26 की शर्तों के अनुसार खरीदे गए कंप्यूटर साफ्टवेयर शामिल हैं। पांच वर्षों के बाद इन पर प्रभार लगाए जाने का प्रस्ताव है।
3. चालू पूंजीगत कार्य में 3780.82 लाख रुपए की राशि से कार्यालय/आवासीय परिसर के निर्माण के लिए भूमि खरीद हेतु दिया गया अग्रिम शामिल है।

अनुसूची "6" – निवेश

(लाख रुपए)

	31.3.2006 को	31.3.2005 को
दीर्घावधि निवेश (अनुद्धृत)		
गैर–कारोबार निवेश		
8% मध्य प्रदेश सरकार पावर बांड–II	**132,048.00**	141,480.00
दिनांक 01.04.2005 से लागू 30 समान अर्द्ध वार्षिक किश्तों में परिपक्व		
(प्रति 4716 लाख रु. के अंकित मूल्य के 28 बांड)		
(प्रति गत वर्ष के 4716 लाख रु. के अंकित मूल्य के 30 बांड)		
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड		
"स्मॉल इज ब्यूटीफुल" निधि के 50, 20, 900 यूनिट	**451.09**	242.37
8.98 प्रति यूनिट के निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) पर		
(10 रुपए प्रति यूनिट अंकित मूल्य है)		
	132,499.09	141,722.37

अनुसूची "7" – ऋण

(लाख रुपए)

		31.3.2006 को		31.3.2005 को
(i) राज्य बिजली बोर्ड/निगम, सहकारिताएं तथा राज्य सरकारें		**1,842,016.82**		1,685,073.07
(क) संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा अरक्षित, अच्छे और गारंटीशुदा समझे जाने वाले				
(ख) अरक्षित अच्छे समझे जाने वाले				
(ii) राज्य बिजली बोर्डों/निगम (संबद्ध राज्य बिजली बोर्डों/ निगमों के पास सामग्री को गिरवी रखकर रक्षित किए गए)		**542,176.11**		208,811.59
अच्छे माने गए	**140.99**		140.99	
संशयी रूप में वर्गीकृत किए गए				
घटाएंः संदिग्ध और अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान	**70.50**	**70.50**	70.50	70.50
(iii) अन्य (मूर्त परिसंपत्ति को गिरवी रखकर रक्षित) –				
अच्छे समझे गए		**35,948.45**		199,337.84
संशयी वर्गीकृत किए गए	**2,854.99**		2,854.99	
घटाएंः अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**2,000.00**	**854.99**	2,000.00	854.99
(iv) अन्य (अरक्षित) – अच्छे समझे गए		**33,230.90**		10,000.00
(v) ऋणों पर अर्जित और देय ब्याज		**118.52**		358.42
(vi) पुनः अनुसूचीबद्ध ऋणों पर अर्जित ब्याज		**78,144.64**		63,934.33
जोड़		**2,532,560.93**		2,168,440.74

अनुसूची "8" – चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम राशि

(लाख रुपए)

		31.3.2006 को		31.3.2005 को
I चालू परिसंपत्तियां				
(क) नकद और बैंक में जमा राशि				
(i) मौजूद/पारगमन में नकदी/चैक (डाक संबंधी व्यय एवं अग्रदाय सहित)		**13,292.58**		2,246.13
(ii) चालू खातों में				
– भारतीय रिजर्व बैंक के पास		**332.58**		193.82
– अन्य अनुसूचित बैंकों के पास		**54,438.52**		21,105.26
(iii) अनुसूचित बैंकों के खाते में जमा		**123,300.00**		25,000.22
(iv) मार्गस्थ प्रेषणा राशियां		**0.77**		-
जोड़ – (क)		**191,364.46**		48,545.43
(ख) अन्य चालू परिसंपत्तियां				
(ii) सावधि जमा पर अर्जित ब्याज परंतु देय नहीं		**1,268.26**		400.19
(iii) अर्जित ब्याज परंतु देय नहीं				
– ऋणों पर		**23,795.80**		23,237.46
– सरकारी प्रतिभूतियों पर		**5,281.92**		5,659.20
– कर्मचारियों को दिए ऋणों पर		**203.38**		198.95
(iv) राज्य बिजली बोर्डों/सरकारी विभागों से वसूली योग्य राशि	**197.45**	**-**	183.64	-
घटाएं : अशोध्य एवं संदिग्ध वसूली वाले ऋणों के लिए प्रावधान	**180.20**	**17.25**	180.20	3.44
जोड़ – (ख)		**30,566.61**		29,499.24
II ऋण एवं अग्रिम राशि				
(क) ऋण				
(i) कर्मचारी (सुरक्षित)		**148.83**		196.90
(ii) कर्मचारी (असुरक्षित)		**240.64**		242.70
(ख) अग्रिम राशि (अरक्षित वसूली योग्य)				
(i) नकद या वस्तुओं के रूप में या प्राप्त होने वाली राशि की एवज में वसूल हो सकने वाले अग्रिम		**85.86**		131.41
(ii) अग्रिम आयकर		**99,261.74**		79,245.02
(iii) वसूली योग्य आयकर (बांड)		**0.29**		0.29
जोड़ – (ग)		**99,737.36**		79,816.31
कुल जोड़ (क + ख + ग)		**321,668.43**		157,860.98

अनुसूची "9" – चालू देयताएं एवं प्रावधान

(लाख रुपए)

			31.3.2006 को		31.3.2005 को
(क)	**चालू देयताएं**				
(ए)	खर्च के लेनदार				
	– लघु उद्योग उपक्रमों की देय राशि				
	– लघु उद्योग उपक्रमों के अलावा लेनदारों की देयताएं		**1,520.55**		1,552.18
(बी)	अग्रिम प्राप्तियां		**396.56**		154.29
(सी)	अन्य देयताएं		**616.28**		303.91
(डी)	भारत सरकार से सहायता अनुदान	**229,442.56**		113,712.73	
	घटाएं : राज्य बिजली बोर्डों/ सहकारी समितियों को संवितरित राशि	**211,162.48**	**18,280.07**	109,997.06	3,715.67
(ई)	अर्जित ब्याज परंतु देय नहीं				
	– बांडों पर	**19,835.75**		27,868.01	
	– सरकारी/एलआईसी ऋण	**18,408.37**	**38,244.11**	19,022.60	46,890.61
(एफ)	बांड्स तथा सरकारी ऋणों पर ब्याज और मूलधन जिनका दावा न किया गया हो				
	– ब्याज	**298.50**		154.35	
	– मूलधन	**300.00**	**598.50**	304.00	458.34
जोड़ (क)			**59,656.07**		53,075.00
(ख)	**प्रावधान**				
(ए)	आयकर		**98,167.71**		80,887.30
(बी)	सेवानिवृत्ति पश्च स्वास्थ्य योजना		**774.57**		-
(सी)	छुट्टी नकदीकरण		**711.78**		598.99
(डी)	उपदान		**98.76**		312.91
(ई)	धनकर		**0.23**		1.24
(एफ)	प्रस्तावित लाभांश		**10,126.00**		17,650.00
(जी)	निगमित लाभांश कर		**1,420.17**		2,475.41
जोड़ (ख)		111,299.22		101,925.86	
कुल जोड़ (क)+(ख)			**170,955.29**		155,000.86

अनुसूची "10" – आस्थगित कर परिसंपत्तियां (+)/देयताएं(–)

(लाख रुपए)

		31.3.2006 को		31.3.2005 को
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का अथ शेष	**151.51**		229.27	
जोड़े : वर्ष के दौरान अभिवृद्धि (देयताएं घटाकर)	**1,390.69**	**1,542.20**	(77.76)	151.51
जोड़		**1,542.20**		151.51

अनुसूची "11" – प्रचालनों से आय

(लाख रुपए)

		31.3.2006 को		31.3.2005 को
क. आगे उधार देने के प्रचालनों पर				
ऋणों पर ब्याज				
– लघु अवधि वित्तपोषण	**18,410.31**		9,695.80	
– दीर्घ अवधि वित्तपोषण	**175,087.76**	**193,498.07**	153,991.72	163,687.52
ख. ऋणों के पुनः निर्धारण से आय		**12,168.24**		54,669.06
		205,666.31		218,356.58
ग. प्रहस्तन प्रभार, सेवा प्रभार, जांच–पड़ताल शुल्क, अग्रिम (अपफ्रंट) शुल्क, परामर्श प्रभार आदि		**169.50**		570.67
घ. अदला–बदली प्रीमियम खाता		**1,295.04**		1,053.87
जोड़		**207,130.85**		219,981.12

अनुसूची "12" – अन्य आय

(लाख रुपए)

		31.3.2006 को		31.3.2005 को
क. निवेश/जमा प्रचालनों पर				
जमा राशि पर ब्याज	**6,243.83**		4,498.43	
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	**10,752.48**	**16,996.31**	5,659.20	10,157.63
ख. अन्य आय				
कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज		**29.13**		36.52
विविध आय		**58.29**		18.85
वापस लाया गया अधिक प्रावधान		**291.66**		14.75
जोड़		**17,375.40**		10,227.76

अनुसूची "13" – ब्याज एवं अन्य प्रभार

(लाख रुपए)

	31.3.2006 को	31.3.2005 को
निम्नलिखित पर ब्याज :		
– सरकारी ऋण	910.68	4,960.66
– आरईसी बांड	93,416.84	92,209.82
– वित्तीय संस्थाएं	39,387.52	23,092.14
जोड़ (ए)	133,715.03	120,262.62
एआरईपी आर्थिक सहायता पर ब्याज – जोड़ (बी)	198.00	212.24
जोड़	133,913.03	120,474.87

अनुसूची "14" – स्थापना व्यय

(लाख रुपए)

	31.3.2006 को	31.3.2005 को
वेतन एवं भत्ते	2,575.12	2,311.91
उपदान निधि में अंशदान	100.73	314.52
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	172.47	175.98
कर्मचारी कल्याण खर्च	1,349.83	436.77
किराया – आवास	52.28	50.48
जोड़	4,250.44	3,289.66

अनुसूची "15" – प्रशासनिक खर्च

(लाख रुपए)

		31.3.2006 को		31.3.2005 को
किराया – कार्यालय		**28.02**		19.25
दर एवं कर		**34.49**		11.12
बिजली एवं जल प्रभार		**41.87**		32.00
बीमा प्रभार		**3.02**		2.93
मरम्मत एवं अनुरक्षण				
– भवन	**160.79**		141.93	
– अन्य	**43.04**	**203.82**	17.99	159.92
बांड गारंटी शुल्क/प्रहस्तन प्रभार		**-**		17.68
छपाई एवं लेखन सामग्री		**42.80**		30.60
यात्रा एवं वाहन				
– निदेशक	**3.07**		6.22	
– अन्य	**299.04**	**302.11**	222.71	228.93
डाक, तार एवं टेलीफोन		**67.12**		58.38
परामर्शी प्रभार		**4.09**		5.23
सहायता निधि एवं अन्य		**-**		226.00
विविध खर्च	**413.08**		291.26	
आरजीजीवीवाई योजना के क्रियान्वयन पर व्यय	**342.96**		-	
घटाएः आरजीजीवीवाई अनुदान पर प्राप्त ब्याज	**34.02**	**308.94**	-	-
मनोरंजन		**11.27**		12.18
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		**15.54**		21.46
वाहन अनुरक्षण		**17.98**		25.71
अनुसंधान एवं मूल्यांकन अध्ययन		**24.96**		-
परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटा		**0.30**		1.53
जोड़		**1,519.40**		1,144.18

अनुसूची "16" – खातों पर टिप्पणियां

1. निम्नलिखित के संबंध में आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है :–

(लाख रुपए)

		31.3.2006 को	31.3.2005 को
(क)	निगम के विरूद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के 2526.11 लाख रुपए शामिल हैं, पिछले वर्ष 2579.44 लाख रुपए)	3694.51	5796.27
(ख)	संविदाओं की अनुमानित राशि जिन्हें अभी पूंजी खाते में निष्पादित किया गया है एवं जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया	1847.00	126.05
(ग)	आंध्र प्रदेश सरकार की गारंटी के अंतर्गत प्राप्य राशियों के प्रत्याभूतिकरण के कारण भावी रिकोर्स	शून्य	5244.76
(घ)	अन्य	910.00	शून्य

आकस्मिक देयताएं क्रमशः न्यायालय/न्यायालय से बाहर मामले के निपटान के परिणाम, मांगी गई राशि, संविदात्मक वचनबद्धताओं, की शर्तों, घटनाओं और संबंधित पार्टियों द्वारा मांग करने, अपीलों के निपटान पर निर्भर करती हैं।

उपर्युक्त 1 (ख) के अंतर्गत में 1747.91 लाख रूपए की राशि शामिल है, जो ''स्माल इज ब्यूटीफुल'' न्यास, उद्यम पूंजी निधि के यूनिटों के अंशदान हेतु है।

2. वर्ष 1997–98 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निगम को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एन.बी.एफ.सी.) के रूप में पंजीकृत किया गया था। आरबीआई की दिनांक 13.1.2000 की अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी), सीसी सं. 12/डी2.01/99–2000 के अनुसार जो सरकारी कंपनियां कंपनी अधिनियम की धारा 617 का अनुपालन करती हैं, उनको तरल परिसंपत्तियों के रखरखाव, आरक्षित निधियां स्थापित करने और सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रावधानों के अनुपालन में छूट मिली हुई है। आरईसी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अनुरुप सरकारी कंपनी है और इस पर भी उक्त अधिसूचना लागू होती है। आरक्षित निधियों को सृजित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 451सी के प्रावधानों के लागू न होने की बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षित कोष सृजित नहीं किया गया है।

3. केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान, हैदराबाद की बिल्डिंग और नई दिल्ली स्थित स्कोप कांप्लेक्स कार्यालय का फर्नीचर एवं जुड़नार अनंतिम आधार पर पूंजीकृत किए गए हैं, क्योंकि इस संबंध में अंतिम बिलों की प्राप्ति अभी लंबित है। इस संबंध में अंतिम लागत में जो अंतर आएगा, उसे पता लगाने के उपरांत लेखाबद्ध किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2000–01 के दौरान केरल राज्य आवास मंडल (केएसएचबी) से तिरुवनंतपुरम में खरीदे गए फ्लेटों के संबंध में कुछ भूस्वामियों ने केएसएचबी द्वारा करार के अनुसार उन्हें पहले भुगतान किए गए मुआवजे पर विरोध जताया है, यदि भूस्वामियों को कुछ अधिक मुआवजा दिया जाता है तो केएसएचबी आबंटितियों से आनुपातिक राशि वसूल करेगा।

4. लेखा नीति 2.5 का अवलोकन करें। कुछ ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों द्वारा विशेष निधि जुटाने में 31.3.2006 तक 353.11 लाख रुपए (गत वर्ष 279.25 लाख रुपए) की कमी रही तथा इन समितियों को अपेक्षित विशेष निधि जुटाने के लिए कहा गया है।

5. कुछ कर्जदारों से शेष पुष्टि प्राप्त हो गई है।

6. बांडों पर अर्जित ब्याज के संबंध में लागू आयकर बांड धारकों को ब्याज के वास्तविक भुगतान के समय स्रोत पर काट लिया जाता है क्योंकि ऐसे बांड पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय होते हैं।

7. निगम द्वारा 5754.23 लाख रुपए (गत वर्ष 650.46 लाख रुपए) की राशि से अधिग्रहीत भूमि सहित कुछ परिसरों के संबंध में हस्तांतरण विलेख संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

8. 31.3.2006 को कर्जदारों से वसूली योग्य कुल बकाया राशि 25715 लाख रुपए (गत वर्ष 64846 लाख रुपए) थी और इसे वसूल करने के लिए कारगर उपाय किए जा रहे हैं। गत वर्ष चूककर्ता राज्य बिजली बोर्डों, विंड फार्म उधारकर्ताओं और सहकारी समितियों के विरूद्ध देय राशियों की वसूली के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में दायर मुकदमे सुनवाई/कानूनी कार्रवाई के विभिन्न स्तरों पर हैं। अन्य चूककर्ता समितियों के संबंध में कोर्ट से आदेश प्राप्त कर लिए गए हैं और उन पर कार्रवाई चल रही है।

9. निगम के उधारकर्ताओं को यह विकल्प दिया गया था कि वे अपने उच्च लागत वाले ऋणों को प्रचलित निम्न ब्याज दरों वाले ऋणों से अदला–बदली प्रीमियम देकर बदल सकते हैं। प्रचालनों से आय में वर्ष के दौरान निगम को अदला–बदली प्रीमियम के रूप में प्राप्त 1295.04 लाख रुपए (गत वर्ष 1053.87 लाख रुपए) शामिल हैं।

10. लेखा नीति सं. 11.2 के अनुसार 31.3.2006 को विनिर्दिष्ट बैंकों के ब्याज वारंट्स खातों में शेष राशि 27791.26 लाख रुपए (गत वर्ष 23841.26 लाख रुपए) है।

11. प्रबंधन की राय के अनुसार तुलनपत्र में शामिल चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम राशियां दिखाए गए मूल्य के बराबर हैं, बशर्ते कि उन्हें सामान्य कामकाज के दौरान वसूल कर लिया जाए और सभी ज्ञात देनदारियों के भुगतान के लिए व्यवस्था कर दी गई हो।

12. छुट्टी नकदीकरण दिनांक 30.6.2006 तक खाते में जमा और 31.3.2006 तक उपयोग की गई छुट्टियों के बाद शेष छुट्टियों के साथ मूल्यांकक के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसका पूर्ववर्ती वर्षों में लगातार अनुपालन किया जाता रहा है।

13. परिसंपत्तियों की हानि के संबंध में लेखा मानक – 28 के अधीन अपेक्षित के अनुसार हानियों के लिए प्रावधान करना प्रबंधन की राय में आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की कोई हानि नहीं हुई है।

14. सरकार द्वारा अधिकारियों के वेतनमानों का अंतिम अनुमोदन किए जाने तक सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कारण से सेवा छोड़ने वाले कर्मचारियों के संबंध में 7.16 करोड़ रुपए (गतवर्ष 7.50 करोड़ रूपए) की विभेदक राशि कर्मचारियों के नाम में नियत निक्षेपों में रखी गई है (नियत अवधि जमा रसीदें आरईसी के नाम वचनबद्ध की गई हैं)।

15. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिज लिमिटेड की ओर देयताएं :– कंपनी की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिज उपक्रम की ओर कोई बकाया देयताएं नहीं है।

16. वर्ष 2005–06 के दौरान, कंपनी ने जापानी येन वाली बांड शृंखला 79 (अमरीकी डॉलर वाली 74वीं बांड शृंखला के साथ ब्याज अदला–बदली, संबद्ध गतवर्ष आईसीआईसीआई बैंक के साथ 250 करोड़ रुपए) के साथ संबद्ध ब्याज दर अदला–बदली यूटीआई बैंक, यैस बैंक, बैंक ऑफ अमरीका और एबीएन एमरो बैंक के साथ एक अदला–बदली वाले 500 करोड़ रुपए का कारोबार निष्पन्न किया है।

वर्ष के दौरान कारपोरेशन ने 236.77 लाख रुपए कमाए हैं, जिन्हें उसी सीमा तक ऋणों की लागत में कमी में प्रभावित कर दिया गया है।

17. इस वर्ष के लिए कोई बांड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) नहीं रखा गया है, क्योंकि भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग द्वारा दिनांक 18.4.2002 को जारी स्पष्टीकरण सं. 6/3/2001–सीएल.V के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा 45–1क के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत एनबीएफसी द्वारा जारी प्राइवेट प्लेसमेंट वाले डिबेंचरों के मामले में बीआरआर जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

18. निदेशकों का पारिश्रमिक :

(लाख रुपए)

	31.3.2006 को समाप्त वर्ष	31.3.2005 को समाप्त वर्ष
वेतन एवं भत्ते	22.67	13.57
परिलब्धियां/प्रतिपूर्ति	7.15	5.62
सेवानिवृत्ति लाभ	1.22	1.88
	31.04	21.07

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों को भी स्टाफ कार इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी गई है। लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार वे मासिक प्रभार का भुगतान करके 1000 किलोमीटर तक प्रति माह की निजी यात्रा कर सकते हैं।

19. निगम के निदेशकों से ऋणों और अग्रिम सहित 0.17 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1.59 लाख रुपए) की राशि देय है (वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि 2.09 लाख रुपए (गत वर्ष 4.01 लाख रुपए) है।

20. लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल हैं :

(लाख रुपए)

	31.3.2006 को समाप्त वर्ष	31.3.2005 को समाप्त वर्ष
(क) लेखा परीक्षा शुल्क		
– चालू वर्ष	6.73	6.61
– गत वर्ष	0.88	0.54
(ख) कर लेखा परीक्षा शुल्क		
– चालू वर्ष	2.24	2.20
– गत वर्ष	–	0.58
(ग) खर्चों की प्रतिपूर्ति		
– चालू वर्ष	0.23	6.98
– गत वर्ष	1.24	–
(घ) अन्य सेवाओं के लिए भुगतान		
– चालू वर्ष	3.72	4.55
– गत वर्ष	0.50	–
	15.44	21.46

21. वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में व्यय 4.82 लाख रुपए (गत वर्ष 13.92 लाख रुपए) था। कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग II के पैरा 4 (ग) और (घ) के तहत अपेक्षित अन्य सभी सूचना शून्य हैं या लागू नहीं हैं।

22. आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक–27 के अधीन अपेक्षित के अनुसार संयुक्त उद्यम में कंपनी के हित के संबंध में सूचना।

निवेश में संयुक्त उद्यम स्मॉल इज ब्यूटीफूल फंड (एसआईबी फंड) नामक केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड द्वारा प्रौन्नत संयुक्त पूंजीनिधि की यूनिटों में कंपनी के अंशदान को दर्शाने वाली 502.00 लाख रुपए (गत वर्ष 242.37 लाख रुपए) शामिल है।

कंपनी का नाम	निधि में अंशदान	आवास का देश	स्वामित्व का हिस्सा
केएसके एनर्जी वेंचर्स लि० का एसआईबी फंड	502.00 लाख रुपए	भारत	9.74%

23. संबंधित पार्टियों का प्रकटीकरण

ए. प्रमुख प्रबंध कार्मिक

श्री अनिल कुमार लखीना – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री एच. डी. खुंटेटा – निदेशक (वित्त)

श्री बाल मुकंद – निदेशक (तकनीकी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का टिप्पणी संख्या 18 में उल्लेख किया गया है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों द्वारा देय अग्रिम टिप्पणी संख्या 19 में किए गए उल्लेख के अनुसार 0.17 लाख रुपए (गत वर्ष 1.59 लाख रुपए) हैं।

बी. अन्य संबंधित पार्टियां, जिनके साथ कारोबार किया जा रहा है।

संयुक्त उद्यम

स्मॉल इज ब्यूटीफुल, वेंचर्स केपीटल फंड

24. ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं के लिए स्कीमें प्रारंभ में ब्याज वाले ऋण के रूप में मंजूर की जाती हैं तथा परियोजनाओं के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर ऋण के पात्र अंश को ऋण संवितरण की मूल तारीख से अनुदान में परिवर्तित कर दिया जाता है।

25. त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के अधीन आर्थिक सहायता :—

निगम, भारत सरकार के दिनांक 23.9.1997 के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 32024/17/97—पीएफसी और दिनांक 7.3.2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 32024/23/2001—पीएफसी के अनुसार सांकेतिक दरों पर परिकलित निवल मौजूदा मूल्य पर भारत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहा है और एक ब्याज आर्थिक सहायता निधि का रखरखाव कर रहा है, चाहे वास्तविक वापसी अदायगी अनुसूची, ऋण—स्थगन अवधि और वापसी अदायगी की अवधि कुछ भी रहे। सांकेतिक दर और निकासी के समय विचारित अवधि तथा वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के अंत में ही सुनिश्चित किया जा सकता है।

ब्याज आर्थिक सहायता में परिलक्षित 6646.76 लाख रुपए की राशि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता की राशि को दर्शाती है, जोकि त्वरित विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के अधीन भविष्य में उत्पन्न होने वाली कर्जदारों की ब्याज देयता के प्रति उन्हें प्रदान की जाती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

दिनांक 1.4.2005 को ब्याज आर्थिक सहायता का अथशेष	:	1208.00 लाख रुपए
जोड़िए : — वित्तीय वर्ष 2005—06 के दौरान प्राप्त	:	5729.83 लाख रुपए
— वर्ष के दौरान जमा ब्याज	:	शून्य
घटाइए : कर्जदारों को प्रदत्त ब्याज आर्थिक सहायता	:	291.07 लाख रुपए
दिनांक 31.3.2006 को अंत शेष	:	6646.76 लाख रुपए

26. लेखा मानक—26 'अमूर्त परिसंपत्तियां' में अपेक्षित के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटीकरण

i) परिशोधन दर	20%; परिसंपत्ति की लागत 5000 रुपए अथवा कम होने के मामले में 100%
ii) परिशोधन पद्धति	सीधी रेखा

(लाख रुपए)

समाधान विवरण	31.3.2006 को समाप्त वर्ष	31.3.2005 को समाप्त वर्ष
iii) सकल विद्यमान राशि	1.83	1.83
iv) संचित मूल्यह्रास	0.88	0.54
v) सकल विद्यमान राशि — अथ शेष	1.83	1.06
घटाएं : संचित मूल्यह्रास	0.54	0.12
विद्यमान राशि	1.29	0.94
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	—	0.77
घटाएं : वर्ष के दौरान परिशोधन	0.34	0.42
तुलनपत्र की तारीख को विद्यमान राशि	0.95	1.29

27. क) निगम आय पर कर के लिए लेखा से संबंधित लेखा मानक संख्या 22 के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के लिए प्रावधान करता रहा है। वर्ष के दौरान निगम ने आस्थगित कर परिसंपत्तियों के लिए 1390.69 लाख रुपए का प्रावधान किया है।

दिनांक 31.3.2006 के अनुसार आस्थगित कर परिसंपत्तियों के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :–

(लाख रुपए)

विवरण	31.3.2006 को समाप्त वर्ष	31.3.2005 को समाप्त वर्ष
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
वीआरएस व्यय के लिए प्रावधान	115.94	226.72
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	170.37	88.42
सेवानिवृत्ति–पश्च चिकित्सा लाभों के लिए प्रावधान	260.72	––
निवेशों में कमी के लिए प्रावधान	17.16	––
अन्य खर्चों के लिए प्रावधान	1251.64	––
	1815.83	**315.14**
आस्थगित कर देयताएं		
मूल्यह्रास	273.63	163.63
निवल आस्थगित कर देयताएं	**1542.20**	**151.51**

28. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक संख्या 20 के अनुसार, प्रति शेयर आय (मूल और मिश्रित) का परिकलन नीचे दिया गया है :–

(लाख रुपए)

विवरण	31.3.2006 को	31.3.2005 को
न्यूमरेटर		
लाभ एवं हानि खाता के अनुसार कर–पश्च लाभ	63751.07	78136.30
डिनोमीनेटर		
इक्विटी शेयरों की संख्या	780,600.000	780,600.000
वर्ष के दौरान आबंटित शेयर	शून्य	शून्य
प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय कर परिकलन करने के लिए इक्विटी शेयरों की भारांकित औसत संख्या	780,600.000	780,600.000
प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय (रुपए/प्रति शेयर)	8.17	10.01

29. विविध खर्चों में पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय विद्युत परिवीक्षण केन्द्र (एनपीएमसी) की स्थापना के लिए 1.00 करोड़ रुपए का अंशदान शामिल है।

30. कंपनी ने कर परामर्शदाता के परामर्श के आधार पर आयकर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कर देयता का प्रावधान कर दिया है।

31. कुछ राज्यों में राज्य बिजली बोर्डों के विघटन के कारण नई पारेषण एवं संवितरण कंपनियां प्रचालन में आ गई हैं। अपने–अपने राज्यों में इन नई संस्थाओं द्वारा परिसंपत्तियों और देयताओं का अधिग्रहण करने तक और/अथवा कानूनी और अन्य औपचारिकताओं/प्रलेखों के पूरा होने तक, उनके विघटन से पहले मूल कर्जदारों को स्वीकृत/जारी ऋण राज्यों द्वारा पदनामित मूल कंपनियों के नाम में बकाया है और तद्नुसार ऋणों का परिशोधन उनके द्वारा किया जाएगा। कानूनी और अन्य औपचारिकताओं/प्रलेखों के पूरा होने पर, जब भी आवश्यक हो, ऋणों का संवितरण कंपनियों में आगे विभाजन किया जा सकता है।

32. मिजोरम सरकार के संबंध में 74.56 करोड़ रुपए की कुल देय राशि का वर्ष के दौरान पुनः निर्धारण किया गया है और अब इसका भुगतान दिसंबर, 2022 तक मासिक किश्तों में देय है। समझौते के अनुसार भावी वर्षों के लिए विभेदक ब्याज का एनपीवी देयताओं के लिए लागू ब्याज की दर को कम किए जाने के कारण 19.35 करोड़ रुपए है, इसे भी अन्य देयताओं के साथ समान मासिक किश्तों में वसूल किया जाएगा।

33. पुनः निर्धारण कार्यक्रम के अनुसार एएसईबी दिनांक 31.3.2002 के अनुसार 377.35 करोड़ रुपए की शेष देयता की तुलना में 340 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जिसे मूल धन राशि के संबंध में 5 वर्ष की आस्थगन अवधि के बाद 15 वर्ष की अवधि में मासिक किश्तों में प्राप्त किया जाएगा। तद्नुसार, उक्त सहमत राशि में शामिल 121.68 करोड़ रुपए की अतिदेय ब्याज राशि को लेखा की उपार्जन प्रणाली का पालन करते हुए निगम की लेखा नीतियों की शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान आय के रूप में माना गया है।

34. **लेखा मानक–29 में अपेक्षित के अनुसार प्रावधानों का ब्योरा**

(लाख रुपए)

	31.3.2006	31.3.2005
(क) आयकर		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	80,887.30	57,375.44
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	17,280.41	23,511.86
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	–	–
	98,167.71	80,887.30
(ख) सेवानिवृत्ति–पश्च स्वास्थ्य योजना		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	–	–
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	774.57	–
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	–	–
	774.57	–
(ग) छुट्टी नकदीकरण		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	598.99	530.08
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	975.41	611.49
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	862.62	542.58
	711.78	598.99
(घ) उपदान		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	312.91	598.90
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	98.76	312.91
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	312.91	598.90
	98.76	312.91
(ङ) धन–कर		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	1.24	1.63
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	0.23	–
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	1.24	0.39
	0.23	1.24
(च) प्रस्तावित लाभांश		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	17,650.00	18,300.00
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	10,126.00	17,650.00
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	17,650.00	18,300.00
	10,126.00	17,650.00
(छ) निगमित लाभांश कर		
पिछले तुलन–पत्र के अनुसार	2,475.41	2,344.68
वर्ष के दौरान अभिवृद्धि	1,420.17	2,522.31
वर्ष के दौरान प्रदत्त/उपयोग की गई राशि	2,475.41	2,391.58
	1,420.17	2,475.41

35 जहां कहीं भी आवश्यक था, गत वर्ष के आंकड़े फिर से व्यवस्थित कर दिए गए हैं, ताकि चालू वर्ष के आंकड़ों से इनकी तुलना की जा सके।

36. अनुसूची '1' से '16' तुलनपत्र एवं लाभहानि खाते के अनिवार्य हिस्से हैं और उन्हें विधिवत रूप से प्रमाणित कर दिया गया है।

37. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग 4 के अनुसार तुलनपत्र सार और कंपनी के सामान्य कारोबार के ब्योरे इस प्रकार हैं:

1. पंजीकरण ब्योरे

पंजीकरण संख्या	005095	राज्य कोड	55
तुलनपत्र दिनांक	31	03	2006
	दिनांक	महीना	वर्ष
			राशि (लाख रुपए)

2. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी **शून्य**

3. निधियां जुटाने और उनके विनियोजन की स्थिति

कुल देयताएं	2823754.47	कुल परिसंपत्तियां	2823754.47
निधियों के स्रोत			
प्रदत्त पूंजी	78060.00	आरक्षित एवं अधिशेष	341773.00
रक्षित ऋण	2174958.82	अरक्षित ऋण	228962.65
निधियों का प्रयोग			
निवल अचल परिसंपत्तियां (पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित)	6439.11	निवेश	132499.09
निवल चालू परिसंपत्तियां	150713.14	ऋण	2532560.93
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	1542.20	विविध व्यय	शून्य
संचयी हानियां	शून्य		

4. कंपनी का कार्यनिष्पादन

कुल कारोबार	224506.26	कुल खर्च	141523.22
कर से पूर्व लाभ	82983.04	कर के बाद लाभ	63751.07
प्रतिशेयर अर्जन रुपए में (10/–रुपए के शेयर पर)	8.17	लाभांश दर	30%

5. कंपनी के मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम

मद कोड सं.	लागू नहीं	वित्तीय संवाएं

1 से 16 तक सभी अनुसूचियों पर हस्ताक्षर

तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि तथा उपर्युक्त टिप्पणियों के भाग के रूप में अनुसूचियों पर हस्ताक्षर।

ए.के. लखीना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

एच.डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

बी.आर. रघुनंदन
कंपनी सचिव

उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस. माथुर एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अजय माथुर
भागीदार
सदस्य सं० 82223

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 1 जून, 2006

लेखा पर टिप्पणियां – अनुसूची 16 की टिप्पणी संख्या 2 से संबंधित शुद्धि पत्र

ऋणों (अनुसूची 7) में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सहकारी समितियों को गारंटी दिए गए अतिदेय ऋण की 4187.00 लाख रुपए की राशि शामिल है, जिसमें से ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने 1459.32 लाख रुपए की अतिदेय राशि वाली 16 समितियों, राज्य सरकारों द्वारा 125.79 करोड़ रुपए की राशि के लिए बीएसईबी को अतिदेय ऋणों के संबंध में, मणिपुर को 128.15 करोड़ रुपए की राशि के संबंध में और त्रिपुरा राज्य को 13.72 करोड़ रुपए की राशि के संबंध में प्रदान की गई गारंटी के संदर्भ में डिक्री और वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिए हैं। इन गारंटियों को कंपनी द्वारा अनुपालन की जा रही लेखा नीतियों के संदर्भ में एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है और तद्नुसार इन अतिदेय ऋणों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है । इसके अलावा, विभिन्न पवन ऊर्जा परियोजनाओं को ऋणों के संबंध में 2854.00 लाख रुपए के बकाया ऋणों की तुलना में 2000.00 लाख रुपए के प्रावधान को उपलब्ध प्रतिभूति के मद्देनजर पर्याप्त माना गया है ।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

(क) **लेखा पद्धति :–** वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धति और सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों तथा भारत में लागू लेखा मानकों के अनुसार तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की संबंधित प्रस्तुतीकरण अपेक्षाओं का पालन करते हैं।

(ख) **अनुमानों का उपयोग :–** वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांत प्रबंधन से अनुमान और पूर्वानुमान तैयार करने की अपेक्षा करते हैं, जोकि वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं तथा प्रकटीकरण की सूचित राशि और रिपोर्ट अवधि के दौरान राजस्व और व्ययों की सूचित की गई राशियों विशेषतः प्रमुख मदों से संबंधित जैसे ऋण व बांडों पर ब्याज, बकाया देयताओं, मूल्यह्रास, संदेहास्पद ऋणों और अग्रिमों और प्रासंगिक देयताओं के लिए प्रावधान आदि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

2. राजस्व मान्यता

2.1 दो तिमाहियों या इससे अधिक के लिए ब्याज/मूलधन अतिदेय हो जाने की स्थिति में निष्क्रिय परिसंपत्तियों (भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंडों के अनुसार परिभाषित) पर आय को तभी माना गया है, जब यह प्राप्त हुई हो तथा इसका विनियोजन किया गया हो।

2.2 यदि उधार लेने वालों से अन्यथा सहमति न हुई हो तो उनसे की गई वसूली का विनियोजन इस क्रम में किया जाता है (i) ब्याज, दंडात्मक ब्याज, जहां लागू हो, ब्याज पर कर सहित सबसे पुरानी देय राशि पहले समायोजित की जाएगी; (ii) मूलधन की वापसी, सबसे पुरानी देय राशि पहले समायोजित की जाएगी जैसा कि कर्जदारों से वसूली के मामले में किया जाता है, जब तक अन्यथा निर्णय न लिया गया हो या विनिर्दिष्ट न किया गया हो, प्राप्य राशियों के प्रत्याभूतिकरण के कारण एसपीवी या अन्य से प्राप्त राशियों को इसी क्रम में विनियोजित किया जाता है अर्थात पहले ब्याज (इसमें अर्जित ब्याज परंतु देय नहीं शामिल है), दंडात्मक ब्याज एवं ब्याज कर, यदि लागू हो, पुरानी देय राशियों को पहले समायोजित किया जाता है तथा उसके बाद अतिदेय राशि एवं बकाया मूलधन का समायोजन किया जाता है।

2.3 प्रत्याभूतिकरण संबंधी अपफ्रंट आय/हानि को उसी वर्ष में स्वीकार किया जाता है, जिसमें इसे निर्धारित और प्राप्त किया गया हो।

2.4 पीटीसी/दस्तावेजों के प्रशासन के संबंध में वार्षिक न्यासी शुल्क एवं अन्य भावी खर्चों को पीटीसी/दस्तावेज धारकों को उनकी पूर्ण अदायगी होने तक उसी वर्ष में आंका जाता है, जिस वर्ष में वे खर्च उपचित होते हैं या खर्च किए जाते हैं।

2.5 रिकोर्स के प्रचालन, यदि कोई हो, की स्थिति में एसपीवी को आरईसी द्वारा किए गए भुगतान/उधारकर्ताओं से वसूली योग्य राशि तथा आरईसी द्वारा उपलब्ध एस्क्रो तंत्र या किसी अन्य तरीके से की गई वसूली, जो व्यवहार्य हो, इसमें गारंटी देने वाले को भुगतान करने के लिए कहना भी शामिल है, को खर्च माना जाएगा।

2.6 अगर आरईसी द्वारा इस तरह रिकोर्स अदायगी की जाती है तो उसे खर्च माना जाएगा, बशर्ते कि यह ब्याज के रूप में एसपीवी से प्राप्तियों के विनियोजन के बदले में की जाती हो और मूलधन के रूप में एसपीवी से प्राप्तियों के विनियोजन के जरिए वसूली योग्य राशि के रूप में प्राप्त हो।

2.7 जब यह उचित प्रत्याशा हो कि उधारकर्ताओं से बकाया वसूली की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं है और कर्जदारों के साथ कानूनबद्ध सहमति ज्ञापन निष्पादित कर लिया गया है तो उन ऋणों, जिनकी शर्तें संशोधित/पुनः निर्धारित की गई हैं, को आय मान लिया जाता है। तथापि, यह सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के बाद निश्चित प्राप्ति का अनुमान लगाने का अकेला मानदंड नहीं है, इसके अतिरिक्त, संबद्ध राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई सुधार नीति, डीआरटी से प्राप्त न्यायालय डिक्री आदि भी इसके मार्गदर्शी मानदंड होंगे। इसके बावजूद, यह वास्तविकता है कि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार

ने आरईसी के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में यह बात स्वीकार की है कि चूककर्ता राज्यों से आरईसी की देय राशि वसूल करवाने में केंद्रीय विनियोजन अथवा अन्य तरीके से सहायता की जाएगी।

2.8 ऋण के पांचवे वर्ष तक ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों के लिए ऋण पर ब्याज हिसाब में नहीं लिया जाता क्योंकि सहकारी समितियां ब्याज अदा न करने की हकदार हैं, बशर्ते कि वे ऋण करार के अनुसार ऐसे ब्याज की राशि के बराबर विशेष निधि बनाने के लिए सहमत हों।

2.9 समय पर किए गए भुगतान के लिए छूट को केवल तभी हिसाब में लगाया जाता है, जब ब्याज और ऋण किस्त का भुगतान देय तारीख को अदा/प्राप्त हो गया हो।

3. अचल परिसंपत्तियां

संचित मूल्यह्रास घटाकर अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। इस लागत में परिसंपत्तियों उनके वांछित उपयोग के लिए कार्यचालन स्थिति में लाने के लिए व्यय की गई लागत शामिल है।

4. मूल्यह्रास

4.1 परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार सीधी पंक्ति पद्धति (स्ट्रेट लाईन मेथड) पर यथानुपात आधार पर किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उपलब्ध विकल्प के अनुसार, 16.12.1993 से पहले पूंजीकृत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को सीधी पंक्ति पद्धति (स्ट्रेट लाईन मेथड) पर उस समय विद्यमान दरों पर भारित किया जाता है।

4.2 वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्ति, यदि वह परिसंपत्ति 15 दिन से अधिक प्रयोग में आ रही है, का मूल्यह्रास खरीद/बिक्री की तारीख से यथानुसार लगाने की अपेक्षा पूरे महीने के हिसाब से लगाया जाता है।

4.3 वर्ष के दौरान जो परिसंपत्तियां 5000/- रु. से कम में खरीदी गई हैं, उनका मूल्यह्रास 100% की दर पर लगाया जाता है।

4.4 पट्टे वाली भूमि पट्टा अवधि पूरी होने पर परिशोधित की जाती है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

उस अमूर्त परिसंपत्ति को स्वीकार किया जाता है, जहां यह संभावना हो कि भावी आर्थिक लाभ उन परिसंपत्तियों के कारण होंगे, जोकि कंपनी को प्राप्त हों। इन परिसंपत्तियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है।

6. निवेश

दीर्घावधि निवेश प्रावधान, यदि कोई है, को घटाकर लागत पर किए जाते हैं, जो कि ऐसे निवेश के मूल्य पर किया जाता है। वर्तमान निवेश लागत अथवा उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर किए जाते हैं।

7. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान का उपयोग

7.1 भारत सरकार से प्राप्त अनुदान, जो निगम के सामान्य खाते में जमा किए जाते हैं, संबंधित मंजूरियों में उल्लिखित विशिष्ट प्रयोजन के लिए होते हैं तथा उनका तद्नुसार प्रयोग किया जाता है। वर्ष के अंत में निवल शेष राशि को चालू देयताओं और प्रावधानों के खाते में दिखाया जाता है।

7.2 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों को एक अलग बैंक खाते में रखा जाता है और उनका तद्नुसार उपयोग किया जाता है। वर्ष के अंत में निवल शेष को चालू देयताओं में दर्शाया जाता है। जमा किए जाने की तारीख से लेकर उपयोग की तारीख तक के लिए अर्जित ब्याज को आरजीजीवीवाई के लिए किए गए खर्च के बदले में प्रतिसंतुलित किया जाता है।

8. चालू कर और आस्थगित कर

आयकर व्यय में अनुषंगिक हित लाभ कर (एफबीटी)(आयकर कानून के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए कर की राशि) सहित चालू आयकर शामिल होता है और आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट (उक्त अवधि के लिए लेखा आय और कर योग्य आय के बीच समय के अंतराल के प्रभावों को दर्शाने वाला) का निर्धारण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 22 के अनुसार किया जाता है। आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट और तद्नुरूपी आस्थगित कर देयता अथवा परिसंपत्तियां उन कर दरों का

प्रयोग करते हुए मानी जाती है, जो कि तुलनपत्र की तारीख द्वारा पर्याप्त रूप से सुनिश्चित अथवा लागू की गई है। आस्थगित कर परिसंपत्तियां उस सीमा तक मानी और आगे ले जाई जाती है, जहां तक कि एक तर्कसंगत निश्चितता हो, जिससे कि ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियां वसूल करने के प्रति पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध हो सकेगी।

9. परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को कंपनी यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उन परिसंपत्तियों को कोई हानि होने का संकेत है, तब अपनी नियत परिसंपत्तियों के मूल्य की समीक्षा करती है। यदि, ऐसा कोई संकेत दिखाई देता है, तब ऐसी हानि होने की सीमा का निर्धारण करने के लिए परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। वसूली योग्य राशि परिसंपत्तियों के निवल विक्रय मूल्यों और अनुप्रयोग मूल्य से अधिक होती है।

10. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

किसी प्रावधान को तब माना जाता है, जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान वचनबद्धता होती है और यह संभावना होती है कि ऐसी वचनबद्धता का निपटान करने के लिए संसाधनों के बाह्य प्रवाह की अपेक्षा होती है और तब उसकी की गई वचनबद्धता की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जाता है। ऐसे प्रावधान प्रबंधन अनुमानों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, जो कि तुलनपत्र की तारीख को वचनबद्धता का निपटान करने के लिए अपेक्षित होते हैं। इनकी प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है और मौजूदा प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।

11. बांड जारी करना

11.1 बांड जारी करके निधि जुटाने के लिए खर्च ऐसे बांड जारी करने वाले वर्ष के राजस्व से लिया जाता है।

11.2 बांडों से संबंधित ब्याज वारंट की अदायगी के लिए निगम अपना उत्तरदायित्व नामजद ब्याज वारंट बैंक के खाते में राशि जमा करा कर पूरा करता है। तद्नुसार, इन भुगतानों को अंतिम भुगतान माना जाता है तथा वे नामजद खाते किताबों में नहीं दर्शाए जाते, लेकिन उनका मिलान कर लिया जाता है।

12. अनुसंधान और विकास

अनुसंधान और विकास पर जब भी खर्च किया जाता है, उसे राजस्व से लिया जाता है।

13. ऋण और अग्रिम राशि के संबंध में प्रावधान/बट्टे खाते में डालना

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार कर्जदारों के पास बकाया ऋणों के संबंध में, जिनकी गारंटी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी गई है, कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा संबंधित राज्य सरकारों ने अभी तक उनकी दी गई गारंटी का परित्याग नहीं किया है। उन ऋणों को, जिनके बारे में सरकार द्वारा गारंटी नहीं दी गई है, को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है तथा उनके लिए प्रावधान किए जाते हैं।

14. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति का प्रयोग करते हुए सूचित किए जाते हैं, जिससे गैर–नकदी किस्म के कारोबार के प्रभावों और किसी प्रकार की आस्थगित राशि अथवा विगत की अर्जित राशि अथवा भावी नकदी प्राप्तियां अथवा भुगतानों के लिए करपूर्व लाभ समायोजित किया जाता है। नकदी प्रवाह कंपनी के नियमित प्रचालन, वित्त पोषण और निवेश संबंधी कार्यकलापों से अलग–अलग दर्शाए जाते हैं।

15. पूर्व अवधि समायोजन

15.1 कार्य की प्रकृति को देखते हुए पूर्ववर्ती वर्षों की ब्याज आय/मूलधन की अदायगी को उसी वर्ष के हिसाब में लगाया जाता है, जिसमें इसे निर्धारित किया गया हो।

15.2 प्रत्येक मामले में 10,000/–रु. से कम खर्च को सामान्य किस्म के लेखा शीर्ष में लेखाबद्ध किया जाता है।

16. सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ

16.1 उपदान के संबंध में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता वर्ष के अंत में मूल्यांकक के मूल्यांकन पर वार्षिक आधार पर निर्धारित की जाती है, जिसके लिए अलग से धनराशि प्रदान की जाती है।

16.2 कर्मचारियों की छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभों के लिए देयता वर्ष के अंत में मूल्यांकक के मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक तौर पर हिसाब में ली जाती है।

16.3 भविष्य निधि में अंशदान राजस्व में मासिक आधार पर भारित होता है।

31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरण

(लाख रुपए)

विवरण	2005–06 को समाप्त वर्ष		2004–05 को समाप्त वर्ष	
ए) प्रचालन गतिविधियों से कैश फ्लो:				
कर से पूर्व निवल लाभ एवं असाधारण मदें	**79,716.29**		101,943.00	
निम्नलिखित के लिए समायोजन:				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	**0.30**		1.53	
2. मूल्यह्रास	**109.92**		114.85	
3. निवेशों के मूल्य में गिरावट के लिए प्रावधान	**51.00**		–	
कार्यशील पूंजी प्रभारों से पहले प्रचालन लाभ:	**79,877.51**		101,842.30	
वृद्धि/कमी:				
1. ऋण	**–364,120.19**		–275,659.02	
2. अन्य चालू देयताएं	**–1,067.37**		–4,881.86	
3. अन्य ऋण एवं अग्रिम	**95.67**		–7,757.04	
4. चालू देयताएं	**–7,343.27**		–3,423.85	
प्रचालन गतिविधियों से कैश आऊट फ्लो	**–292,557.66**		–189,879.47	
1. भुगतान किया गया अग्रिम आय कर	**–20,016.72**		–21,275.80	
2. भुगतान किया गया धन कर	**–0.32**		–0.45	
3. भुगतान किया गया अनुषंगिक हित लाभ कर	**–75.28**		–	
प्रचालन गतिविधियों में इस्तेमाल की गई निवल नकदी		**–312,649.99**		–211,155.72
बी) पूंजी निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**0.50**		0.79	
2. अचल परिसंपत्तियों की खरीद (पूंजीगत व्यय के लिए भुगतान किए गए अग्रिम सहित)	**–3,994.76**		–231.77	
3. मध्य प्रदेश सरकार से पावर बांडों-II के 8% का मोचन/निवेश	**9,432.00**		–141,480.00	
4. स्मॉल इज ब्यूटीफुल के यूनिटों में निवेश	**–259.72**		–242.37	
पूंजी निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल की गई निवल नकदी		**5,178.01**		141,953.35
सी) वित्तीय गतिविधियों से कैश फ्लो				
1. बांडों का निर्गम	**718,911.13**		506,950.75	
2. बांडों का मोचन	**–403,777.46**		–343,872.43	
3. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से जुटाए गए सावधि ऋण/एसटीएल	**209,000.00**		413,200.00	
4. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋणों/एसटीएल की चुकौती	**–56,000.00**		–44,000.00	

5. भारत सरकार से प्राप्त अनुदान	**115,729.83**		40,000.00	
6. अनुदानों का संवितरण	**−101,165.43**		−46,712.06	
7. सरकारी ऋण की चुकौती	**−2,019.40**		−104,319.01	
8. भुगतान किया गया लाभांश	**−26,650.00**		−24,100.00	
9. भुगतान किया गया लाभांश कर	**−3,737.66**		−3,102.68	
वित्तीय गतिविधियों से निवल कैश–इन–फ्लो		**450,291.00**		394,044.57
नकदी और समतुल्य नकदी में निवल वृद्धि/कमी		**142,819.03**		40,935.50
1 अप्रैल, 2005 को नकदी और समतुल्य नकदी		**48,545.43**		7,609.93
31 मार्च, 2006 को नकदी और समतुल्य नकदी		**191,364.46**		48,545.43
नकदी एवं समतुल्य नकदी में निवल वृद्धि/कमी		**142,819.03**		40,935.50

टिप्पणी : गत वर्ष के आंकड़े जहां भी आवश्यक था, पुनः व्यवस्थित कर लिए गए हैं।

उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी.एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अजय माथुर
भागीदार
सदस्य संख्या 82223

एच.डी. खुंटेटा
निदेशक (वित्त)

ए.के. लखीना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

बी.आर. रघुनंदन
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01 जून, 2006

तुलन पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुबंध (जैसा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया)

(गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1998 के पैराग्राफ 9 बीबी के अनुसार अपेक्षित ब्योरे, जहां तक आरईसी लि. पर लागू होते हैं)

(लाख रुपए)

	बकाया राशि	अतिदेय राशि
देनदारी पक्षः		
गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्राप्त ऋण और अग्रिम तथा उन पर अर्जित ब्याज, लेकिन जिस का भुगतान नहीं किया गया, को मिलाकर :		
(क) ऋण पत्र (डिबेंचर्स) :		
(i) रक्षित	**1612258.82**	–
(ii) अरक्षित	**63465.5**	–
(ख) भारत सरकार से सावधि ऋण	**11997.16**	–
(ग) वित्तीय संस्थानों से सावधि ऋण	**350000**	–
(घ) बैंको से सावधिक ऋण	**315700**	
(ङ) बैंक से ओवर ड्राफ्ट	**20500**	
(च) बैंकों से नकद उधार	**30000**	–
परिसंपत्ति पक्षः		
ऋणों एवं अग्रिमों का अलग–अलग प्राप्य बिल सहित ब्योरा		
(क) रक्षित	**657462.03**	–
(ख) अरक्षित	**1976378.45**	–

पट्टे पर सभी परिसंपत्तियों, किराए पर स्टॉक एवं ऋण तथा अग्रिम के कर्जदारों का समूह–वार वर्गीकरण ।

(लाख रुपए)

श्रेणी	रक्षित	निवल राशि का प्रावधान	
		अरक्षित	जोड़
1. संबद्ध पार्टियां			
(क) सहायक कंपनियां	–	–	–
(ख) समान ग्रुप की कंपनियां	–	–	–
(ग) अन्य संबद्ध पार्टियां	–	–	–
2. संबद्ध पार्टियों से भिन्न पार्टियां	**657,462.03**	**1,974,836.25**	**2,632,298.28**
जोड़	**657,462.03**	**1,974,836.25**	**2,632,298.28**

(लाख रुपए)

अन्य सूचना

विवरण		राशि	
(i) सकल निष्क्रिय परिसंपत्तियां	–	–	–
(क) संबद्ध पार्टियां	–	–	–
(ख) संबद्ध पार्टियों से भिन्न पार्टियां	–	–	30026.42
(ii) निवल निष्क्रिय परिसंपत्तियां	–	–	–
(क) संबद्ध पार्टियां	–	–	–
(ख) संबद्ध पार्टियों से भिन्न पार्टियां	–	–	27956.42
(iii) कर्ज के बदले प्राप्त परिसंपत्तियां	–	–	–

उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
सदस्य संख्या 82223

एच.डी. खुंटेटा
निदेशक(वित्त)

ए.के. लखीना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 01 जून, 2006

बी.आर. रघुनंदन
कंपनी सचिव

रानी अपने नाम को सार्थक करती है। यहाँ तक कि 7 साल की बच्ची के महत्वाकांक्षी विचार एक रानी को भी शर्मिंदा कर दे। रानी बड़ी होकर एक 'पेडीस्ट्रियन' बनना चाहती है हालांकि वह अभी इसे ढ़ंग से बोल भी नहीं पाती। परन्तु यह उसके और देश की अन्य नन्हीं बच्चियों के सपने में बाधा नहीं है। यह साक्षी है कि विद्युतीकरण एक नई मानसिक पीढ़ी को जन्म दे रहा है और इससे भारत में समृद्धि ही आएगी।

प्रगति ही उपलब्धि है

विद्युत क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद के पीछे प्रमुख शक्तियों में से एक है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

1. हमने **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** के 31 मार्च, 2006 के संलग्न तुलन–पत्र और उसी दिन समाप्त हुए वर्ष के लाभ हानि खाते तथा कैश फ्लो विवरण की लेखा परीक्षा कर ली है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना है।

2. भारत में सामान्यतः अपनाए जाने वाले लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार हमने लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम योजनानुसार लेखा परीक्षा में आश्वस्त करें कि हमारे वित्तीय विवरण अयथार्थता से मुक्त हों। लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर वित्तीय विवरणों में राशियों तथा प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्य की जांच शामिल होती है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल में लाए जा रहे लेखाकरण सिद्धांतों का मूल्यांकन, समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण के मूल्यांकन के साथ प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन भी शामिल होते हैं। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा में हमारी राय का उपयुक्त आधार है।

3. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 277 की उपधारा (4ए) की शर्तों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) के आदेश, 2003 की अपेक्षा के अनुसार निगम पर जितना लागू हो सकता है, उसके अनुरूप उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर हम एक विवरण अनुलग्नक में संलग्न कर रहे हैं।

4. उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में उल्लिखित अनुबंध में हमारी टिप्पणियों से आगे हम यह सूचित करते हैं कि :

4.1 भविष्य निधि के साथ–साथ अर्जित छुट्टी के नकदीकरण संबंधित सांविधिक कानून का पालन न किए जाने के कारण इसे वेतन का हिस्सा नहीं माना गया है और परिणामतः 31.20 लाख रुपए की राशि के भविष्य निधि अंशदान को इस खाते में शामिल नहीं किया गया है।

4.2 निम्नलिखित मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :–

4.2.1 लेखा नीति संख्या 2.7 के अनुसार मान्य आय के संबंध में अनुसूची–16 की टिप्पणी संख्या 33

4.2.2 कंपनी द्वारा अनुसरण की जा रही लेखा नीति के अनुसार कुछ ऋणों के संबंध में प्रावधान न किए जाने के बारे में अनुसूची–16 की टिप्पणी संख्या 2

4.2.3 एजी एंड एसपी योजना और इसके प्रभाव के अधीन प्राप्त आर्थिक सहायता से संबंधित अनुसूची–16 की टिप्पणी संख्या 25

4.2.4 कंपनी के नाम में भूमि–फ्रीहोल्ड और भवन शीर्ष के अधीन शामिल 1973.41 लाख रुपए (गत वर्ष 650.46 लाख रुपए) की राशि की कुछ संपत्तियों का पंजीकरण न कराए जाने से संबंधित टिप्पणी संख्या 7

4.2.5 कंपनी, पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करती रही है और निदेशक मंडल के संकल्पों के माध्यम से विशिष्ट मामलों पर निर्णय लेती रही है तथा निम्नलिखित के संबंध में स्वतंत्र नीतियां और दिशानिर्देश तैयार किए जाने की आवश्यकता है :–

(ए) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को ऋणों का मूल्यांकन।

(बी) राज्य बिजली बोर्डों को अल्पावधिक ऋण।

(सी) पारेषण एवं वितरण योजनाओं के लिए वर्तमान स्वीकृति/मूल्यांकन मानदंडों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

(डी) अलग–अलग और सामूहिक तौर पर प्रस्तुतिकरण के संबंध में दिशानिर्देश।

4.2.6 कंपनी को परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंडों के लिए इसके अपने दिशानिर्देश तैयार करने की आवश्यकता है।

4.2.7 कंपनी द्वारा निष्पन्न ब्याज दर अदला–बदली कारोबार के संबंध में विनिमय जोखिम के बारे में टिप्पणी संख्या 16, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान 236.77 लाख रुपए का विनिमय लाभ हुआ है, इस लेन–देन को बांडों की 74वीं और 79वीं श्रृंखला के संबंध में 10 वर्ष की अवधि के लिए शामिल किया गया है।

4.3 हम आगे सूचित करते हैं कि उपर्युक्त पैरा 4.1 में हमारे द्वारा की गई टिप्पणी पर यदि विचार किया जाता है तो कर पश्चात लाभ 63719.87 लाख रुपए (63751.07 लाख रुपए के सूचित आंकड़े की तुलना में) और प्रारक्षित एवं अधिशेष राशि 341741.80 लाख रुपए (341773.00 लाख रुपए के सूचित आंकड़े की तुलना में) होती है।

5. दिनांक 31 मार्च, 2005 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा स्वतंत्र लेखाकारों द्वारा की गई, जिन्होंने दिनांक 29 अप्रैल, 2005 की रिपोर्ट में इन विवरणों के संबंध में अपनी स्पष्ट राय व्यक्त की है। दिनांक 1 अप्रैल, 2005 के अनुसार शेष को इन लेखा के प्रयोजनार्थ अथ शेष के रूप में माना गया है।

6. उपर्युक्त पैराग्राफ 4 एवं 5 में उल्लिखित हमारी टिप्पणियों के अलावा उपर्युक्त पैरा 4.1 में हमारी टिप्पणियों के शर्ताधीन हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:–

(i) अपनी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे;

(ii) हमारी राय में और जहां तक इन पुस्तकों की जांच से पता चलता है कि निगम द्वारा कानूनी अपेक्षा के अनुसार लेखा की उपयुक्त खाता बहियां ठीक ढंग से रखी गई हैं;

(iii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन–पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते और कैश फ्लो विवरण निगम की लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं;

(iv) हमारी राय में इस रिपोर्ट में तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि खाते तथा कैश फ्लो विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) में दिए गए लेखा मानकों के अनुसार हैं;

(v) भारत सरकार, कंपनी कार्य विभाग की दिनांक 22.03.2002 की अधिसूचना सं. 2/5/2001–सीएल.वी द्वारा सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1)(जी) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है।

(vi) हमारी राय में तथा हमारी जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त खाते, महत्वपूर्ण लेखा नीतियों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार आवश्यक सूचनाएं अपेक्षित तरीके से तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार एक सही और वास्तविक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं तथा निम्नलिखित बातें इन पर लागू हैं:

(क) तुलनपत्र के मामले में 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार निगम के कार्यकलाप;

(ख) लाभ एवं हानि खाते के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ; और

(ग) कैश फ्लो विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष का कैश फ्लो।

कृते जी.एस. माथुर एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

अजय माथुर
भागीदार
सदस्य संख्या 82223

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 1 जून, 2006

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(31 मार्च, 2006 को **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि.** के खातों के विवरण पर उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ '3' में उल्लिखित)

1. अचल परिसंपत्तियों के संबंध में :–

(ए) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों का रिकार्ड रखा है, **लेकिन इसे अद्यतन नहीं किया गया है।**

(बी) **31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की अचल परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। ऐसा सत्यापन न होने की स्थिति में हम विसंगतियों, यदि कोई हों, के संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।**

(सी) वर्ष के दौरान कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों का कोई बड़ा हिस्सा नहीं बेचा है।

2. मालसूची के संबंध में: गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते कंपनी की कोई माल सूची नहीं है।

3. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन दिए गए अथवा प्राप्त किए गए ऋणों के संबंध में:–

(ए) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सामान्यतः उन कंपनियों, फर्मों और अन्य पार्टियों को कोई रक्षित या अरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए रजिस्टर में सूचीबद्ध हैं।

(बी) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने सामान्यतः उन कंपनियों, फर्मों और अन्य पार्टियों से कोई रक्षित या अरक्षित ऋण प्राप्त नहीं किया है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत बनाए रजिस्टर में सूचीबद्ध हैं। तद्नुसार, आदेश के पैराग्राफ 4(iii)(च) और (छ) लागू नहीं हैं।

4. इसके आंतरिक नियंत्रण के संबंध में –

हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कुछ क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण कंपनी के आकार और व्यवसाय के स्वरूप के अनुरूप नहीं है। कुछ क्षेत्रों में, जहां पर **आंतरिक नियंत्रण मजबूत किया जाना आवश्यक है, विशेषकर वित्तीय एवं ऋण लेखा के क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर लेन–देन की रिकार्डिंग की प्रणाली लागू शामिल करके एकीकृत वित्तीय एवं ऋण लेखा पैकेज लागू किया जाए; व्यापक ऋण मूल्यांकन नीति, जोखिम प्रबंधन मूल्यांकन एवं व्युत्पत्ति नीति अपनाना; प्राप्ति, संवितरणों, कुटीर ज्योति, आरजीजीवीवाई, एआरईपी और एजी एवं एसपी के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों की प्राप्ति, संवितरण, उपयोग और लेखा की मौजूदा प्रणाली को व्यवस्थित करना; स्वीकृत और संवितरित ऋणों के संबंध में गठित विभिन्न प्रभारों के बारे में कंपनी कार्यालयों के रजिस्ट्रार से खोज रिपोर्टें प्राप्त करना; जहां ऋण/अनुदान संवितरित किए गए हैं, वहां पर कार्य की वास्तविक प्रगति के समयपूर्वक निरीक्षण सहित परियोजना कार्यालयों में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए तैयार दिशानिर्देशों के आधार पर ऋणों का परिवीक्षण करना; वर्तमान शक्तियों के प्रत्यायोजन की समीक्षा, आंकड़ों की सत्यता एवं समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटरीकरण की मौजूदा प्रणाली में सुधार लाने और व्यवसाय निरंतरता/दुर्घटना वसूली योजना की शुरूआत। उधारों की लागत से नीचे की ब्याज दर पर आरजीजीवीवाई योजना के अंतर्गत ऋणों की स्वीकृति/संवितरण।**

5. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन कारोबार के संबंध में :–

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन कंपनियों या संस्थाओं के साथ कोई कारोबार संबंधी लेन–देन नहीं किया है।

6. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58ए एवं 58एए और कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) नियमावली, 1975 के अधीन जनता से इसके निक्षेपों के संबंध में :–

हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए और 58एए के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

7. इसकी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के संबंध में :–

मुख्यालय और परियोजना कार्यालयों में विभिन्न विभागों की अनुमोदित लेखापरीक्षा योजना के अनुसार समय–समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी कंपनी का एक आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है। तथापि, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए हाल ही में कुछ क्षेत्रों का आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य सनदी लेखाकारों की एक बाहरी फर्म को सौंपा गया था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग को एक पूर्णकालिक व्यावसायिक शामिल करके और मजबूत बनाया गया है, जिसने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के कार्यचालन का नवीकरण करने के लिए अनेक अपेक्षित कदम उठाए हैं। **तथापि, यह देखा गया है कि विभिन्न विभागों की ओर से आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों के उत्तर/अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अभी भी विलंब हो रहा है। आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र को जोखिम आधारित लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करके और लेखा में कमियों को शामिल करके विस्तारित किया जाना चाहिए।**

8. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1)(डी) के अधीन इसके लागत रिकार्ड के संबंध में :–

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(डी) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते।

9. इसकी सांविधिक देयताओं के संबंध में :–

(ए) कंपनी, भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, संपत्ति कर तथा उस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक राशि उपयुक्त प्राधिकारी के पास नियमित रूप से जमा कर रही है, **सिवाए निम्नलिखित के :–**

(i) पेंशन निधि :– इसकी शुरूआत से ही पंजीकरण न करवाया जाना और परिणामतः पेंशन निधि में अंशदान न किया जाना। प्रबंधन ने तारीख और राशि उपलब्ध नहीं कराई है।

(ii) चंडीगढ़ में ठेकेदारों के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती न किया जाना और जमा न किया जाना – 10,214/–रुपए।

(iii) निवेशक शिक्षा सुरक्षा निधि – 13,51,125/–रुपए।

(iv) प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में कम कटौती और जमा किया जाना – 48,77,081.55/–रुपए।

(v) 1,02,000.00/–रुपए को छोड़कर दिनांक 30.9.2005 से सेवा कर का नियमित भुगतान किया जा रहा है।

(vi) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अपेक्षित दिनांक 1.5.2005 से छुट्टी नकदीकरण के संबंध में भविष्य निधि में अंशदान न किया जाना।

(बी) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, संपत्ति कर के संबंध में देय ऐसी कोई अविवादित राशि, 31 मार्च, 2006 को बकाया नहीं थी, जो देय तारीख से छह महीने से अधिक बकाया हो, **सिवाए निम्नलिखित के :–**

(i) निवेशक शिक्षा सुरक्षा निधि – 13,51,125/–रुपए

(ii) स्रोत पर आयकर की कटौती – 48,77,081.55/–रुपए

(सी) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार बिक्रीकर, आयकर, सीमा शुल्क, संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क एवं उपकर से संबंधित कोई भी अविवादित राशि बकाया नहीं थी।

10. कंपनी की संचयी हानियों और नकद हानियों के संबंध में :–

कंपनी को कोई संचित हानि नहीं हुई। हमारी लेखा परीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष एवं निकटतम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को नकद हानि नहीं हुई।

11. वित्तीय संस्थाओं अथवा बैंकों को देय चुकौतियों में इसकी चूक के संबंध में :–

हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान, बैंक या बांड धारियों को देय राशि की चुकौती करने में चूक नहीं की।

12. इसके प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों के संबंध में :–

हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने शेयर, ऋण पत्रों एवं अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर जमानत के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम राशि स्वीकृत नहीं की।

13. चिट फंड/निधि कंपनी पर लागू विशेष कानून के संबंध में :–

हमारी राय में कंपनी चिट फंड या निधि म्यूचुअल बेनिफिट फंड/सोसाइटी नहीं है। अतः कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4 (xiii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

14. शेयर सिक्युरिटी, डिबेंचर और अन्य निवेश में कार्य/व्यापार करने के संबंध में :–

हमारी राय में कंपनी ने शेयर, प्रतिभूतियों एवं ऋण पत्रों तथा अन्य निवेशों से किसी प्रकार का लेन–देन या व्यापार नहीं किया। तद्नुसार, कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(xiv) के प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते।

15. अन्यों द्वारा लिए गए ऋण के लिए इसकी गारंटी के संबंध में :–

हमारे द्वारा प्राप्त की गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने बैंकों या वित्तीय संस्थानों से किसी अन्य द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. सावधिक ऋण के इसके द्वारा अंतिम उपयोग के संबंध में :–

हमारी राय में जिस प्रयोजन के लिए सावधि ऋण लिया गया उसी के लिए उसका प्रयोग किया गया।

17. इसके द्वारा निधियों के उपयोग के संबंध में :–

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के तुलन–पत्र की समग्र जांच करने पर **हम रिपोर्ट देते हैं कि लघु अवधि के लिए जुटाए गए ऋण को मुख्यतया दीर्घ अवधि नियोजन/निवेश के लिए इस्तेमाल में लाया गया है। तथापि, प्रदान किए गए/प्राप्त किए गए ऋणों एवं अग्रिमों के अवशिष्ट परिपक्वता पैटर्न का विवरण उपलब्ध न होने के कारण हम इसके संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।**

18. इसके शेयरों के अधिमान्य आबंटन के संबंध में :–

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अधिनियम की धारा 301 में शामिल पार्टियों तथा कंपनियों को अधिमान्य शेयर आबंटित नहीं किए हैं।

19. जारी डिबेंचरों के लिए इसकी प्रतिभूति के गठन के संबंध में :–

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की अवधि के दौरान कंपनी की
38.50 लाख रुपए खाता मूल्य की मुंबई में स्थित अचल परिसंपत्ति पर विधिक बंधक के रूप में प्रतिभूतियों को छोड़कर कंपनी द्वारा डिबेंचरों के लिए कोई प्रतिभूतियां सृजित नहीं की गई हैं। 826808.00 लाख रुपए की कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन बांड एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड की राशि के बाबत में प्रतिभूतियां सृजित की गई हैं।

20. सार्वजनिक निर्गम के जरिए जुटाई गई राशि के इसके अंतिम प्रयोग के संबंध में :–

कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के जरिए कोई राशि नहीं जुटाई है।

21. कंपनी पर अथवा कंपनी द्वारा इसकी धोखाधड़ी के संबंध में :–

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कंपनी की ओर से अथवा कंपनी द्वारा की गई किसी धोखाधड़ी की घटना ध्यान में नहीं आई और न ही उसके बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है।

कृते जी.एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

अजय माथुर
भागीदार
सदस्य संख्या 82223

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 1 जून, 2006

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

निदेशक मंडल,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि.,
स्कोप कांप्लेक्स,
कोर–4, लोदी रोड,
नई दिल्ली–110 003

प्रिय महोदय,

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1998 द्वारा अपेक्षित के अनुसार निगम पर लागू सीमा तक उक्त निर्देशों के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं :–

1. निगम ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45–1ए में प्रावधान के अनुसार पंजीकरण हेतु आवेदन किया था और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 10.2.1998 को पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया है और जिसका पंजीकरण संख्या 14000011 है।

2. दिनांक 13.01.2000 की अधिसूचना संख्या 134 से 140 के अनुसार एनबीएफसी विनियमों में संशोधन के अनुसार सरकारी कंपनियों को नकदी परिसंपत्तियों और आरक्षित निधियों के अनुसरण से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों तथा सार्वजनिक निक्षेपों को स्वीकार करने एवं विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित निर्देशों की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की गई है।

3. कंपनी ने वर्ष 2005–06 के दौरान कोई सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं किया है। तथापि, निगम के निदेशक मंडल ने कंपनी को सार्वजनिक निक्षेप प्राप्त न करने वाले एनबीएफसी से सार्वजनिक निवेश प्राप्त करने वाले एनबीएफसी में परिवर्तित करने के लिए 23.2.2006 को आयोजित निदेशक मंडल की 299वीं बैठक में सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार करने के संबंध में संकल्प पारित किया है और तद्नुसार भारतीय रिजर्व बैंक से तत्संबंधी अनुमति प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. दिनांक 31.3.2006 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी ने परिसंपत्ति वर्गीकरण से संबंधित एनबीएफसी पर लागू लेखाकरण मानकों और विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन किया है तथा अशोध्य एवं संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान किया है। **लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उससे संबद्ध अनुबंध में हमारी टिप्पणियों के शर्ताधीन** आय को निगम की लेखाकरण नीतियों के अनुसार स्वीकार किया गया है।

कृते जी.एस. माथुर एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

अजय माथुर
भागीदार
सदस्य संख्या 82223

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 1 जून, 2006

आजकल लज्जो एक प्रसन्न महिला है। अब वह उस बारिश का इंतजार नहीं करती जो कि मौसम विभाग के कर्मचारी ने वादे से कहा था। अब उसको अपने पोते की मदद खेतों के लिए नहीं लेनी पड़ती। हालांकि उसका खेतों में आना हमेशा आमंत्रित है। अब उसको अपना गुजारा कैसे करे जैसी चुनौतियों से जूझना नही पड़ता। क्योंकि विद्युतीकरण ने उसको रसीली बंदगोभियों के अलावा भी बहुत कुछ दिया है। वो सुखी है।

प्रगति से लक्ष्य की पूर्ति होती है

अगले 3 वर्षों–2009 तक आरईसी भारत के ग्रामीण विद्युतीकरण ढांचे को इसके सभी गाँव में कर दिए जाने की आशा रखता है। यह कार्यक्रम अपने आकार और प्रकार की दृष्टि से अभूतपूर्व है, जो कि स्वभावतः इस संगठन को अपवादात्मक कार्य निष्पादन स्तर प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहा है।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुशेष

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल टिप्पणियों पर आरईसी प्रबंधन का पैरावार उत्तर

टिप्पणियां		प्रबंधन का उत्तर
4.1	भविष्य निधि से संबंधित सांविधिक कानून का पालन न किए जाने के साथ–साथ अर्जित छुट्टी के नकदीकरण को वेतन का हिस्सा न माने जाने के संदर्भ में और परिणामस्वरूप 31.20 लाख रुपए की भविष्य निधि अंशदान राशि को इस खाते में शामिल नहीं किया गया।	अनुपालनार्थ नोट किया।
4.2.5	कंपनी, पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करती रही है और निदेशक मंडल के संकल्प के माध्यम से विशिष्ट मामलों पर निर्णय लेती रही है और इसलिए निम्नलिखित के संबंध में नीतियां एवं दिशानिर्देश तैयार किए जाने की आवश्यकता है :– (क) विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए ऋणों का मूल्यांकन। (ख) राज्य बिजली बोर्डों को अल्पावधिक ऋण । (ग) पारेषण एवं वितरण योजनाओं के लिए मौजूदा स्वीकृति/मूल्यांकन संबंधी मानदंडों की समीक्षा करने की जरूरत। (घ) अलग–अलग और सामूहिक तौर पर प्रदर्शित करने हेतु दिशानिर्देश।	कंपनी ने स्वतंत्र नीतियां और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए क्रिसिल को अधिदेश दिया है। क्रिसिल ने विद्युत उत्पादन/पारेषण एवं वितरण योजना इत्यादि के संबंध में मसौदा नीति/दिशानिर्देश प्रस्तुत कर दिए हैं, जिन्हें शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।
4.2.6	कंपनी को परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान किए जाने के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंडों के लिए अपने दिशानिर्देश अवश्य तैयार करने चाहिए।	निगम के विवेकपूर्ण मानदंड निगम की महत्वपूर्ण लेखानीतियों में पर्याप्त रूप से शामिल हैं, जिनमें आय शामिल करने, परिसंपत्ति का वर्गीकरण, प्रावधान करने, लेखा की उपचयन प्रणाली तथा लेखा मानकों इत्यादि का पालन करने संबंधी मानदंड शामिल हैं। परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने का जहां तक संबंध है, यह कार्य लेखा नीति संख्या 13 में उल्लिखित के अनुसार आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जाता है।
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध		
1.	अचल परिसंपत्तियों के संबंध में :– (ए) कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों का रिकार्ड रखा है, **लेकिन इसे अद्यतन नहीं किया गया है।**	नोट किया गया और सितंबर, 2006 तक अनुपालन किया जाएगा।
	(बी) 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी की अचल परिसंपत्तियों का प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। ऐसा सत्यापन न होने की स्थिति में हम विसंगतियों, यदि कोई हों, के संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	प्रत्यक्ष सत्यापन वित्तीय वर्ष 2006–07 में आरंभ किया जाएगा।
4.	इसके आंतरिक नियंत्रण के संबंध में: हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कुछ क्षेत्रों में आंतरिक	नोट किया गया । इन क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

	नियंत्रण कंपनी के आकार और व्यवसाय के स्वरूप के अनुरूप नहीं है। कुछ क्षेत्रों में, जहां पर **आंतरिक नियंत्रण मजबूत किया जाना आवश्यक है, विशेषकर वित्तीय एवं ऋण लेखा के क्षेत्र में प्रत्येक स्तर पर लेन–देन की रिकार्डिंग की प्रणाली लागू शामिल करके एकीकृत वित्तीय एवं ऋण लेखा पैकेज लागू किया जाए; व्यापक ऋण मूल्यांकन नीति, जोखिम प्रबंधन मूल्यांकन एवं व्युत्पत्ति नीति अपनाना; प्राप्ति, संवितरणों, कुटीर ज्योति, आरजीजीवीवाई, एआरईपी और एजी एवं एसपी के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों की प्राप्ति, संवितरण, उपयोग और लेखा की मौजूदा प्रणाली को चुस्त–दुरूस्त करना; स्वीकृत और संवितरित ऋणों के संबंध में सृजित विभिन्न प्रभारों के बारे में कंपनी कार्यालयों के रजिस्ट्रार से खोज रिपोर्टें प्राप्त करना; जहां ऋण/अनुदान संवितरित किए गए हैं, वहां पर कार्य की वास्तविक प्रगति के समयपूर्वक निरीक्षण सहित परियोजना कार्यालयों में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए तैयार दिशानिर्देशों के आधार पर ऋणों का परिवीक्षण करना; आंकड़ों की सत्यता एवं समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कंप्यूटरीकरण की मौजूदा प्रणाली में सुधार लाने और व्यवसाय निरंतरता/ दुर्घटना वसूली योजना की शुरूआत। उधारों की लागत से नीचे की ब्याज दर पर आरजीजीवीवाई योजना के अंतर्गत ऋणों की स्वीकृति/संवितरण।**	
7.	इसकी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के संबंध में कंपनी, मुख्यालय और परियोजना कार्यालयों में विभिन्न विभागों की अनुमोदित लेखापरीक्षा योजना के अनुसार समय–समय पर आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग है। तथापि, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए हाल ही में कुछ क्षेत्रों का आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य सनदी लेखाकारों की एक बाहरी फर्म को सौंपा गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग को पूर्णकालिक व्यावसायिक शामिल करके और मजबूत बनाया गया है, जिसने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के कार्यचालन का नवीकरण करने के लिए अनेक अपेक्षित कदम उठाए हैं। **तथापि, यह देखा गया है कि विभिन्न विभागों की ओर से आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों के उत्तर/अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अभी भी विलंब हो रहा है। आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र को जोखिम आधारित लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करके और लेखा में कमियों का समावेशन करके विस्तारित किया जाए।**	नोट किया गया और कारगर कदम उठाए जा रहे हैं ।
9.	इसकी सांविधिक देयताओं के संबंध में: (ए) कंपनी, भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, संपत्ति कर तथा उस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक राशि उपयुक्त प्राधिकारी के पास नियमित रूप से जमा कर रही है, **सिवाए निम्नलिखित के :–**	

	(i) पेंशन निधि :— इसकी शुरूआत से ही पंजीकरण न करवाए जाने के परिणामस्वरूप पेंशन निधि में अंशदान न किया जाना। प्रबंधन तारीख और राशि उपलब्ध नहीं करा सका।	नोट किया गया।
	(ii) चंडीगढ़ में ठेकेदारों के संबंध में स्रोत पर कर की कटौती न किया जाना और जमा न किया जाना — 10,214/—रुपए।	नोट किया गया।
	(iii) निवेशक शिक्षा सुरक्षा निधि — 13,51,125/—रुपए।	नोट किया गया।
	(iv) प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में कम कटौती और जमा किया जाना — 48,77,081.55/—रुपए ।	नोट किया गया।
	(v) दिनांक 30.9.2005 से सेवा कर का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, सिवाए 1,02,000.00/—रुपए के।	नोट किया गया।
	(vi) क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अपेक्षित दिनांक 1.5.2005 से छुट्टी नकदीकरण के संबंध में भविष्य निधि में अंशदान न किया जाना।	नोट किया गया।
	(बी) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, संपत्ति कर के संबंध में देय ऐसी कोई अविवादित राशि, 31 मार्च, 2006 को बकाया नहीं थी, जो देय तारीख से छह महीने से अधिक बकाया हो, **सिवाए निम्नलिखित के:—** **(i) निवेशक शिक्षा सुरक्षा निधि — 13,51,125/—रुपए** **(ii) स्रोत पर आयकर की कटौती — 48,77,081.55/—रुपए**	नोट किया गया।
17.	इसके द्वारा निधियों के उपयोग के संबंध में: हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के तुलन—पत्र की समग्र जांच करने पर हम रिपोर्ट देते हैं कि लघु अवधि के लिए जुटाए गए ऋण को मुख्यतया दीर्घ अवधि नियोजन/निवेश के लिए इस्तेमाल में लाया गया है। **तथापि, प्रदान किए गए/प्राप्त किए गए ऋणों एवं अग्रिमों के अवशिष्ट परिपक्वता पैटर्न का विवरण उपलब्ध न होने के कारण हम इस संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।**	निगम ऋण लेखा पैकेज क्रियान्वित कर रहा है और इसे शीघ्र ही लागू कर दिया जाएगा तथा अपेक्षित ब्योरे उपलब्ध होंगे ।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अनिल कुमार लखीना

(ए.के. लखीना)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

थोड़े समय पहले तक शीला पवार, उत्सुक परिवारों की समस्याओं के निवारण के लिए पड़ोस भर में जानी जाती थी। दूसरों की सेवा करने की खुशी वास्तव में पूरी तो हो जाती थी किन्तु एक योग्य डाक्टर के लिए मात्र इतना ही काफी नहीं होता और तभी विद्युतीकरण ने सब कुछ बदल दिया। इससे पहले कि वह कुछ जाने उसको स्थानीय डिस्पेंसरी में मदद करने के लिए कहा गया। यह एक शुरूआत थी, आज डॉ. शीला पवार अपना खुद का नर्सिंग होम चलाती है और स्वास्थ्य देखभाल उसका पूर्णकालिक व्यवसाय बन गया है। उसने अभी ही एक मोटर साईकिल खरीदी है और उसका एक्सीलेटर दबाते हुए उसके दिमाग में एक कहावत कौंध जाती है–वह एक लम्बा रास्ता तय कर आई है।

प्रगति ही संवर्धन है

आरईसी विकास में तेजी लाने के लिए वर्ष 2006-07 के दौरान सामरिक प्रयास कर रहा है।

31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

टिप्पणियां	प्रबंधन का उत्तर
1. **तुलन पत्र आस्थगित कर परिसंपत्तियां (देयताएं घटाकर) (अनुसूची 10): 1542.20 लाख रुपए** कंपनी ने लाभ को विशेष प्रारक्षित निधि में अंतरित करके आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन कर रियायत प्राप्त की है। चूंकि यह विशेष प्रारक्षित निधि भविष्य में विलोमतः किए जाने के लिए सक्षम है, इसलिए लेखा मानक–22 के अधीन इस खाते में एक आस्थगित कर देयता स्थापित किया जाना अपेक्षित है। यह भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ परामर्शदायी समिति के मत के अनुसार भी है। कंपनी ने 31 मार्च, 2006 के अनुसार विशेष प्रारक्षित निधि में 638.80 करोड़ रुपए की राशि की आस्थगित कर देयता की व्यवस्था नहीं की है। इसके परिणामस्वरूप 638.80 करोड़ रुपए की आस्थगित कर देयता के संबंध में निम्न विवरण और क्रमशः 190.63 करोड़ रुपए तथा 448.17 करोड़ रुपए के अरक्षित और अधिशेष तथा कर पश्चात लाभ का उच्च विवरण प्रस्तुत किया गया है।	कंपनी 40% लाभ के विनियोजन और विशेष प्रारक्षित लेखा में अंतरण द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अधीन कर रियायत प्राप्त कर रही है। चूंकि, निगम को इस विशेष प्रारक्षित निधि का भविष्य में कोई उपयोग किए जाने की संभावना दिखाई नहीं देती, इसलिए इसने ''स्थायी अंतर'' मानते हुए आस्थगित कर देयता स्थापित नहीं की है। आईसीएआई की विशेषज्ञ परामर्शदायी समिति की राय अनिवार्य किस्म की नहीं है। लेखा मानक 22 दिनांक 1.4.2001 से प्रभावी हुआ है और निगम इस पद्धति का लगातार पालन कर रहा है।
2. **लाभ और हानि खाता व्यय प्रशासनिक व्यय अनुसूची–15): 1519.40 लाख रुपए** कंपनी ने 1992–93 से आगे तक के लिए सरकार द्वारा इसके बांडों के संबंध में 27.52 करोड़ रुपए के कुल गारंटी शुल्क (सरकार के सितंबर, 1992 के अनुदेश के अनुसार) का न तो भुगतान किया है और न प्रावधान किया है। इसके परिणामस्वरूप, चालू देयता और प्रावधान के संबंध में और निम्न विवरण और 27.52 करोड़ रुपए के लाभ का उच्च विवरण प्रस्तुत किया गया है।	विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 23 जुलाई, 2001 के पत्र द्वारा पुष्टि की है कि वित्तीय वर्ष 2000-01 तक कोई गारंटी शुल्क देय/बकाया नहीं है लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए मामले को विद्युत मंत्रालय के विचारार्थ भेजा गया है और वर्ष 2006-07 के दौरान उनकी सलाह से कार्रवाई की जाएगी।
3. **''गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के अनुसार लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देश, 1998 (बिंदु सं० 3)** भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम (आरबीआई), 1934 की धारा 45–1 (बीबी) के साथ पठित गैर–बैंकिंग कंपनियां सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार करने (रिजर्व बैंक) संबंधी निर्देश, 1998 के अधीन परिभाषित के अनुसार सार्वजनिक निक्षेप में ऐसे कोई सुरक्षित बांड शामिल नहीं हैं, यदि इस प्रकार जुटाए गए बांडों का मूल्य मूलाधार परिसंपत्तियों के मूल्य से अधिक नहीं है। इस प्रकार मूलाधार परिसंपत्तियों द्वारा अंशतः सुरक्षित बांड सार्वजनिक निक्षेप की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। कंपनी के 8268.08 करोड़ रुपए के बांड केवल 38.50 लाख रुपए मूल्य की परिसंपत्तियों के बदले में सुरक्षित हैं। इसके परिणामस्वरूप, सार्वजनिक निक्षेप भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना जुटाए गए हैं। आरबीआई निर्देश, 1998 के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट भी इस सीमा तक सही नहीं है।	सुरक्षित ऋण की अनुसूची 3 में दर्शाए गए कैपिटल गेन और इन्फ्रास्ट्रक्चर बांडों को निगम द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) से ली गई राय के अनुसार सुरक्षित ऋण माना गया है। आरईसी जैसी सरकारी कंपनियों, जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 के अनुरूप हैं, को सार्वजनिक निक्षेपों की स्वीकृति से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की गई है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति अपेक्षित नहीं है।

4(i) महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति क्रमशः 31 मार्च, 2004 और 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी संख्या 2 और टिप्पणी संख्या 1 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें कंपनी की लेखा नीति में कमियों का उल्लेख करते हुए, जिसके अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को कंपनी के सामान्य बैंक खाते में जमा किया गया है और भारत सरकार से अनुदान की प्राप्ति की तारीख से लेकर कंपनी द्वारा इसके वास्तविक संवितरण की तारीख तक अर्जित ब्याज को कंपनी द्वारा अपनी आय के रूप में माना गया है। कंपनी अपनी लेखा नीति संख्या 7.1 को अनुदान की शर्त के उल्लंघन में जारी रखे हुए है, जिसके लिए प्रत्येक अनुदान के संबंध में एक अलग खाता बनाए रखना अपेक्षित होता है।	नोट किया गया।
4(ii) 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी संख्या 2 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। सरकारी कंपनियों को विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रत्याशा में छूट प्रदान की गई है कि प्रशासनिक विभाग/मंत्रालय अथवा लोक उद्यम विभाग द्वारा मानदंड निर्धारित करने जैसे दोहरे नियंत्रणों से बचा जा सकेगा। प्रशासनिक मंत्रालय की ओर से कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं और कंपनी ने उसके द्वारा अपनाए गए मानदंडों को प्रकट नहीं किया है। उपयुक्त विवेकपूर्ण मानदंड तैयार करने और उनके उपयुक्त प्रकटीकरण की आवश्यकता पर बल दिया जाता है।	सरकारी कंपनियों को प्रावधान किए जाने और परिसंपत्ति वर्गीकरण (विवेकपूर्ण मानदंडों) के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई निर्देशों की प्रयोज्यता से छूट प्रदान की गई है। फिर भी निगम ने अपने विवेकपूर्ण मानदंड अलग से तैयार करने के उपायों की पहल की है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

अनिल कुमार लखीना

भजन सिंह,
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–II,
नई दिल्ली

(ए.के. लखीना)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के खातों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा समीक्षा

(कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन टिप्पणियों तथा सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में दी गई अर्हताओं को ध्यान में रखे बिना खातों की समीक्षा तैयार की गई है।)

1. वित्तीय स्थिति

गत तीन वर्षों में कंपनी की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त ब्योरा सारणीबद्ध रूप में निम्नलिखित शीर्षों में दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

विवरण	2003–04	2004–05	2005–06
देयताएं			
ए) प्रदत्त पूंजी			
i) सरकार	780.60	780.60	780.60
ii) अन्य	-	-	-
बी) आरक्षित एवं अधिशेष			
i) मुक्त आरक्षित एवं अधिशेष	2,378.77	2,893.30	3,312.73
ii) शेयर प्रीमियम खाता	-	-	-
iii) आरक्षित पूंजी	105.00	105.00	105.00
सी) उधार :			
i) भारत सरकार से	1,183.35	140.17	119.97
ii) वित्तीय संस्थाओं से	1500.00	3,500.00	3,500.00
iii) विदेशी मुद्रा ऋण	-	-	-
iv) नकद जमा	440.00	660.00	300.00
v) बैंकों से सावधि ऋण	-	1,472.00	3,157.00
vi) बैंकों से ओवर ड्राफ्ट	-	-	205.00
vii) अन्य (बांड)	11,975.12	13605.91	16,757.24
viii) अर्जित और देय ब्याज	0.84	0.32	-
डी) चालू देयताएं और प्रावधान			
i) चालू देयताएं और प्रावधान	1,409.64	1,540.88	1,701.45
ii) उपदान और छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	11.29	9.12	8.10
ई) आस्थगित कर देयताएं	-	-	-
जोड़	19,784.61	24,707.30	**29,947.09**
परिसंपत्तियां			
एफ) सकल परिसंपत्ति	32.50	35.59	34.81
जी) घटाएं: मूल्यह्रास	8.97	10.04	11.06
एच) निवल ब्लॉक	23.53	25.55	23.75
आई) पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम	0.87	-	40.64

जे) निवेश	-	1417.22	1,325.00
के) ऋण	18,288.47	21,684.40	25,325.60
एल) चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	1,469.45	1,578.62	3,216.68
एम) आस्थगित कर परिसंपत्तियां	2.29	1.51	15.42
एन) बट्टे खाते न डाला गया विविध व्यय	-	-	-
ओ) संचित हानि	-	-	-
जोड़	19,784.61	24,707.30	**29,947.09**
पी) कार्यशील पूंजी	(683.43)	37.41	1,515.23
क्यू) औसत नियोजित पूंजी	18,257.84	23,051.98	28,132.55
आर) निवल मूल्य	3,159.37	3673.90	4,093.33
एस) प्रदत्त पूंजी का प्रति रुपए में निवल मूल्य(क्यू/ए(i))	4.05	4.71	5.24

2. अनुपात विश्लेषण

गत 3 वर्षों के अंत में कंपनी की वित्तीय स्थिति और कार्यप्रणाली के कुछ मुख्य वित्तीय अनुपात नीचे दिए गए हैं:–

(प्रतिशत में)

विवरण	2003–04	2004–05	**2005–06**
ए. नकदी अनुपात			
चालू अनुपात (चालू परिसंपत्तियों की तुलना में चालू देयताएं एवं प्रावधान, उपदान और छुट्टी नकदीकरण के प्रावधान को निकालकर अर्जित एवं देय ब्याज [के. + एल/डी (i). + सी (vii)]	104.20%	102.40%	189.05%
बी. ऋण इक्विटी अनुपात			
निवल परिसंपत्ति की तुलना में दीर्घ अवधि ऋण [(सी) (i) से (vi) तक, परंतु अल्प अवधि ऋण/(क्यू)] को छोड़कर	463.97%	509.49%	574.94%
सी. लाभकारिता अनुपात			
ए) कर से पहले लाभ			
i) औसत नियोजित पूंजी	4.39%	4.50%	2.95%
ii) निवल परिसंपत्ति	25.37%	28.22%	20.27%
iii) प्रचालन आय	40.38*	47.12%	40.06%
बी) इक्विटी में कर के बाद लाभ	78.04%	100.10%	81.67%
सी) प्रति शेयर अर्जन (रुपए में)	7.80	10.01	8.17

* कंपनी के खातों के पुनः समूहीकरण के कारण आंकड़ों में परिवर्तन किया गया है।

ऋणों को चालू देयताओं एवं ऋणों और अग्रिमों से, अलग मद के रूप में दर्शाया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने गत वर्ष के 5062.15 करोड़ रुपए के मुकाबले 5300.25 करोड़ रुपए की निधियां सृजित कीं। यह मुख्यतः बांडों के जरिए उधार से हुआ। आंतरिक और बाह्य स्रोतों द्वारा सृजित की गई 5300.25 करोड़ रुपए की निधियों का उपयोग वर्ष 2005–06 के दौरान निम्नानुसार किया गया :

(करोड़ रुपए)

	विवरण		**2005–06**
1.	**निधियों के स्रोत**		
	ए)	कर के बाद लाभ	637.51
		जोड़ें : मूल्यह्रास	1.10
		जोड़ें : परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटा	–
		जोड़े : निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	0.51
		प्रचालनों से निधियां	**639.12**
	बी)	प्रदत्त पूंजी में वृद्धि	–
	सी)	उधार में वृद्धि	4,661.13
	डी)	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री से वसूली	–
	वर्ष 2005–06 के लिए जुटाई गई कुल निधियां		**5300.25**
2.	**निधियों का उपयोग**		
	ए)	अचल परिसंपत्तियों और चालू पूंजीगत निर्माण कार्य में वृद्धि	39.94
	बी)	निवेश में वृद्धि	(91.71)
	सी)	अग्रिम ऋणों में वृद्धि	25,325.60
	डी)	कार्यशील पूंजी में वृद्धि	(20,205.57)
	ई)	लाभांश के लिए प्रावधान (लाभांश कर को मिलाकर)	218.08
	एफ)	घटाएं : आस्थगित कर परिसंपत्तियां	13.91
	निधियों का कुल उपयोग		**5300.25**

कार्यचालन संबंधी परिणाम

(करोड़ रुपए)

		2003–04	2004–05	**2005–06**
1.	आय	1,996.71	2302.09	2245.06
2.	लाभ(+)/हानि(–) कर से पहले एवं पूर्व अवधि समायोजन	801.54	1,036.65	829.98
3.	पूर्व अवधि समायोजन	-	0.11	0.15
4.	लाभ(+)/हानि(–) कर से पहले किन्तु मूल्यह्रास तथा पूर्व अवधि समायोजनों के बाद	801.54	1,036.54	829.83
5.	कर प्रावधान	192.37	255.18	192.32
6.	कर के बाद लाभ	609.17	781.36	637.51
7.	प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर को मिलाकर)	206.45	266.83	218.08

खातों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया है कि आरईसी ने वर्ष 2005–06 के लिए तुलन पत्र में चालू परिसंपत्तियों, भूमि, ऋण और अग्रिमों के भाग के रूप में 15–20 वर्षों के लिए राज्य बिजली बोर्डों को दिए गए सांवधि ऋणों को दर्शा रखा है, हालांकि कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों तथा कार्यचालन पूंजी को सही प्रकार से वर्गीकृत किया है और नकदी अनुपात को तदनुसार परिवर्तित कर दिया गया है।

संवितरित ऋण

निम्नलिखित सारणी में 31.3.2006 को समाप्त तथा गत 3 वर्षों के अंत में संवितरित ऋण, ऋणों पर बकाया ब्याज, प्राप्त की गई अदायगी तथा बकाया राशि दर्शाई गई हैं ।

(करोड़ रुपए)

वर्ष	वर्ष के शुरू में बकाया शेष				वर्ष के दौरान संवितरित ऋण	वर्ष के लिए बकाया ब्याज	वर्ष के दौरान प्राप्त चुकौती	वर्ष के अंत में बकाया राशि			
	चुकौतियों के लिए बकाया राशि परंतु देय नहीं	देय चुकौती	जोड़	अर्जित तथा देय ब्याज				बकाया चुकौती परंतु देय नहीं	देय चुकौती	जोड़	अर्जित तथा देय ब्याज
2003-04	14476.02	1459.63	15935.65	6.81	5956.37	1945.87	3587.32	16931.15	1373.55	18304.70	4.48
2004-05	16931.15	1373.55	18304.70	4.48	7440.73	442.61	4683.24	20856.33	205.85	21062.18	3.58
2005-06	20856.33	205.85	21062.18	3.58	7489.13	139.66	3506.46	24446.19	117.49	24563.68	1.19

भजन सिंह

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा

एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–II,

नई दिल्ली:110 002

दिनांक: 04.08.2006

यह सत्य है; खुशियों से महान उपलब्धियाँ हासिल की जा सकती हैं।

यह भी सही है; शक्ति अपार खुशियों के लिए प्रेरक हो सकती है।

विद्युत उत्पादन ही प्रगति है

देश में सभी प्रकार की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को वित्तपोषित एवं प्रोन्नत करने के लिए वर्ष 2002-03 में आरईसी को विस्तारित अधिदेश प्राप्त होने से अब तक विभिन्न राज्यों को दी गई मंजूरियों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2002-03 में साधारण शुरूआत के साथ आरईसी ने अब तक 18177 करोड़ रूपए मूल्य की विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्वीकृत कीं तथा 3086 करोड़ रूपए संवितरित किए जो स्वीकृति में 27 गुना एवं संवितरण में 33 गुना अधिक है। अतिरिक्त कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया यह कार्यक्रम आरईसी प्रचालन का मुख्य कार्यक्रम बन गया है।

आरईसी द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल, बिहार, पूर्वोत्तर, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, छत्तीसगढ़ आदि राज्य शामिल हैं। निजी क्षेत्र के बड़े प्रोत्साहक भी वित्तपोषण के लिए आरईसी से संपर्क कर रहे है। कुछ प्रोत्साहकों ने आरईसी से कंसोर्टियम में अग्रणी संस्थान की भूमिका शुरू करने के लिए भी संपर्क किया है।

व्यवसाय विकास को त्वरित गति पर बनाए रखने के लिए आरईसी परिवर्तनीय ब्याज दर ढ़ांचा अपनाकर, उपभोक्ता सेवाओं में सुधार लाकर, अधिकारियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करके एवं सुपुर्दगी तंत्र का सुदृढ़ीकरण करके अपने उत्पादन विभाग को मजबूत कर रहा है।

एक अन्य क्षेत्र जहां आरईसी द्वारा अधिक ध्यान दिया जा रहा है वह डीडीजी (विकेंद्रित वितरित उत्पादन) है। इस संबंध में नीतिगत ढ़ांचा तैयार किया जा चुका है तथा प्रायोगिक परियोजनाएं विचाराधीन हैं जो एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की पूर्वगामी है।

अगले 25 वर्षों में 7,00,000 मे.वा. से अधिक अर्थात 25000 मे.वा. प्रतिवर्ष से अधिक की क्षमता वृद्धि आवश्यकताओं के साथ विद्युत उत्पादन क्षेत्र के विकसित होने के पर्याप्त अवसर हैं तथा आरईसी इस क्षेत्र में बड़ा हिस्सा प्राप्त करने पर ध्यान दे रहा है।

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के साथ, आरईसी का व्यवसाय आश्वासित है और भविष्य सुरक्षित है।

2002-03 से आरईसी द्वारा स्वीकृत वृहत विद्युत उत्पादन परियोजनाएं

करोड़ रूपए

क्र. सं.	परियोजना का नाम	एजेंसी	श्रेणी	स्वीकृति का वर्ष	परियोजना का प्रकार	अधिष्ठापित क्षमता मे.वा.	परियोजना लागत	आरईसी द्वारा स्वीकृत ऋण
आंध्र प्रदेश								
1	कोनासीमा विद्युत परियोजना	कोनासीमा ईपीएस ओकवेल पावर लिमिटेड	गैर सरकारी	2003-04	गैस	445	1383	132.00
2	विजयवाड़ा चरण–4 जिला कृष्णा	एपीजीईएनसीओ	राज्य	2005-06	कोयला	500	2059.34	1560.00
3	आंध्र प्रदेश (ककटिया टीपीपी) के भूपालपाली में कोयला आधारित 500 मे.वा. थर्मल पावर प्रोजेक्ट	एपीजीईएनसीओ	राज्य	2005-06	कोयला	500	2059.35	1544.51
केरल								
4	केरल के कोझी कोड जिले में कुट्टीयाडी विस्तार स्कीम 06204	केएसईबी	राज्य	2004-05	हाईड्रो	100	220.5	154.35
मध्य प्रदेश								
5	श्री महेश्वर हाईड्रो पावर प्रा. लि.	मैसर्स श्री महेश्वर हाईड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड	गैर सरकारी	2005-06	हाईड्रो	400	2245.30	250.00
उत्तरांचल								
6	विष्णु प्रयाग	जय प्रकाश विद्युत उद्यम प्रा. लि.	गैर सरकारी	2002-03	हाईड्रो	400	1901.12	114.00
7	उत्तरांचल में टिहरी चरण–I /हाईड्रो पावर प्रोजक्ट	टिहरी हाईड्रो डेवलपमेन्ट कारपोरेशन	राज्य	2005-06	हाईड्रो	1000	7500.32	1860.00
मेघालय								
8	मिन्तदू	मेघालय राज्य बिजली बोर्ड	राज्य	2004-05	हाईड्रो	84	363	254.00
मिजोरम								
9	सरलुई–बी	मिजोरम सरकार	राज्य	2002-03	हाईड्रो	12	135.2	80.9
पंजाब								
10	गुरू हर गोबिन्द थर्मल प्रोजेक्ट चरण–II लहर/मोहब्बत	पं.रा.बि.बो.	राज्य	2003-04	थर्मल	500	1789.67	1610.70
जम्मू एवं कश्मीर								
11	बागलीहर एचईपी चरण–I	जे एंड के पीडीसीएल	राज्य	2003-04	हाईड्रो	450	4000	400.00
हिमाचल प्रदेश								
12	मलाना–II एचईपी जिला कुल्लू	एवरेस्ट पावर प्रा. लि.	गैर सरकारी	2003-04	हाईड्रो	100	598	328.90
13	कन्नौर जिले में कर्चम वांगटू एचईपी, हिमाचल प्रदेश 230304	जेपी कर्चम का. लि.	गैर सरकारी	2005-06	हाईड्रो	1000	5499	600.00
छत्तीसगढ़								
14	कोरबा (पूर्वी) थर्मल प्रोजेक्ट, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ रा.बि.बो.	राज्य	2003-04	थर्मल	500	2045	1431.00
15	छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में कोयला आधारित 2x250 मे. वा. भिलाई विस्तार विद्युत परियोजना	भिलाई विद्युत कंपनी प्रा. लि.	राज्य	2004-05	थर्मल	600	2755	1285.00
16	छत्तीसगढ़ में कोयला आधारित 300 मे.वा. पथाडी थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट -I एवं II	मैसर्स लांको अमरकंटक पावर प्रा. लि.	गैरसरकारी	2004-05	थर्मल	300	2631.97	516.57
पश्चिम बंगाल								
17	संतालडिह थर्मल पावर प्रोजेक्ट विस्तार 5वीं यूनिट	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	राज्य	2003-04	थर्मल	250	1137.00	955.53
गुजरात								
18	कोयला आधारित 1500 मे.वा. इस्सार पावर प्रोजेक्ट	मैसर्स इस्सार पावर लिमिटेड	गैरसरकारी	2005-06	थर्मल	1500	4048.00	750.00
उत्तर प्रदेश								
19	उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, रोसा में कोयला आधारित 600 मे.वा. थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट	रोसा विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	गैरसरकारी	2005-06	थर्मल	600	2579	400
महाराष्ट्र								
20	भुसवाल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र	एमएसपीजीसीएल	राज्य	2006-07	थर्मल	1000	4616.00	3693.00

पारेषण एवं वितरण

आरईसी की अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओ में एक परियोजना विद्युत पारेषण एवं वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने एवं इसके संवर्धन के लिए सभी राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसमें निम्न वोल्टेज वितरण प्रणाली (एल.वी.डी.एस) को उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एच.वी.डी.एस) में बदलने, ट्रांसफार्मरों एवं मीटरों का अधिष्ठापन शामिल है। इन परियाजनाओं में तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षतियों में कमी लाना भी सम्मिलित है।

आरईसी के ऋण पोर्टफोलियो में कृषि पंपसेटों का ऊर्जायन करने के लिए ऋण सहायता प्रदान करना भी शामिल है। सूचित किए गए देश में ऊर्जायित 140 लाख पंपसेटों में से 60% से अधिक पंपसेट आरईसी द्वारा वित्तपोषित स्कीमों के अधीन ऊर्जायित हुए हैं। इसके अतिरिक्त आरईसी अपने नियमित पोर्टफोलियो के अधीन गांव/दलित बस्ती एवं गहन विद्युतीकरण के लिए ऋण सहायता प्रदान करना भी जारी रखे हुए है। वर्ष के दौरान पारेषण एवं वितरण कार्यक्रम के अधीन आरईसी द्वारा वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत 184 गांव विद्युतीकृत किए गए तथा 31 मार्च, 2006 तक विद्युतीकृत संचयी गांवों की संख्या 3,06,010 हो गई है।

आरईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक, 2005-06 के दौरान विद्युतीकृत गांव, दलित बस्तियां और ऊर्जायित पंपसेट तथा 31.03.2006 तक संचयी स्थिति

		विद्युतीकृत गांव			विद्युतीकृत दलित बस्तियां			ऊर्जायित पंपसेट		
क्र. सं.	राज्य	2001-02 से 2004-05 (4 वर्ष)	2005-06 के दौरान	31.03.2006 तक संचयी	2001-02 से 2004-05 (4 वर्ष)	2005-06 के दौरान	31.03.2006 तक संचयी	2001-02 से 2004-05 (4 वर्ष)	2005-06 के दौरान	31.03.2006 तक संचयी
1	आंध्र प्रदेश	-		14907	11022	4107	39445	126462	66458	1512963
2	अरुणाचल प्रदेश	21		1316	-			-		-
3	असम	-		16363	-			-		1922
4	बिहार	-		32490	-		21554	-		113354
5	दिल्ली	-		-	-			-		-
6	गोवा	-		-	-			-		-
7	गुजरात	-		7712	-		2063	18943	1310	417099
8	हरियाणा	-		90	-		5967	3732	409	223666
9	हिमाचल प्रदेश	9		11143	-		81	1002	439	5913
10	जम्मू एवं कश्मीर	15		4416	49	4	998	1755	67	7872
11	कर्नाटक	13		8907	826		9110	48845		862387
12	केरल	-		151	11		3113	47549	12839	329616
13	मध्य प्रदेश	-		54411	-		19655	-		1054106
14	महाराष्ट्र	-		13322	-		7503	157745	51653	1607663
15	मणिपुर	-		1720	-			-		29
16	मेघालय	-		2321	-			-		58
17	मिजोरम	-		531	-			-		-
18	नगालैंड	4		793	-			-		164
19	उड़ीसा	-		26648	-		6219	-		63015
20	पंजाब	-		3908	-		467	14612	8718	477783
21	राजस्थान	148		26477	209		15393	35132	9658	480448
22	सिक्किम	-		277	-			-		-
23	तमिलनाडु	-		807	-		457	127409	30688	944159
24	त्रिपुरा	2		3223	-			-		1530
25	उत्तर प्रदेश	-		49881	-		46576	-		379544
26	उत्तरांचल	458	11	469	-			-		82202
27	पश्चिम बंगाल	424	170	23727	2704	533	3358	-		
	कुल जोड़	**1094**	**181**	**306010**	**14821**	**4644**	**181959**	**583186**	**182239**	**8565493**

आरईसी द्वारा वित्तपोषित स्कीमों के अंतर्गत 2005-06 के दौरान चालू सब–स्टेशन

क्र. सं.	राज्य	गैर एपीडीआरपी के अंतर्गत सब–स्टेशन							एपीडीआरपी के अंतर्गत चालू							
		33/11केवी सब–स्टे.							33/11केवी सब–स्टे.							
		लक्ष्य	प्राप्ति	66 केवी सब–स्टे.	110केवी सब–स्टे.	132केवी सब–स्टे.	220/230 केवीएस	कुल	लक्ष्य	प्राप्ति	66केवी सब–स्टे.	110केवी सब–स्टे.	133केवी सब–स्टे.	220केवी सब–स्टे.	जोड़	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	आंध्र प्रदेश	142	127			15		142	10	16					16	158
2	अरुणाचल प्रदेश															-
3	असम															-
4	बिहार															-
5	दिल्ली															-
6	गोवा															-
7	गुजरात										2				2	2
8	हरियाणा		2	4		1		7		1					1	8
9	हिमाचल प्रदेश		1					1							-	1
10	जम्मू एवं कश्मीर		10					10		11					11	21
11	झारखंड															-
12	कर्नाटक		3	3				6		1	1				2	8
13	केरल		8		1		1	10								10
14	मध्य प्रदेश															-
15	छत्तीसगढ़															-
16	महाराष्ट्र		32			5	2	39		19					19	58
17	मणिपुर															-
18	मेघालय							-								-
19	मिजोरम							-								-
20	नगालैंड															-
21	उड़ीसा															-
22	पंजाब			4				4		1	5				6	10
23	राजस्थान	30	103			1	2	106							-	106
24	सिक्किम															-
25	तमिलनाडु		7		6		4	17		3					3	20
26	त्रिपुरा															-
27	उत्तर प्रदेश															-
28	उत्तरांचल															-
29	पश्चिम बंगाल															-
	जोड़	172	293	11	7	22	9	342	10	52	8	-	-	-	60	402

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आरईसी की प्रथम पहल को भव्य सफलता प्राप्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षी/बहुपक्षी निधिकरण एजेंसियों जैसे जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को–ऑपरेशन (जेबीआईसी), इंडो–जर्मन बाइलेटरल को–ऑपरेशन (केएफडब्ल्यू), यूसेड एवं विश्व बैंक से रियायती शर्तों पर दीर्घकालीन निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग की स्थापना की गई ताकि भारत के ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम में सुधार हो सके। इन प्रतिष्ठित संगठनों से 1240 करोड़ रूपए की रिकार्ड राशि रियायती निधियों के रूप में प्राप्त की गई। अकेले जेबीआईसी से 21 बिलियन येन (रू. 822 करोड़) प्राप्त हुए जिन्हें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्यों में इस उद्देश्य के साथ लगाए गए कि वहां ग्रामीण क्षेत्रों में उप–पारेषण प्रणाली में सुधार आए तथा नए सब–स्टेशनों का निर्माण एवं पुराने सब–स्टेशनों में वृद्धि करके सभी अविद्युतीकृत आवासों को बिजली पहुंचाई जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना, वितरण सुधार, उन्नयन एवं प्रबंधन (डीआरयूएम) हैं। ग्रामीण उपयोगिता सेवाएं (आरयूएस), यूएसए के तत्वाधान में परियोजना का उद्देश्य विद्युत वितरण सुधार के जरिए बिजली एवं जल पहुंचाने में वृद्धि तथा उत्तम प्रबंधकीय, वाणिज्य और प्रौद्योगिकीय पद्धतियों का प्रदर्शन करना है जिससे अंतिम छोर तक विद्युत वितरण की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार हो सके।

हमारे उद्यम का मानवीय स्वरूप

हमारा विश्वास है कि आरईसी में मानव संसाधन प्रबंधन कारपोरेट दृष्टि से सम्मिश्रित है। अग्रणी रहने के लिए हमें मानव शक्ति को सशक्त बनाना होगा। 304 कार्यपालकों और 403 गैर–कार्यपालकों से आरईसी में तकरीबन 700 बहुआयामी कार्यबल है जिन का दिल्ली में कारपोरेट कार्यालय है और पूरे देश में विभिन्न कार्यात्मक समूहों में संगठित है। सामाजिक विकास दर्शन और भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप निगम में 31.3.06 को क, ख, ग, और घ श्रेणी में क्रमशः 23,30,33 और 40 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन–जाति के कुल 126 कार्मिक हैं।

यह वर्ष मानव संसाधन विकास के लिए अति महत्वपूर्ण रहा है। व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने और कंपनी के मानव बल को सुदृढ़ बनाने के लिए इस वर्ष के दौरान कंपनी ने इंजीनियरिंग, वित्त, मानव संसाधन, विधि एवं कंपनी सचिव क्षेत्रों में 52 व्यावसायिकों की सीधी भर्ती कर युवा वर्ग को शामिल किया है।

आरईसी के कर्मचारियों को अनुभव के ज्ञान के लिए कई आंतरिक प्लेटफार्म उपलब्ध हैं जैसे कि समय–समय पर विभिन्न विषयों की मुख्य बैठकों के दौरान विचारों, चुनौतियों और उपायों का आदान प्रदान। परियोजना/आंचलिक/कारपोरेट कार्यालय के सभी प्रमुख अधिकारियों के लिए तीन संगोष्ठियां लखनऊ, हैदराबाद और नई दिल्ली में आयोजित की गई। वर्ष के दौरान 199 कर्मचारियों ने सम्मेलनों/कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। इसके अतिरिक्त मार्च, 2006 के दौरान जापान में एओएसटी के अंतर्गत गुणवत्ता प्रबंधन पर दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में तीन अधिकारियों ने भाग लिया।

कर्मचारी कल्याण हमारा प्रमुख ध्येय है। वर्ष के दौरान आरईसी के सर्वोत्तम कार्य निष्पादन हेतु कर्मचारियों को आकर्षक प्रोत्साहन दिया गया। शिकायत निवारण तंत्र व्यक्तिगत समस्याओं का हल करता है। कार्य स्थल पर उत्पीड़न की रोकथाम को मॉनीटर करने के लिए एक महिला एकक है। कर्मचारियों को व्यापक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की गई है।

मानव संसाधन विभाग आरईसी दर्पण नाम की मासिक ई–न्यूज लैटर जारी करता है। यह विभाग की उपलब्धि में एक अन्य कदम है। आरईसी पत्रिका में समग्र गतिविधियां शामिल हैं और इसके लिए समर्पित संपादक समिति भी बनाई गई है।

आरईसी में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बारह अक्तूबर, 2005 को लागू हुआ और पूरे भारत (जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर) में तथा आरईसी सहित सभी सार्वजनिक प्राधिकारियों पर लागू है। आरईसी कार्यों में पारदर्शिता को प्रोन्नत और उत्तरदायित्व के हमारे प्रयासों में आरईसी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर एक पुस्तिका प्रकाशित की है, जो इसकी वेबसाइट: "http//recindia.nic.in" पर उपलब्ध है और निगम के बारे में सभी सुसंगत सूचना प्रदान करती है। भारत सरकार द्वारा इस विषय में जारी सभी दिशा निर्देशों/अनुदेशों का विधिवत पालन किया गया है। एक स्वतंत्र आरटीआई एकक का गठन किया गया है जो आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना से संबंधित कार्य करता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ), सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी और अपील अधिकारी को नामजद किया गया है। आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रभागों से पीआईओ को सहायता प्रदान करने के लिए फेसिलिटेटर्स भी मनोनीत किए गए हैं।

आरईसी में आरटीआई तंत्र

I. अपील अधिकारी :
श्री रामा रमण, कार्यकारी निदेशक (पारेषण एवं वितरण), कारपोरेट कार्यालय

II. सार्वजनिक सूचना अधिकारी :
श्री बी.आर. रघुनंदन, महाप्रबंधक (विधि) एवं कंपनी सचिव, कारपोरेट कार्यालय

III. सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी :

1. श्री ए.के. अरोड़ा, संयुक्त मुख्याधिकारी (संसद एवं समन्वय/आरटीआई), कारपोरेट कार्यालय
2. श्री विनोद शर्मा, आंचलिक प्रबंधक, आंचलिक कार्यालय, लखनऊ
3. श्री आर.के. अरोड़ा, आंचलिक प्रबंधक, आंचलिक कार्यालय, मुंबई
4. श्री एस.जी. दस्तीदार, आंचलिक प्रबंधक, आंचलिक कार्यालय, कोलकाता
5. श्री टी.एस.सी बोस, आंचलिक प्रबंधक, आंचलिक कार्यालय, जबलपुर
6. श्री रमेश कोडे, मुख्य परियोजना प्रबंधक, आंचलिक कार्यालय, हैदराबाद
7. श्री जी.सी. बरठाकुर, मुख्य परियोजना प्रबंधक, परियोजना कार्यालय, गुवाहाटी
8. श्री फुजैल अहमद, मुख्य परियोजना प्रबंधक, परियोजना कार्यालय, पटना
9. श्री जी.एस. भाटी, मुख्य परियोजना प्रबंधक, परियोजना कार्यालय, वडोदरा
10. श्री एम.के. मित्तल, मुख्य परियोजना प्रबंधक, परियोजना कार्यालय, पंचकुला
11. श्री एम. सूर्याप्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक, परियोजना कार्यालय, बंगलौर
12. श्री आर. एनबालागन, मुख्य परियोजना प्रबंधक, परियोजना कार्यालय, तिरूवनंतपुरम
13. श्री के. अधिकारी, प्रभारी, मुख्य परियोजना प्रबंधक, परियोजना कार्यालय, शिलांग
14. श्री पी. विश्वनाथन, मुख्य परियोजना प्रबंधक, परियोजना कार्यालय, चेन्नै
15. श्री जे.के. पुरोहित, मुख्य परियोजना प्रबंधक, परियोजना कार्यालय, जयपुर
16. श्री एस. अहमद, मुख्य परियोजना प्रबंधक, परियोजना कार्यालय, भुवनेश्वर
17. श्री एच.एस. काला, मुख्य परियोजना प्रबंधक, परियोजना कार्यालय, जम्मू

IV. आरटीआई एकक

श्री ए.के. अरोड़ा, संयुक्त मुख्याधिकारी (संसद एवं समन्वय/आरटीआई) – प्रभारी

आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत निगम में प्राप्त आवेदनों की स्थिति निम्न अनुसार है :–

आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन

क्र. सं.	विवरण	2005-06		2006-07 (अक्तूबर, 2006 तक)	
		प्राप्त आवेदन	प्रेषित सूचना	प्राप्त आवेदन	प्रेषित सूचना
1.	सार्वजनिक सूचना अधिकारी के पास आवेदन	8	8	31	30
2.	अपील अधिकारी के पास अपील	0	0	10	9

सभी आवेदकों को निर्धारित समय सीमा में सूचना भेज दी गई थी।

निगम अपने प्रचालनों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है और सभी प्रचालनात्मक क्षेत्रों से संबंधित सूचना निगम की वेबसाइट पर स्वैच्छिक रूप से दर्शाई गई है और इसको अद्यतन किया जाता है। आरटीआई अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन हेतु निगम में अपेक्षित तंत्र की स्थापना की गई है और आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के लिए प्राप्त अनुरोधों को निपटाने के लिए उच्चतम ध्यान दिया जाता है।

प्रबंधन दल

श्री अरुण कुमार
मुख्य सतर्कता अधिकारी

डॉ. डौली चक्रबर्ती
कार्यकारी निदेशक
(का.प्ला./का./आं.ले.प./आई.सी.डी)

श्री प्रदीप जैन
कार्यकारी निदेशक
(कारो.विका./प्रशा./आई.टी./विधि)

श्री के. विद्यासागर
कार्यकारी निदेशक
(आरजीजीवीवाई)

श्री रमा रमण
कार्यकारी निदेशक
(पारेषण एवं वितरण)

श्री ए. अनंथा
महाप्रबंधक
(जनरेशन)

श्री वी.के. अरोड़ा
महाप्रबंधक
(वित्त)

श्री बी.आर. रघुनंदन
महाप्रबंधक
(विधि) एवं कंपनी सचिव

श्री टी.एस.सी. बोस
आंचलिक प्रबंधक, मध्य अंचल

श्री ए.बी.एल. श्रीवास्तव
महाप्रबंधक
(वित्त)

श्री वी.के. शर्मा
आंचलिक प्रबंधक, पूर्व मध्य अंचल

श्री गुलजीत कपूर
महाप्रबंधक
(पारे. एवं वित.)

श्री घोष दस्तीदार
आंचलिक प्रबंधक, पूर्वी अंचल

श्री पी. जे. ठक्कर
महाप्रबंधक
(आरजीजीवीवाई)

श्री जे. कल्याण चक्रवर्ती
आंचलिक प्रबंधक, दक्षिणी अंचल

श्री बी.पी. यादव
महाप्रबंधक
(कारो.विका./प्रशा./आई.टी.)

श्री राकेश अरोड़ा
आंचलिक प्रबंधक, पश्चिमी अंचल

आरईसी कार्यालयों के पते

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पता	टेलीफोन नं.	तार का पता एवं फैक्स नं.
1	2	3	4	5
	कारपारेट आफिस	कोर-4, स्कोप काप्लेक्स 7 लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003	24365161	रेक्ट्रिक फैक्सः 011-24360644 ई–मेलः reccorp@recl.nic.in
	आंचलिक कार्यालय			
क्र. सं.	**आंचलिक/परियोजना कार्यालय का अंचल/स्थान/** आंचलिक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य/संघशासित क्षेत्र	**पता**	**टेलीफोन नं.**	**तार का पता एवं फैक्स नं.**
1.	**दक्षिणी अंचल हैदराबाद** आंध्र प्रदेश, केरल, पांडिचेरी एवं तमिलनाडु	शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर के निकट, नेशनल हाइवे नं. 7, हैदराबाद-500052	24014034 24014420	सिरेक्ट्रिक फैक्सः 040-24014235, 040-24015896 ई–मेलः reclhyd@sancharnet.in
2.	**पूर्वी अंचल कोलकाता** पश्चिम बंगाल, उत्तर–पूर्वी राज्य, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम और झारखंड	ए ई ब्लाक, परिसर सं. 643, सेक्टर-I, साल्ट लेक सिटी कोलकाता-700064	23341652 23341646	पोरेक्ट्रिक फैक्स : 033-23344923 ई–मेलः recpokol@vsnl.net
3.	**पूर्व मध्य अंचल लखनऊ** बिहार, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश	19/8, इंदिरा नगर, लखनऊ विस्तार, रिंग रोड, लखनऊ-226016	2716324 2717376 2716446	फैक्सः 0522-2716815 ई–मेलः recuppo@yahoo.co.in
4.	**पश्चिमी अंचल मुंबई** महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, दमन एवं दीव, गुजरात, दादर एवं नगर हवेली	मित्तल टावर, 51-बी, पांचवा तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021	22831004 22830985 22853895 22833055	पोरेक्ट्रिक फैक्सः 022-22831004 ई–मेल porecmum@bom4.vsnl.net.in recmumbai@eth.net
5.	**उत्तरी अंचल नई दिल्ली** हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश	कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	24365161	रेक्ट्रिक फैक्सः 011-24360644 ई–मेलः reccorp@recl.nic.in
6.	**मध्य अंचल जबलपुर** मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा	जेडीए बिल्डिंग, मदन महल नागपुर रोड, जबलपुर-482001	2424696 2423994	रेक्पो फैक्सः 0761-2671124 ई–मेलः recjbp@yahoo.com rec_jabalpur @sancharnet.in

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पता	टेलीफोन नं.	तार का पता एवं फैक्स नं.
1	2	3	4	5
	परियोजना कार्यालय			
1.	आंध्र प्रदेश	शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर के निकट, नेशनल हाइवे नं. 7, हैदराबाद-500052	24014034 24014420 27790721	फैक्स: 040-24014235, 040-24015896 ई–मेल: reclhyd@sancharnet.in cire@sancharnet.in
2.	असम, नगालैंड अरुणाचल प्रदेश	"कमालया" (प्रथम एवं द्वितीय तल), जू नारंगी तिनियाली आर.जी. बरूआ रोड, पिनाकी पथ, (बाई लेन नं. 7) पो.आ. सिलपुखुड़ी, गुवाहाटी-781003	2450485 2454702	रिपो फैक्स: 0361-2454702 ई–मेल : cpmpog@sancharnet.in cpmpog@sify.com
3.	बिहार	'मौर्य लोक' कांप्लेक्स, ब्लॉक–सी चतुर्थ तल, डाक बंगला रोड पटना- 800001	2221131 2224596 2520023 (नि.)	रेक्पो फैक्स: 0612-2224596 ई–मेल : recpatna@vsnl.net pat_recl@dataone.in
4.	गुजरात, दादर व नगर हवेली	प्लॉट नं. 585, टी.पी. स्कीम नं. 2, पुष्टि कांप्लेक्स के पीछे, वी.एम.सी. वार्ड आफिस के सामने आत्म ज्योति आश्रम रोड, सुभानपुरा, वड़ोदरा-390023	2386760 2397487 2252473 (नि.)	रेक्पो फैक्स: 0265-2397652 फोन: 2386760, 2397487 ई–मेल : recbaroda@eth.net
5.	हरियाणा, दिल्ली और चंड़ीगढ़	बे नं. 7-8, सेक्टर-2 पंचकुला-134112	2563864 2563863 2563822	रेक्पो फैक्स: 0172-2567692 ई–मेल : recpochd@eth.net
6.	हिमाचल प्रदेश	पंडित पदमदेव कमर्शियल कांप्लेक्स फेस-II, प्रथम तल, दि रिज, शिमला-171001	2653411 2804077	रेक्पो फैक्स : 0177-2804077 ई–मेल : recsml@emmtel.com
7.	जम्मू एवं कश्मीर	157ए, गांधी नगर अप्सरा सिनेमा के पीछे जम्मू-180004	2450868 2566701 (नि)	रेक्पो फैक्स: 0191-2450868 ई–मेल : recpojat@sancharnet.in rizvi5@rediffmail.com
8.	कर्नाटक	नं. 1/5, अलसूर रोड बंगलौर-560042	25598244 25598243	पोरेक्ट्रिक फैक्स: 080-25598243 ई–मेल : ruralblr@eth.net
9.	केरल एवं लक्षद्वीप	0-5, चतुर्थ तल, "सफालियन" कमर्शियल कांप्लेक्स ट्रिडा भवन, पलायम, तिरुवनंतपुरम-695034	2328662 2328579 6783208 (नि)	रेक्पो फैक्स: 0471-2328579 ई–मेल : rectvm@eth.net rectvm@md5.vsnl.net.in
10.	मध्य प्रदेश	जेडीए बिल्डिंग, मदन महल नागपुर रोड़, जबलपुर-482001	2424696 2423994	रेक्पो फैक्स: 0761-2671124 ई–मेल: recjbp@yahoo.com rec_jabalpur @sancharnet.in

1	2	3	4	5
11.	महाराष्ट्र, गोवा दमन व दीव	मित्तल टावर, 51-बी, पांचवा तल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021	22831004 22830985 22853895 22833055	पोरेक्ट्रिक फैक्स: 022-22831004 ई–मेल : porecmum@bom4.vsnl.net.in recmumbai@eth.net
12.	मेघालय, मणिपुर एवं मिजोरम	रिनाडी ओल्ड जोबाई रोड, लाचुमियर, शिलांग-793001	2210190 2225687	रिपो फैक्स: 0364-2225687 ई–मेल : recl_shillong@rediffmail.com
13.	उड़ीसा	दीन दयाल भवन, पांचवा तल, अशोक नगर, जनपथ, भुवनेश्वर-751009	2536669 2536649 2393206	रिपो फैक्स: 0674-2536669 ई–मेल : repobbsr@yahoo.co.in
14.	राजस्थान	जे-4-ए, झालाना डूंगरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया जयपुर-302004	2706986 2707840 2700161 2700162	पोरेक्ट्रिक फैक्स: 0141-2706986 ई–मेल: recpojpr@bhaskarmail.com recpojpr@rediffmail.com
15.	तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	नं. 12 एवं 13 टी.एन.एच.बी. कांप्लेक्स, लूज चर्च रोड, 180, (लूज कॉर्नर), माइलापोर, चेन्नै-600004	24672376 24670595 24987960	पोरेक्ट्रिक फैक्स : 044-24670595 ई–मेल: cpmchennai@yahoo.com
16.	उत्तर प्रदेश	19/8, इंदिरा नगर विस्तार, रिंग रोड, लखनऊ-226016	2716324 2717376 2716446 23311787 (नि)	रिपो फैक्स: 0522-2716815 ई–मेल: recuppo@yahoo.co.in
17.	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	ए ई ब्लाक, परिसर सं. 643, सेक्टर-I, साल्ट लेक सिटी कोलकाता-700064	23341652 23341646	पोरेक्ट्रिक फैक्स : 033-23344923 ई–मेल: recpokol@vsnl.net
प्रशिक्षण केंद्र केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान (सायर)		शिवरामपल्ली, पोस्ट एनपीए, आरामघर के निकट, नेशनल हाइवे नं. 7, हैदराबाद-500052	24017252 24018583 24015901	सिरेक्ट्रिक फैक्स: 040-24015896 ई–मेल: cire@sancharnet.in
उप कार्यालय बिहार		त्रिपाठी कालोनी, कबरू बाई पास रोड, केनरा बैंक के निकट, पो.आ. हीनू, रांची-834003	0651-2481372 9431815522	ई–मेल: v2vltd2003@sify.com rec_ranchi@yahoo.com

REC

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
कोर 4, स्कोप कंप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003
फोन: 24365393, 24368553 फैक्स: 24360644 ई-मेल: rtrivedi@ recl.nic.in, asaha@recl.nic.in